

JOTI JOURNAL
SUBJECT – INDEX
February – December – 2025

Editorial	1
Editorial	35
Editorial	55
Editorial	85
Editorial	121
Editorial	141

PART – I
(ARTICLES & MISC.)

1	Photographs	3
2	Photographs	37
3	Photographs	57
4	Photographs	87
5	Photographs	124
6	Photographs	143
7	Appointment of Hon'ble Shri Justice Ashish Shroti as Judge in the High Court of M.P.	7
8	Appointment of Judges in the High Court of Madhya Pradesh	58
9	Appointment of Judges/Additional Judges in the High Court of Madhya Pradesh	93
10	Hon'ble Shri Justice Atul Sreedharan assumes charge as Judge of the High Court of Madhya Pradesh.	39
11	Hon'ble Shri Justice Vivek Kumar Singh assumes charge as Judge of High Court of Madhya Pradesh	128
12	Hon'ble Shri Justice Sandeep Natvarlal Bhatt assumes charge as Judge of High Court of Madhya Pradesh	146
13	Transfer of Hon'ble Shri Justice Sushrut Arvind Dharmadhikari as Judge of the High Court of Kerala	39
14	Hon'ble Smt. Justice Sunita Yadav demits office	8
15	Hon'ble Shri Justice Prakash Chandra Gupta demits office	40
16	Hon'ble Chief Justice Shri Suresh Kumar Kait demits office	61
17	Hon'ble Shri Justice Duppala Venkata Ramana and Hon'ble Shri Justice Sanjay Dwivedi demit office	62
18	Hon'ble Shri Justice D.K. Paliwal and Hon'ble Shri Justice Prem Narayan Singh demit office	98

Act/ Topic	Note No.	Page No.
19 Hon'ble Shri Justice Achal Kumar Paliwal demits office		146
20 Our Legends – Hon'ble Shri Justice S.K. Jha		9
21 Our Legends – Hon'ble Shri Justice U.L. Bhat		41
22 Our Legends – Shri Nani Palkhivala		63
23 Our Legends – Justice Vivian Bose		99
24 Our Legends – Justice H.R. Khanna		129
25 Our Legends – Mr. Justice M. C. Chagla		147
26 Annual Report of Madhya Pradesh State Judicial Academy, 2025		184
27 Compensation in the death and permanent disability claim of children		71
28 Dynamic Role of District Judiciary as Custodian of Fundamental Rights		11
29 Proceeds of Crime : An analysis in the light of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023		45
30 The Pre-cognizance hearing u/s 223 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023: Reforms and Judicial Challenges		134
31 Various legal aspects of Maintenance u/s 144 BNSS		25
32 भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर की रकम का अवधारण		104
33 अभियुक्त परीक्षण: ऋजु एवं न्यायपूर्ण प्रक्रिया की आवश्यकता		150
34 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956: विभाजन का वाद		160
35 विधिक समस्याएं एवं समाधान		53 & 83

PART-II

(NOTES ON IMPORTANT JUDGMENTS)

Act/ Topic	Note No.	Page No.
ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961 (M.P.)		
स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (म.प्र.)		
Sections 2 (b) and 12 (1) (c) – Disclaimer of title – Challenge of derivative title of the landlord by tenant cannot be said to be disclaimer of title – No decree u/s 12 (1) (c) can be passed.		
धाराएं 2(ख) एवं 12 (1)(ग) – स्वत्व का इंकार – भवन स्वामी के व्युत्पन्न हित/स्वत्व को किरायेदार द्वारा चुनौती दिया जाना, स्वत्व से इंकारी नहीं कहा जा सकता – धारा 12(1) (ग) के अंतर्गत डिक्री पारित नहीं की जा सकती।	101	231
Sections 12(1)(a) and 13(1) – Suit for eviction – Default in payment of rent –Tenant cannot occupy premises without paying rent.		
धाराएं 12(1)(क) एवं 13 (1) – बेदखली का वाद – किराया भुगतान में व्यतिक्रम – भाड़ेदार बिना किराया भुगतान के स्थान का आधिपत्य नहीं रख सकता है।	151	363

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 12(1)(a), 12(1)(f) and 13(6) – Striking out of defence – Scope – Distinction between eviction and arrears of rent.		
धाराएं 12(1)(क), 12(1)(च) एवं 13(6) – प्रतिरक्षा को समाप्त करना – विस्तार – निष्कासन और बकाया किराए में अंतर।	196	475
APPRECIATION OF EVIDENCE:		
साक्ष्य का मूल्यांकन:		
– Appreciation of evidence – Non-examination of independent witnesses –It would only assume importance when evidence of eye witnesses raises a serious doubt about their presence at the time of incident.		
– साक्ष्य का मूल्यांकन – स्वतन्त्र साक्षियों का परीक्षण न कराया जाना – यह तभी महत्वपूर्ण होगा जब चक्षुदर्शियों की साक्षी से घटना के समय उनकी उपस्थिति के सम्बन्ध में गम्भीर सन्देह उत्पन्न होता हो।	132(i)	317
ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996		
माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996		
Sections 7, 11 and 34 – Amendment of objections u/s 34 – Withdrawal of admission.		
धाराएं 7, 11 एवं 34 – धारा 34 की आपत्तियों में संशोधन – स्वीकृति की वापसी।	197	476
Section 8 – Arbitration agreement – Suit for trademark infringement and passing off – Allegations of fraud and forgery were alleged but found insufficient to oust arbitration clause.		
धारा 8 – मध्यस्थता समझौता – ट्रेडमार्क उल्लंघन और पासिंग ऑफ हेतु वाद – कपटपूर्णता और कूटरचना के आक्षेप लगाए गए लेकिन मध्यस्थता खंड को निष्क्रिय करने के लिए अपर्याप्त पाए गए।	198	478
Section 11 – Quashing of FIR – Held, existence of a civil remedy or arbitration clause under the Arbitration and Conciliation Act does not preclude initiation of criminal proceedings where allegations disclose a cognizable offence.		
धारा 11 – प्रथम सूचना रिपोर्ट को अपास्त करना – अभिनिर्धारित, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के अंतर्गत दीवानी उपाय या मध्यस्थता खंड की उपस्थिति उस स्थिति में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकती जब आरोप संज्ञेय अपराध को दर्शाते हैं।	199	480
Sections 11(6) and 12(5) – Arbitration – Appointment of arbitrator – Limitation.		
धाराएं 11(6) एवं 12(5) – मध्यस्थता – मध्यस्थ की नियुक्ति – परिसीमा।	243	586
Sections 34(3) and 43(1) – Arbitral Award – Section 4 applies only when the prescribed 3-month period of limitation expires on a holiday, not during the additional 30-day condonable period – Section 10 of the General Clauses Act, 1897, not applicable when Limitation Act applies.		
धाराएं 34(3) एवं 43(1) – माध्यस्थता पंचाट – धारा 4 केवल तभी प्रयोज्य होती है जब निर्धारित 3 माह की परिसीमा अवधि अवकाश के दिन समाप्त होती है, न कि अतिरिक्त 30 दिन की क्षमा योग्य अवधि के दौरान – जब परिसीमा अधिनियम लागू होता है तब सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 10, लागू नहीं होती है।	51	103

Act/ Topic	Note No.	Page No.
ARMS ACT, 1959		
आयुध अधिनियम, 1959		
Section 25 – See sections 392 and 397 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 25 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 392 एवं 397।	178	427
Section 25(1B)(a) – See section 302/34 of the Indian Penal Code, 1860 and section 32 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 25(1ख)(क) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302/34 एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32।	*173	414
BENAMI TRANSACTIONS (PROHIBITION) ACT, 1988		
बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988		
Section 4(1) – See Order 7 Rule 11 of Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 4(1) – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 11।	102	232
Section 4 (1) & (2) – See Sections 6 and 34 of the Specific Relief Act, 1963 and Article 65 of the Limitation Act, 1963.		
धारा 4(1) एवं (2) – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धाराएं 6 एवं 34 और परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुच्छेद 65।	148	356
BENAMI TRANSACTIONS (PROHIBITION) AMENDMENT ACT, 2016		
बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधन अधिनियम, 2016		
Section 2(9) – See Order 7 Rule 11 of Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 2(9) – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 11।	102	232
BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023		
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023		
Sections 2 (1) (y), 413, 415 and 419 – See sections 2 (wa), 372, 374 and 378 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 2(1)(म), 413, 415 एवं 419 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 2(बक), 372, 374 एवं 378।	204	488
Sections 35 and 47 – See Sections 41 and 50 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 35 एवं 47 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 41 एवं 50।	112	256
Sections 35, 179 and 195 – Service of notice under CrPC/BNSS – Supreme Court held that notices must be served in person as per statutory requirements, not through WhatsApp or other electronic modes.		
धाराएं 35, 179 एवं 195 – द.प्र.सं./बीएनएसएस के अंतर्गत नोटिस की निर्वाह – उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधिक अपेक्षाओं के अनुसार नोटिस का निर्वाह व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए, न कि व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से।	52	105

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 53, 187, 223, 225, 480 and 482 r/w/s 175 and 193 – See Sections 54, 167, 200, 202, 437 and 438 r/w/s 156 and 173 of the Criminal Procedure Code, 1973. धाराएं 53, 187, 223, 225, 480 एवं 482 सहपठित धाराएं 175 व 193 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 54, 167, 200, 202, 437 एवं 438 सहपठित धाराएं 156 व 173।	61	130
Sections 91, 480 and 482 – See sections 88, 437 and 438 of the Criminal Procedure Code, 1973. धाराएं 91, 480 एवं 482 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 88, 437 एवं 438।	254	603
Section 144 – See Section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 144 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125।	113	259
Section 144 – See Section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 144 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125।	114(i)	261
Section 144 – See section 125(4) of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 144 – देखें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 125(4)।	5	8
Section 144(4) – See section 125(4) of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 144(4) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125(4)।	62	134
Section 173 – See section 154 of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 173 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154।	19(i)	36
Sections 173, 175(3), 176(1), 223, 226 and 403 – See Sections 154, 156(3), 157(1), 200, 203 and 362 of the Criminal Procedure Code, 1973 धाराएं 173, 175(3), 176(1), 223, 226 एवं 403 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 154, 156(3), 157(1) 200, 203 एवं 362।	115	263
Sections 173, 175(3), 210, 337 and 528 – See sections 154, 156(3), 190, 300 and 482 of the Criminal Procedure Code. धाराएं 173, 175(3), 210, 337 एवं 528 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 154, 156(3), 190, 300 एवं 482।	205	491
Sections 174, 215 and 528 – See section 155(2), 195 and 482 of the Criminal Procedure Code, 1973. धाराएं 174, 215 एवं 528 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 155(2), 195 एवं 482।	206	493
Section 174(3) – Police investigation – Powers of Magistrates to issue directions – Changes made by BNSS discussed. धारा 174(3) – पुलिस अन्वेषण – निर्देश जारी करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियां – बीएनएसएस द्वारा किये गए परिवर्तन पर चर्चा की गई।	63(ii)	136
Section 180 – See section 161 of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 180 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161।	78	172
Section 180 – See section 161 of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 180 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161।	257	607

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 180 and 181 – See sections 161 and 162 of the Criminal Procedure Code, 1973. धाराएं 180 एवं 181 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 161 एवं 162।	*169	404
Sections 193 and 225 – See Sections 173 and 202 of the Criminal Procedure Code, 1973 धाराएं 193 एवं 225 – देखें धाराएं 173 एवं 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973।	116	267
Sections 210 and 215 – See sections 190 and 195 of the Criminal Procedure Code, 1973. धाराएं 210 एवं 215 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 190 एवं 195।	64(ii)	139
Sections 215 and 438/442 – See Sections 195 and 397/401 of the Criminal Procedure Code, 1973. धाराएं 215 एवं 438/442 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 195 एवं 397/401।	128(i)	303
Section 218 – See Section 197(1) of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 218 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197(1)।	144	342
Section 218 – See section 197 of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 218 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197।	165	390
Sections 220 – See section 200 of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 220 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200।	233	556
Sections 225 and 175 – See sections 202(1)(a) and 156(3) of the Criminal Procedure Code, 1973. धाराएं 225 एवं 175 (3) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 202(1) (क) एवं 156 (3)।	166	394
Sections 225 and 227 – See sections 202 and 204 of the Criminal Procedure Code, 1973. धाराएं 225 एवं 227 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 202 एवं 204।	84	191
Sections 232 and 250 – See sections 209 and 227 of the Criminal Procedure Code, 1973. धाराएं 232 एवं 250 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 209 एवं 227।	6	10
Section 238, 246 and 510 – See sections 215, 223 and 464 of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 238, 246 एवं 510 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 215, 223 एवं 464।	237	564
Sections 239, 250 and 438 – See sections 216, 227 and 397(2) of the Criminal Procedure Code, 1973. धाराएं 239, 250 एवं 438 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 216, 227 एवं 397(2)।	7	13
Section 244(3) – See sections 386(b)(iii) and 401(3) of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 244(3) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 386(ख)(iii) एवं 401(3)।	208	500
Section 250 – See section 227 of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 250 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 227।	66	144

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 250 – See section 227 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 250 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 227।	65	141
Section 250 – See Section 227 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 250 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 227।	117	269
Section 251 – See section 228 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 251 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 228।	67	146
Section 326 and 329 – See sections 291 and 293 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 326 एवं 329 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धाराएं 291 एवं 293।	232	554
Sections 329 and 432 – See sections 293 and 391 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 329 एवं 432 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 293 एवं 391।	223	535
Sections 340, 341 and 351 – See Sections 303, 304 and 313 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 340, 341 एवं 351 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धाराएं 303, 304।	118(i) & (ii)	271
Section 348 – See section 311 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 348 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311।	68	148
Section 349 – See section 388 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 349 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 388।	*255	605
Section 358 – See section 313 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 358 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313।	269	631
Section 358 – See section 319 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 358 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319।	8(i) & (ii)	15
Section 358 – See section 319 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 358 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319।	167	396
Section 358 – See section 319 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 358 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319।	207	497
Section 359 – See section 320 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 359 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320।	175	420
Section 368 – See section 329 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 368 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 329।	9	18
Section 395 – See section 357 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 395 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357।	10	19
Section 479 – See section 436-A of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 479 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 436-क।	195	472
Section 480 – See Section 437 (3) of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 480 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437(3)।	119	279

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 480, 482, 483, 485 and 491 – See sections 437, 438, 439, 441 and 446 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 480, 482, 483, 485 एवं 491 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 437, 438, 439, 441 एवं 446।	69	149
Sections 480(6) and 483 – See Sections 437(6) and 439 of the Criminal Procedure Code, 1973		
धाराएं 480(6) एवं 483 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 437(6) एवं 439।	120	280
Section 482 – See section 438 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 482 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438।	256	606
Section 482 – See section 438 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 482 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438।	283	657
Section 482 – See section 438 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 482 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438।	70	152
Section 482 – See section 438 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 482 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438।	93	208
Section 483 – Offence of cultivation of opium plants – Section 37 of the Act is not attracted as Notification specifying small and commercial quantity in NDPS Act has entries in respect of “opium” only, not in respect of “Opium Poppy”, and therefore cultivation of opium plants is covered u/s 18 (c).		
धारा 483 – अफीम के पौधों की खेती करने का अपराध – अधिनियम की धारा 37 लागू नहीं होती क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम में सूक्ष्म एवं वाणिज्यिक मात्रा को निर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना में केवल “अफीम” के संबंध में प्रविष्टियां हैं, “अफीम पोस्त” के संबंध में नहीं और इसलिए अफीम के पौधों की खेती धारा 18 (ग) के अंतर्गत आती है।	53	106
Section 483 – See section 439 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 483 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439।	92	206
Section 483 – See section 439 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 483 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439।	100	229
Sections 483 – Section 439 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 483 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439।	121	283
Section 483(3) – See section 439(2) of Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 483(3) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439(2)।	11	22
Sections 497 and 503 – See sections 451 and 457 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 497 एवं 503 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धाराएं 451 एवं 457।	168	400
Sections 514 and 519 – See sections 468 and 473 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 514 एवं 519 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 468 एवं 473।	224	538

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 528 – See section 482 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 528 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482।	177	425
Section 528 – See section 482 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 528 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482।	268	629
BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023		
भारतीय न्याय संहिता, 2023		
Sections 3(5), 103 and 105 – See sections 34, 302 and 304 Part I of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 3(5), 103 एवं 105 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 – धाराएं 34, 302 एवं 304 भाग I।	260	614
Sections 3(5) and 103(1) – See sections 34 and 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 3(5) एवं 103(1) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 34 एवं 302।	259	611
Section 22 – See section 84 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 22 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 84।	215	512
Sections 34 to 44, 101 and 105 – See sections 96 to 106, 300, 302 and 304 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 34 से 44, 101 एवं 105 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 – धारा 96 से 106, 300, 302 एवं 304।	216	513
Sections 45 and 108 – See sections 107 and 306 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 45 एवं 108 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 107 एवं 306।	172	412
Sections 49, 61(2), 336(3) and 340(2) – See sections 109, 120B, 468 and 471 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 49, 61(2), 336(3) एवं 340(2) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 109, 120ख, 468 एवं 471।	126	296
Sections 61, 316 and 318 (4) – See sections 120-B, 406 and 420 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 61, 316 एवं 318 (4) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 120-ख, 406 एवं 420।	261	615
Section 61(2) – See section 120B of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 61(2) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 120ख।	66	144
Sections 61(2), 49, 336(3) and 340(2) – See Sections 120B, 109, 468 and 471 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 61(2), 49, 336(3) एवं 340(2) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 120ख, 109, 468 एवं 471।	126	296
Sections 61(2), 140(2) and 309(4) – See sections 120B, 364A and 392 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 61(2), 140(2) एवं 309(4) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 120ख, 364क एवं 392।	19(iii)	36

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 61(2), 233, 236, 316(2), 318(4), 467, 338, 336 (3) and 340 (2) – See sections 120-B, 196, 199, 406, 420, 467, 468 and 471 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 61(2), 233, 236, 316(2), 318 (4), 467, 338, 336(3) एवं 340 (2) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 120-ख, 196, 199, 406, 420, 467, 468 एवं 471।	166	394
Sections 61(2), 316(2) and 318(4) – See Sections 120B, 406 and 420 of the Indian Penal Code, 1860		
धाराएं 61(2), 316(2) एवं 318(4) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 120ख, 406 एवं 420।	127	300
Sections 61(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) and 344 – See sections 120B, 420, 467, 468, 471 and 477A of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 61(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) एवं 344 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 120ख, 420, 467, 468, 471 एवं 477क।	20	39
Sections 62, 103, 138 and 189(2) – Murder – Criminal conspiracy.		
धाराएं 62, 103, 138 एवं 189(2) – हत्या – आपराधिक षडयंत्र।	244	587
Section 63 – See section 376 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 63 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376।	237	564
Section 64 – See Section 376 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 64 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376।	135	326
Section 64 – See section 376 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 64 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376।	176	422
Section 64 and 115(2) – See Sections 376 and 323 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 64 एवं 115(2) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 376 एवं 323।	134	32
Sections 69 and 351(2) – See sections 376(2)(n) and 506 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 69 एवं 351(2) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 376(2)(ढ) एवं 506।	83	188
Section 80 – See section 304B of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 80 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304ख।	221	529
Section 80 – See section 498A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 80 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498क।	224	538
Sections 80 and 85 – See section 304B and 498A of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 80 एवं 85 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 304ख एवं 498-क।	174	416
Sections 80 and 85 – See sections 304B and 498A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 80 एवं 85 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 304ख एवं 498क।	222	532
Section 80 and 85 – Sections 304B and 498A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 80 एवं 85 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304ख एवं 498क।	121	283

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 80, 108 and 85 – See Sections 304-B, 306 and 498-A of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 80, 108 एवं 85 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 304-ख, 306 एवं 498-क।	133	321
Section 82(1) r/w/s 3(5) – See section 494 r/w/s 34 of the Indian Penal Code.		
धारा 82(1) सहपठित धारा 3(5) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 494 सहपठित धारा 34।	24	49
Section 85 – See sections 498-A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 85 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498क।	86(ii)	196
Section 85 – See sections 377 and 498-A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 85 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 377 एवं 498-क।	177	425
Section 85 – See section 498A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 85 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498क।	85	194
Section 85 – See section 498-A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 85 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 498-क।	270	634
Sections 85 and 351 – See sections 377, 498-A and 506 r/w/s 34 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 85 एवं 351 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 377, 498-क एवं 506 सहपठित धारा 34।	267	627
Sections 100, 101, 303(1) and 109 – See sections 299, 300, 302 and 307 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 100, 101, 303(1) एवं 109 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 299, 300, 302 एवं 307।	219	521
Sections 101, 103(1) and 105 – See Sections 300, 302 and 304 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 101, 103(1) एवं 105 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 300, 302 एवं 304।	129	304
Section 103 – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 103 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302।	76	165
Section 103 – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 103 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302	263	620
Section 103 r/w/s 190 – See sections 302 r/w/s 149 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 103 सहपठित धारा 190 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 सहपठित धारा 149।	170	405
Sections 103 and 64 – See sections 302 and 376 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 103 एवं 64 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302 एवं 376।	80	178
Sections 103 and 238 – See sections 201 and 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 103 एवं 238 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 201 एवं 302।	257	607

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 103(1) – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 103(1) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302।	130	309
Section 103(1) – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 103(1) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302।	131	311
Section 103(1) – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 103(1) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302।	220	525
Section 103(1) – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 103(1) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302।	77	168
Section 103(1) – See section 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 103(1) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302।	9	18
Section 103(1) r/w/s 3(5) – See section 302 r/w/s 34 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 103(1) सहपठित धारा 3(5) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 – धारा 302 सहपठित 34।	264	622
Section 103(1) and 80 – See Sections 302 and 304B of the Indian Penal Code, 1860		
धारा 103(1) एवं 80 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 एवं 304ख।	123	287
Sections 103(1), 92 and 140 (1) – See Sections 302, 316 and 364 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 103(1), 92 एवं 140(1) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302, 316 एवं 364।	132(ii)	317
Sections 103(1), 109 and 61(2) – See sections 120B, 302 and 307 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 103(1), 109 एवं 61(2) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 120ख, 302 एवं 307।	78	172
Sections 103(1) and 140(1) – See sections 382, 364 and 377 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 103(1) एवं 140(1) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 382, 364 एवं 377।	145	346
Section 103(1), 238, 303(2) and 317(2) – See sections 201, 302, 379 and 411 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 103(1), 238, 303(2) एवं 317(2) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 201, 302, 379 एवं 411।	218	519
Section 103/3(5) – See section 302/34 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 103/3(5) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 – धारा 302/34।	79	175
Section 103(1)/3(5) – See section 302/34 of the Indian Penal Code.		
धारा 103(1)/3(5) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302/34।	*173	414
Sections 105 and 308(5) – See sections 304 part-II and 386 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 105 एवं 308(5) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 – धाराएं 304 भाग-2 एवं 386	22	44

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 106 and 105 – See sections 304A and 304 Part II of the Indian Penal Code, 1860. धाराएं 106 एवं 105 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 304क एवं 304 भाग II।	117	269
Section 108 – See section 306 of the Indian Penal Code, 1860. धारा 108 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 306।	*265	624
Sections 108 r/w/s 45, 54 and 85 – See sections 306 r/w/s 107, 114 and 498A of the Indian Penal Code, 1860. धाराएं 108 सहपठित धारा 45, 54 एवं 85 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 306 सहपठित धारा 107, 114 एवं 498क।	82	184
Section 109 – See section 307 of the Indian Penal Code, 1860. धारा 109 – देखें भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराएं 307।	67	146
Sections 109 and 118(2) – See sections 307 and 326 of the Indian Penal Code, 1860. धाराएं 109 एवं 118(2) – देखें भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराएं 307 एवं 326।	175	420
Sections 109, 137(2), 96 and 64 – See sections 307, 363, 366-A and 376 of the Indian Penal Code, 1860. धाराएं 109, 137(2), 96 एवं 64 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 307, 363, 366–क एवं 376।	223	535
Sections 115(2) and 64 – See Sections 323 and 376 of the Indian Penal Code, 1860. धाराएं 115(2) एवं 64 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 323 एवं 376।	134	324
Sections 115 and 85 – See sections 323 and 498A of the Indian Penal Code, 1860. धाराएं 115 एवं 85 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 323 एवं 498क।	266	625
Section 132 r/w/s 221 – See section 353 r/w/s 186 of the Indian Penal Code, 1860. धारा 132 सहपठित धारा 221 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 353 सहपठित धारा 186।	23	47
Sections 191(2), 191(3) and 103(1) r/w/s 190 – See sections 147, 148 and 302 r/w/s/ 149 of the Indian Penal Code, 1860. धाराएं 191(2), 191(3) एवं 103(1) सहपठित धारा 190 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 – धाराएं 147,148 एवं 302 सहपठित धारा 149।	21	42
Sections 221 and 132 – See section 186 and 353 of the Indian Penal Code, 1860. धाराएं 221 एवं 132 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 186 एवं 353।	206	493
Sections 221 and 132 – See sections 186 and 353 of the Indian Penal Code, 1860 . धाराएं 221 एवं 132 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 186 एवं 353।	64(i)	139

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 229, 318(1), 318(4), 336(2), 336(3) and 340(2) – See Sections 193, 415, 420, 465, 468 and 471 of the Indian Penal Code.		
धाराएं 229, 318(1), 318(4), 336(2), 336(3) एवं 340(2) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 193, 415, 420, 465, 468 एवं 471।	128(ii)	303
Sections 238, 103(1) and 64 – See sections 201, 302, and 376 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 238, 103(1) एवं 64 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 धाराएं 303, 304 एवं 313, भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 39-क, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 201, 302 एवं 376 और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27।	118(vi)	271
Sections 238, 137(2), 64 and 103 – See sections 201, 302, 363 and 376(2)(i) of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 238, 137(2), 64 एवं 103 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 201, 302, 363 एवं 376(2)(i)।	217	516
Sections 238, 249, 103, 137(2) and 66 – See sections 201, 212, 302, 363 and 376A of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 238, 249, 103, 137(2) एवं 66 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 201, 212, 302, 363 एवं 376क।	262	617
Sections 309(4) and 311 – See sections 392 and 397 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 309(4) एवं 311 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 392 एवं 397।	178	427
Section 310(2) and 311 – See Sections 395 and 397 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 310(2) एवं 311 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 395 एवं 397।	136(i)	328
Sections 316, 318 and 351 – See sections 406, 420 and 506 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 316, 318 एवं 351 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 406, 420 एवं 506।	268	629
Sections 316(2) and 318(1) & (4) – See sections 406, 415 and 420 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 316(2) एवं 318(1) व (4) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 406, 415 एवं 420।	84	191
Sections 318(1) and 318(4) – See section 415 and 420 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 318(1) एवं 318(4) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 415 एवं 420।	179	429
Section 318(4) r/w/s 3(5) – See section 420 r/w/s 34 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 318(4) सहपठित धारा 3(5) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 420 सहपठित धारा 34।	254	603
Sections 318(4), 336(3), 340(2) and 62 – See sections 420, 468, 471 and 511 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 318(4), 336(3), 340(2) एवं 62 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 420, 468, 471 एवं 511।	269	631

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 318(4), 238 and 61(2) – See sections 420, 201 and 120B of the Indian Penal Code, 1860. धाराएं 318(4), 238 एवं 61(2) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 420, 201 एवं 120ख।	120	280
Sections 343 and 457 – See section 306 and 417 of the Indian Penal Code, 1860. धाराएं 343 एवं 457 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 306 एवं 417।	81	181
BHARATIYA SAKSHYA ADHINIYAM, 2023		
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023		
Section 2 – See section 3 of the Evidence Act, 1872. धारा 2 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3।	134	324
Sections 2, 6 r/w/s 23(2) and 39(1) – See sections 3, 8 r/w/s 27 and 45 of the Evidence Act, 1872. धाराएं 2, 6 सहपठित धारा 23(2) एवं 39(1) – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8 सहपठित धारा 27 एवं 45।	145	346
Sections 2, 7 and 23(2) – See sections 3, 9 and 27 of the Evidence Act, 1872. धाराएं 2, 7 एवं 23(2) – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 9 एवं 27। 19(ii)		36
Sections 2, 110 and 111 – See sections 3, 107 and 108 of the Evidence Act, 1872. धाराएं 2, 110 एवं 111 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 107 एवं 108।	12	24
Sections 2 and 124 – See sections 3 and 118 of the Evidence Act, 1872. धाराएं 2 एवं 124 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 118।	176	422
Section 2(1)(j) – See section 3 of the Evidence Act, 1872. धारा 2(1)(ज) – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3।	81	181
Sections 2(1)(j), 6 and 109 – See sections 3, 8 and 106 of the Evidence Act, 1872. धाराएं 2(1)(ज), 6 एवं 109 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8 एवं 106।	77	168
Sections 4 and 118 – See section 6 and 113-B of the Evidence Act, 1872. धाराएं 4 एवं 118 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 6 एवं 113-ख।	174	416
Section 7 – See section 9 of the Evidence Act, 1872. धारा 7 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 9।	136	328
Section 23 and 109 – See Sections 25 and 106 of the Evidence Act, 1872. धाराएं 23 और 109 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 25 एवं 106।	130	309
Sections 23(1), 23(2) and 23(2) – See sections 25, 26 and 27 of the Evidence Act, 1872. धाराएं 23(1), 23(2) एवं 23(2) – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 25, 26 एवं 27।	259	611
Sections 23(1), 23(2), 23(2) and 109 – See sections 25, 26, 27 and 106 of the Evidence Act, 1872. धाराएं 23(1), 23(2), 23(2) एवं 109 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 25, 26, 27 एवं 106।	264	622

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 23(2) – See section 145 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 23(2) – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145।	*169	404
Section 23(2) – See section 27 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 23(2) – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27।	118(v)	271
Sections 23 (2) proviso and 63 – See sections 27 and 65-B of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 23 (2) परन्तुक एवं 63 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 27 एवं 65-ख।	244	587
Section 26 – See Section 32 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 26 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32।	122	286
Section 26 – See section 32 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 26 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32।	*173	414
Section 26 – See section 32(1) of the Evidence Act, 1872.		
धारा 26 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32(1)।	13	26
Section 26 – See sections 32 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 26 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32।	123	287
Section 29 – See section 35 of the Evidence Act, 1872.		
नियम 29 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35।	25	51
Sections 39(1) and 59 – See sections 45 and 64 of the Evidence Act, 1872		
धाराएं 39(1) एवं 59 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 45 एवं 64।	126	296
Sections 44 and 72 – See sections 50 and 73 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 44 एवं 72 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 50 एवं 73।	277	645
Section 63 – See Section 65B of the Evidence Act, 1872.		
धारा 63 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख।	131	311
Section 63 – See section 65B of the Evidence Act, 1872.		
धारा 63 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख।	232	554
Section 64 – See section 59 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 64 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 59।	158	377
Section 67 – See section 68 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 67 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68।	14	28
Sections 105 and 119 – See sections 102 and 114 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 105 एवं 119 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 102 एवं 114।	218	519
Section 109 – See section 106 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 109 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106।	220	525
Sections 109, 124 and 139 – See sections 106, 118 and 134 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 109, 124 एवं 139 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 106, 118 एवं 134।	257	607

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 118 – See section 113-B of the Evidence Act, 1872.		
धारा 118 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ख।	221	529
Section 118 – See section 113B of the Evidence Act, 1872.		
धारा 118 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113ख।	222	532
Section 124 – See section 118 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 124 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118।	56	116
Section 137 – See section 132 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 137 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 132।	8	15
Sections 148 and 158 – See sections 145 and 155 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 148 एवं 158 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 145 एवं 155।	170	405
Section 157 – See section 154 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 157 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 154।	78	172
Section 168 – See section 165 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 168 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 165।	68	148
BHU-RAJASVA SANHITA (BHU ABHILEKHO ME N.MANTARAN)		
NIYAM, 2018 (M.P.)		
भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 (म.प्र.)		
Rule 3 – See Section 109, 110, 111 and 257 of the Land Revenue Code, 1959 (MP)		
नियम 3 – देखें भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) की धाराएं 109, 110, 111 एवं 257।	103	234
CENTRAL MOTOR VEHICLES RULES, 1989		
केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989		
Rule 9 – See sections 11 and 149 of the Motor Vehicles Act, 1988.		
नियम 9 – देखें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं 11 एवं 149।	184	443
CIVIL PROCEDURE CODE, 1908		
सिविल प्रकिया संहिता, 1908		
Section 9 – See section 2(1)(c)(vi) of the Commercial Courts Act, 2015.		
धारा 9 – देखें वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 2(1)(ग)(vi)।	163	386
Section 9 – See Sections 109, 110, 111 and 257 of the Land Revenue Code, 1959 (M.P.).		
धारा 9 – देखें भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) की धाराएं 109, 110, 111 एवं 257।	103	234
Section 11 – <i>Res judicata</i> – Maintenance petition filed by the respondent was closed by the Family Court in 2010, with the possibility of revival only if decision of the Civil Court regarding paternity was overturned in appeal – Appeal did not succeed and the judgment of the High Court attained finality.		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धारा 11 – पूर्व न्याय – प्रत्यर्थी द्वारा दायर भरण-पोषण याचिका 2010 में कुटुम्ब न्यायालय द्वारा इस निर्देश के साथ समाप्त कर दी गई थी, की यदि पितृत्व संबंधी सिविल न्यायालय का निर्णय अपील में पलट दिया जाता है तो याचिका को पुर्नस्थापित किया जा सकेगा।	114(ii)	261
Sections 11, 47 and 48 – Res judicata – Execution proceedings – Held, first execution petition was not adjudicated on merits and no issue or objection raise therein was decided by the court, therefore the second execution petition would not be barred by the principles of res judicata.		
धाराएं 11, 47 एवं 48 – पूर्व-न्याय – निष्पादन कार्यवाही – अभिनिर्धारित, प्रथम निष्पादन याचिका का गुण-दोष के आधार पर न्यायनिर्णयन नहीं किया गया था और उसमें उठाए गए किसी बिन्दु या आपत्ति पर न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं लिया गया था, इसलिए द्वितीय निष्पादन याचिका पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित नहीं होगी।	*104 (ii)	237
Section 11, Order 2 Rule 2 and Order 23 Rules 3 and 3A – Compromise decree – Only remedy against a compromise decree is to file a recall application before the court which had passed the decree.		
धारा 11, आदेश 2 नियम 2 एवं आदेश 23 नियम 3 एवं 3क – समझौता डिक्री – समझौता डिक्री के विरुद्ध केवल यह उपचार उपलब्ध है कि जिस न्यायालय द्वारा डिक्री पारित की गई थी के समक्ष डिक्री निरस्त करने हेतु वापसी आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।	152	364
Section 21 – Objection regarding lack of pecuniary jurisdiction – In execution proceedings only for the reason that decree passed by the Trial Court was lacking pecuniary jurisdiction, cannot be held to be a nullity and at the best can be said to be voidable.		
धारा 21 – आर्थिक क्षेत्राधिकार न होने के संबंध में आक्षेप – निष्पादन कार्यवाही में केवल इस कारण से कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में आर्थिक क्षेत्राधिकारिता का अभाव था, उसे अमान्य नहीं माना जा सकता और अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि वह शून्यकरणीय है।	54	107
Section 37 – See sections 5, 34, 38 and 40 of the Specific Relief Act, 1963.		
धारा 37 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धाराएं 5, 34, 38 एवं 40।	45	88
Section 37 – See section 28 of the Specific Relief Act, 1963.		
धारा 37 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 28।	46	89
Sections 47 and 151 – Permanent injunction – No limitation to enforce or execute a decree granting perpetual injunction.		
धाराएं 47 एवं 151 – स्थायी निषेधाज्ञा – स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने वाली आज्ञा को प्रभावी करने या निष्पादित करने के लिए कोई परिसीमा नहीं है।	200	481
Section 80 and Order 1 Rule 3A – See sections 131 and 257 of the Land Revenue Code, 1959 (M.P.).		
धारा 80 एवं आदेश 1 नियम 3-क – देखें भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) की धाराएं 131 एवं 257।	181	434

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 96, Order 1 Rule 10 and Order 22 Rule 4 – See section 52 of the Transfer of Property Act, 1882.		
धारा 96, आदेश 1 नियम 10 एवं आदेश 22 नियम 4 – देखें संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52।	99	226
Section 100 – Second appeal – Power of court with regards to framing of additional issues summarized.		
धारा 100 – द्वितीय अपील – अतिरिक्त मुद्दे निर्धारित करने के संबंध में न्यायालय की शक्ति का सार प्रस्तुत किया गया।	245	589
Section 100 – See section 34 of the Specific Relief Act, 1963.		
धारा 100 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34।	284	658
Section 100 and Order 41 Rule 27 – Declaration of title and possession – Claim of State to resume possession – No proof of surrender or resumption.		
धारा 100 एवं आदेश 41 नियम 27 – स्वामित्व और आधिपत्य की घोषणा – राज्य द्वारा पुनः आधिपत्य लेने का दावा – समर्पण या पुनः आधिपत्य लेने का कोई प्रमाण नहीं।	201	483
Section 114 and Order 47 Rule 1 – Review – Law pertaining to review explained.		
धारा 114 एवं आदेश 47 नियम 1 – पुनर्विलोकन – पुनर्विलोकन से संबंधित विधि की व्याख्या की गई।	1	1
Section 151 and Order 7 Rule 14 – Production of documents before commercial court – Documents could not be produced with plaint either due to <i>bona fide</i> mistake or documents were not in possession/custody of plaintiff – The Court permitted the plaintiff to produce such documents – Whether the order of the court was justified? Held, Yes.		
धारा 151 एवं आदेश 7 नियम 14 – वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण – दस्तावेजों को या तो सद्भाविक त्रुटि के कारण वादपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया जा सका या दस्तावेज वादी के कब्जे/अभिरक्षा में नहीं थे – न्यायालय ने वादी को ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी – क्या न्यायालय का आदेश न्यायोचित था? अभिनिर्धारित, हाँ।	105 (i)	238
Section 151 and Order 21 Rules 105 & 106 – Execution – When provisions of Order 21 rule 106 will not apply.		
धाराएं 151 एवं आदेश 21 नियम 105 एवं 106 – निष्पादन – का आदेश 21 नियम 106 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।	246(i)	591
Section 152 and Order 2 Rule 2 – Correction in judgment/order – When can be allowed?		
धारा 152 एवं आदेश 2 नियम 2 – निर्णय/आदेश में सुधार – कब किया जा सकता है?	2	3
Order 1 Rule 3A – Transfer of property during pendency of suit – Scope and applicability.		
आदेश 1 नियम 3क – वाद के लंबित रहने के दौरान संपत्ति का अंतरण – विस्तार और प्रयोज्यता।	153	366

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Order 1 Rule 10 – Proper/necessary party – Mere agreement to sale does not confer any title on the person in whose favour the agreement has been executed.		
आदेश 1 नियम 10 – उचित/आवश्यक पक्षकार – मात्र विक्रय अनुबन्ध उस व्यक्ति को कोई स्वत्व प्रदत्त नहीं करता जिसके पक्ष में अनुबंध निष्पादित किया गया है।	3	4
Order 1 Rule 10 – Suit for specific performance and permanent injunction – Heirs of original owner had fair semblance of title or interest and were necessary for effective adjudication, though not party to the said contract.		
आदेश 1 नियम 10 – विनिर्दिष्ट अनुपालन एवं स्थायी निषेधज्ञा का वाद – वास्तविक स्वामी के उत्तराधिकारी यद्यपि उक्त संविदा के पक्षकार नहीं थे, किंतु संपत्ति में उनके स्वत्व या हित निहित होने का उचित आभास होने से वे प्रकरण के प्रभावशाली निर्णयन के लिए आवश्यक थे।	154	368
Order 1 Rule 10 – See Sections 57 and 158 of the Land Revenue Code, 1959 (M.P.)		
आदेश 1 नियम 10 देखें भू-राजस्व संहिता, 1959 की धाराएं 57 एवं 158	137	331
Order 2 Rule 2 and Order 7 Rule 11 – (i) Suit to include whole claim – When it was not possible for the plaintiff to obtain a particular relief in the first suit and such relief becomes available to him on the happening of a subsequent event, then provision under Order 2 Rule 2 would not bar the subsequent suit for claiming those reliefs – Law explained and clarified.		
(ii) Bar to subsequent suit – Lifting of ban resulted in new cause of action distinct from earlier suit – Held, bar under Order 2 Rule 2 would not be applicable.		
आदेश 2 नियम 2 एवं आदेश 7 नियम 11 – (i) वाद के अंतर्गत संपूर्ण दावा होगा – जब वादी के लिए प्रथम वाद में कोई विशेष अनुतोष प्राप्त करना संभव नहीं था, और ऐसा अनुतोष उसे किसी पश्चातवर्ती घटना के घटित होने पर उपलब्ध होता है, तब आदेश 2 नियम 2 का प्रावधान उन अनुतोष को प्राप्त करने हेतु पश्चातवर्ती वाद का वर्जन नहीं करेगा – व्याख्या कर विधि स्पष्ट की गई।		
(ii) पश्चातवर्ती वाद का वर्जन – प्रतिबंध हटने के परिणामस्वरूप पूर्ण वाद से पृथक नवीन वाद कारण उत्पन्न हुआ – अभिनिर्धारित, आदेश 2 नियम 2 के अंतर्गत वर्जन लागू नहीं होगा।	55	112
Order 3 Rules 1 and 2 – Evidence of power of attorney holder – Power of attorney holder can appear as a witness in his personal capacity only.		
आदेश 3 नियम 1 व 2 – मुख्तारनामा धारक की साक्ष्य – मुख्तारनामा धारक केवल स्वयं की व्यक्तिगत हैसियत में ही साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकता है।	56	116
Order 6 Rule 17 – Suit for partition – Object of Order 6 Rule 17 CPC is aimed at preventing multiplicity or multiple avenues of litigations subsumed under the umbrella of one dispute – Liberal approach is to be adopted in consideration of such applications.		
आदेश 6 नियम 17 – विभाजन हेतु वाद – आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का उद्देश्य एक विवाद के अंतर्गत आने वाली वाद बाहुल्यता या मुकदमेबाजी के विभिन्न मार्गों को रोकना है – ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।	57	121
Order 6 Rule 17 – See sections 7, 11 and 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.		
आदेश 6 नियम 17 – देखें माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धाराएं 7, 11 एवं 34।		
	197	476

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Order 7 Rule 3 – Ownership – Proof of title – Presumption u/s 90 of the Evidence Act held inapplicable to the contents of document; it only applies to execution of genuine, original documents.		
Identification of property – Where document lacks clear identification of disputed property, including survey numbers and fails to connect itself with suit land, Court cannot draw inference in regard to the identity.		
आदेश 7 नियम 3 – स्वामित्व – स्वत्व का प्रमाण – साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अंतर्गत उपधारणा केवल वास्तविक मूल दस्तावेजों के निष्पादन पर लागू होती है उक्त उपधारणा दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के लिए प्रयोज्य न होना अभिनिर्धारित किया गया।		
– संपत्ति की पहचान – जहां दस्तावेज में सर्वेक्षण संख्या सहित विवादित संपत्ति की स्पष्ट पहचान का अभाव है एवं दस्तावेज वादग्रस्त भूमि से अपने आप को संबंधित करने में असफल रहता है, वहाँ न्यायालय पहचान के संबंध में अनुमान नहीं निकाल सकती।	155(i) & (ii)	369
Order 7 Rule 11 – Registered Will – Proof – Attestation – Non-cross-examination – Effect.		
आदेश 7 नियम 11 – पंजीकृत वसीयत – प्रमाण – अभिप्रमाणन – प्रतिपरीक्षण न किया जाना – प्रभाव।	247	592
Order 7 Rule 11 – Bar on suit – Suit property was purchased by the husband in the n.Me of his wife after paying sale consideration from his known sources – Such transaction does not come within the purview of ‘ben.Mi transaction’ u/s 2(9) of the Act.		
आदेश 7 नियम 11 – वाद वर्जन – पति द्वारा अपनी पत्नि के नाम पर अपने ज्ञात स्रोतों से विक्रय प्रतिफल का भुगतान कर वादग्रस्त संपत्ति क्रय की गई थी – ऐसा संव्यवहार अधिनियम की धारा 2(9) के अंतर्गत ‘बेनामी संव्यवहार’ की परिधि में नहीं आता।	102	232
Order 7 Rule 11 – Rejection of plaint – Predecessors of plaintiffs would be presumed to have notice of registered sale deeds.		
आदेश 7 नियम 11 – वादपत्र का नामजूर किया जाना – वादीगण के पूर्ववर्ती को पंजीकृत विक्रय विलेखों की सूचना होने की उपधारणा की जाएगी।	156	373
Order 7 Rule 11 – Partial rejection of plaint – Permissibility – Procedure to be followed by the court, explained.		
आदेश 7 नियम 11 – वादपत्र की आंशिक अस्वीकृति – अनुज्ञेयता – न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, स्पष्ट की गई।	106 (iii)	240
Order 7 Rule 11 – See Rule 24-A of the Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994 (M.P.).		
आदेश 7 नियम 11 – देखें म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 का नियम 24-क।	278	647
Order 7 Rule 11 – See section 26 of the Hindu Marriage Act, 1955 and section 11 of the Guardians and wards Act, 1890.		
आदेश 7 नियम 11 – देखें हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 26 एवं संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 11।	213	509

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Order 7 Rule 11 – Suit for declaration of title and injunction – When jurisdiction of Civil Court is expressly barred then Civil Court cannot examine question of applicability of Act of 1976 to suit land.		
आदेश 7 नियम 11 – स्वत्व घोषणा और निषेधाज्ञा का वाद – जब सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रत्यक्ष रूप से वर्जित है तब सिविल न्यायालय वाद भूमि के संबंध में अधिनियम, 1976 के प्रयोज्यता के प्रश्न का परीक्षण नहीं कर सकता।	107	246
Order 7 Rule 11 – Valuation of suit and court fees – Trial Court has no jurisdiction to dismiss the suit on such ground without determining the valuation of suit and Court fees.		
आदेश 7 नियम 11 – वाद का मूल्यांकन एवं न्यायालय शुल्क – विचारण न्यायालय को वाद का मूल्यांकन एवं न्यायालय शुल्क का निर्धारण किये बगैर ऐसे आधार पर वाद निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।	58	123
Order 7 Rule 11 and Order 23 Rule 1(3) – (i) Withdrawal of suit – If it is found that suit is likely to fail on account of some formal defect or there are sufficient grounds for allowing plaintiff to institute a fresh suit, power conferred under Order 23 Rule 1(3) CPC can be exercised by the court, even if application under Order 7 Rule 11 CPC is pending.		
(ii) Rejection of plaint – Application under Order 7 Rule 11 CPC can be decided at any stage of the suit.		
आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 23 नियम 1(3) – (i) वाद का वापिस लिया जाना – यदि यह पाया जाता है कि किसी औपचारिक दोष के कारण वाद के असफल होने की संभावना है या वादी को नया वाद संस्थित करने की मंजूरी देने के लिये पर्याप्त आधार हैं, तब सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1(3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा किया जा सकता है भले ही सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन लंबित हो।		
(ii) वाद नामंजूर किया जाना – सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन वाद के किसी भी प्रक्रम पर विनिश्चित किया जा सकता है।	4	6
Order 7 Rule 11 and Order 30 Rule 10 – Suit against sole-proprietor – Suit for eviction – Rejection of plaint – Held, concerning proprietorship is not a juristic person – It is only a trade name of the proprietor.		
आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 30 नियम 10 – एकल स्वामित्व के विरुद्ध वाद – निष्कासन का वाद – वाद पत्र का नमंजूर होना – अभिनिर्धारित, स्वामित्व प्रतिष्ठान कोई विधिक व्यक्ति नहीं होता।	248	594
Order 8 Rules 1 & 10 – (i) Written statement in commercial suit – Mandatory timeline of 120 days.		
(ii) Cross-examination – Procedural law being a handmaid of justice, rigid adherence to procedure cannot result in denial of substantive defence, particularly when the defendant had taken steps to seek extension within the excluded limitation period.		
आदेश 8 नियम 1 एवं 10 – (i) वाणिज्यिक वाद में लिखित कथन – 120 दिनों की अनिवार्य समय-सीमा।		
(ii) प्रतिपरीक्षण – प्रक्रिया संबंधी विधि न्याय की सहायक होती है, अतः प्रक्रिया का कठोर अनुपालन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे प्रतिवादी के वास्तविक प्रतिरक्षा का अधिकार छिन जाए, विशेषकर जब प्रतिवादी ने अपवर्जित सीमा अवधि के भीतर विस्तार प्राप्त करने के प्रयास किये हों।		
	249	595

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Order 9 Rule 13 and Order 18 Rule 2 – (i) Application to set aside <i>ex parte</i> decree under Order 9 rule 13 – Legality.		
(ii) <i>Ex parte</i> proceedings – Where written statement filed by the defendant is on record, he has a right to adduce evidence in support of his case.		
आदेश 9 नियम 13 एवं आदेश 18 नियम 2 – (i) एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने हेतु आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन – वैधानिकता।		
(ii) एकपक्षीय कार्यवाही – जहां प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन अभिलेख पर हो, वहां उसे अपने पक्ष समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार होता है।	157	375
Order 14 Rule 2 – See sections 166 and 169 of the Motor Vehicles Act, 1988.		
आदेश 14 नियम 2 – देखें मोटर यान अधिनियम, 1988 की धाराएं 166 एवं 169।	35	67
Order 14 Rule 2 and Order 13 Rule 4 – Preliminary issues – Scope and limitation – Where pleadings raised disputed facts requiring proof and plaintiff failed to adduce evidence despite several opportunities, trial Court was found to have acted within jurisdiction in dismissing the suit for want of evidence.		
आदेश 14 नियम 2 एवं आदेश 13 नियम 4 – प्रारंभिक विवादक – क्षेत्र-विस्तार एवं सीमा – जहां अभिवचन से विवादित तथ्य उत्पन्न होते हैं, जिन्हें प्रमाण की आवश्यकता है एवं अनेक अवसर होते हुए वादी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा, वहाँ साक्ष्य के अभाव में वाद को खारिज करने में विचारण न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के अधीन कार्यवाही किया जाना माना गया।	158	377
Order 21 Rule 16 – (i) Execution of decree by transferee – Scope – Where a decree is transferred by assignment, the transferee may apply for execution under Order 21 Rule 16 CPC.		
(ii) Notice to judgment debtor – No general mandate in Order 21 CPC requiring notice to judgment debtor in cases of execution by the original decree holder.		
आदेश 21 नियम 16 – (i) अंतरिती द्वारा डिक्री का निष्पादन – विस्तार – जहां डिक्री का समनुदेशन द्वारा अंतरण हुआ है, वहां अंतरिती आदेश 21 नियम 16 सीपीसी के अंतर्गत निष्पादन के लिए आवेदन कर सकता है।		
(ii) निर्णीतऋणी को सूचना-पत्र – आदेश 21 सीपीसी में मूल डिक्री धारक द्वारा निष्पादन कराए जाने के मामलों में निर्णीतऋणी को सूचना-पत्र देने की आवश्यकता के लिए कोई सामान्य अनुदेश नहीं है।	108	249
Order 21 Rules 97 and 99 – (i) Execution proceeding – “Any person” not a party to the suit can seek re-delivery, after he has been dispossessed – A term stranger transferee would cover within its ambit a <i>pendent lite</i> transferee, who has not been impleaded as a party to the suit.		
(ii) Suit property transferred during pendency of suit – It was incumbent on the decree-holder to have impleaded the transferee by filing application under Order 21 Rule 97, CPC.		
आदेश 21 नियम 97 एवं 99 – (i) निष्पादन कार्यवाही – “कोई व्यक्ति” जो वाद का पक्षकार नहीं है उसे आधिपत्यच्युत बेकब्जा किए जाने के पश्चात् उसकी पुर्नप्राप्ति की मांग कर सकता है – “अपरिचित” शब्द की परिधि में ऐसा वादकालीन अंतरिती भी सम्मिलित होगा जिसे वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) वादग्रस्त सम्पत्ति वाद के लंबन के दौरान अन्तरित की गई – डिक्रीधारी के लिए यह आवश्यक था कि वह आदेश 21 नियम 97 सी.पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत कर ऐसे अन्तरिती को पक्षकार बनाता।	109	250
Order 22 Rule 3, 4, 9 and 10A – (i) Substitution of legal representatives upon death of a party – The broader aim is to adjudicate cases on substantive arguments, courts prefer not to punish litigants for minor technical errors – This principle often leads to a liberal approach when interpreting procedural rules.		
(ii) Death of party – Appropriate sequence in which remedies are available to have an order for setting aside abatement of suit/ appeal explained.		
(iii) Duty of the pleader – Rule 10-A was added to the CPC in 1976 to lessen the hardship for opposing parties who were unaware of another party’s death, especially during appeals.		
आदेश 22 नियम 3, 4, 9 एवं 10क – (i) किसी पक्षकार की मृत्यु होने पर विधिक प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन – व्यापक उद्देश्य सारवान तर्कों के आधार पर मामलों का न्यायनिर्णयन करना है, न्यायालय तुच्छ तकनीकी त्रुटियों के लिए पक्षकारों को दंडित करने को वरीयता नहीं देता है – यह सिद्धांत प्रक्रियात्मक नियमों की व्याख्या करते समय बहुधा एक उदार दृष्टिकोण की ओर ले जाता है।		
(ii) पक्षकार की मृत्यु – वाद/अपील में उपशमन को अपास्त करने के लिए उपलब्ध उपचारों का उचित क्रम समझाया गया।		
(iii) अधिवक्ता का कर्तव्य – नियम 10-क को 1976 में सी.पी.सी. में उन विरोधी पक्षकारों की कठिनाई को कम करने के लिए जोड़ा गया था जो किसी अन्य पक्षकार की मृत्यु से अनभिज्ञ हैं, विशेषतः से अपील के दौरान।	110	253
Order 22 Rule 4 – Substitution of legal representatives in appeal – Whether the appellate court can entertain the application for substitution of the legal representatives without setting aside the abatement? Held, No.		
आदेश 22 नियम 4 – अपील में विधिक प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन – क्या अपील न्यायालय उपशमन को अपास्त किए बिना विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के आवेदन पर विचार कर सकता है? अभिनिर्धारित, नहीं।	159	378
Order 23 Rule 3 – See sections 6 and 34 of the Specific Relief Act, 1963 and section 52 of the Transfer of Property Act, 1882.		
आदेश 23 नियम 3 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धाराएं 6 एवं 34 एवं संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52।	190	458
Order 26 Rule 9 – Suit for permanent injunction – Boundary dispute – Settled Law is that in cases of boundary/encroachment disputes, local investigation through commissioner’s report is a legal necessity.		
आदेश 26 नियम 9 – स्थायी निषेधाज्ञा का वाद – सीमा का विवाद – विधि स्थापित है कि सीमा/अतिक्रमण के मामलों में कमिश्नर की रिपोर्ट द्वारा स्थानीय निरीक्षण किया जाना एक विधिक आवश्यकता है।	160	380

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Order 37 Rule 3 – Summary Suit – In a summary suit under Order 37 CPC, a defendant cannot file a reply/defence unless leave to defend is sought and granted.		
आदेश 37 नियम 3 – संक्षिप्त वाद – आदेश 37 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संक्षिप्त वाद में, प्रतिवादी तब तक कोई उत्तर/प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं कर सकता जब तक कि उसने प्रतिरक्षा की अनुमति प्राप्त न की हो।	250	597
Order 37 Rule 3(5) – Summary suit – Leave to defend – Where court has already formed an opinion that the defendants have made out a triable case, in such circumstances, the Civil Court was not justified in imposing condition of furnishing solvent surety.		
आदेश 37 नियम 3(5) – संक्षिप्त वाद – प्रतिरक्षा की इजाजत – जहाँ न्यायालय ने पहले ही यह राय बना ली है कि प्रतिवादियों का मामला विचारण योग्य है तब ऐसी परिस्थितियों में, सिविल न्यायालय द्वारा ऋणशोधकम प्रतिभूति प्रस्तुत करने की शर्त लगाना न्यायोचित नहीं था।	59	125
Order 39 Rules 1 and 2 – Injunction – Issues of partnership and effect of family settlement require trial.		
आदेश 39 नियम 1 एवं 2 – निषेधाज्ञा – साझेदारी और पारिवारिक समझौते के प्रभाव से संबंधित विषयों का विचारण आवश्यक।	251	598
Order 39 Rule 1 and 2 – See section 131 of the Land Revenue Code, 1959 (M.P.).		
आदेश 39 नियम 1 एवं 2 – देखें भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) की धारा 131।	272	637
Order 39 Rules 1 and 2 – Temporary injunction – Said document is inadmissible without proper stamp duty which is also a condition precedent for considering prayer of injunction.		
आदेश 39 नियम 1 एवं 2 – अस्थायी निषेधाज्ञा – उक्त दस्तावेज पर्याप्त स्टाम्प शुल्क के बिना अग्राह्य है जो निषेधाज्ञा की प्रार्थना पर विचार हेतु भी पूर्वगामी शर्त है।	161	382
Order 39 Rule 2A – See section 12 of the Contempt of Courts Act, 1971.		
आदेश 39 नियम 2क – देखें न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 12।	203	586
Order 39 Rule 2(1) r/w/s 151 and Order 43 Rule 1(r) – (i) Interim injunction in suit for defamation – Publication of journalistic article – Test for grant of injunction – “Bonnard standard”.		
(ii) Interim injunction – Fair comment in public interest and for public participation cannot be restrained – Injunction warranted only in exceptional cases where the article is malicious, palpably false or where defence is bound to fail in trial.		
(iii) Grant of <i>ex parte ad interim</i> injunction – While granting interim relief, the court must provide detailed reasons and analyse how the threefold test is satisfied.		
आदेश 39 नियम 2(1) सहपठित धारा 151 एवं आदेश 43 नियम 1(द) – (i) मानहानि के वाद में अंतरिम निषेधाज्ञा – पत्रकारिता लेख का प्रकाशन – निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए परीक्षण – “बोनार्ड मानक”।		
(ii) अंतरिम निषेधाज्ञा – लोक हित में और सार्वजनिक भागीदारी के लिए निष्पक्ष टिप्पणी पर रोक नहीं लगाई जा सकती – निषेधाज्ञा केवल आपवादिक मामलों में ही अनुमत होगी जहां लेख दुर्भावनापूर्ण, स्पष्ट रूप से मिथ्या हो या जहां विचारण में बचाव का विफल होना निश्चित हो।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(iii) एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना – अंतरिम अनुतोष प्रदान करते समय, न्यायालय को विस्तृत कारण देना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए कि त्रिस्तरीय परीक्षण की कैसे संतुष्टि होती है।	60	127
Order 41 Rule 22 – Modification of a decree by the appellate decree – In absence of an appeal or cross-objection by the plaintiff, the appellate court cannot enlarge or modify the decree to the plaintiff's advantage by reversing adverse findings.		
आदेश 41 नियम 22 – आज्ञापति में अपीलीय न्यायालय द्वारा संशोधन – वादी द्वारा कोई अपील या प्रतिवाद प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में, अपीलीय न्यायालय प्रतिकूल निष्कर्षों को पलटते हुए वादी के पक्ष में आज्ञापति का विस्तार या संशोधन नहीं कर सकता।	277(ii)	645
Order 41 Rule 27 – Partition and succession – Claim of half share in ancestral property.		
आदेश 41 नियम 27 – विभाजन एवं उत्तराधिकार – पैतृक संपत्ति में आधे अंश का दावा।	162	383
Order 47 Rule 1 – Motor accident compensation – Review – Delay.		
आदेश 47 नियम 1 – मोटर दुर्घटना मुआवजा – पुनर्विचार – विलंब।	252	600
Order 47 Rule 1 – Review – Grounds for review were summarized.		
आदेश 47 नियम 1 – पुनर्विलोकन – पुनर्विलोकन के आधारों का सार प्रस्तुत किया गया।	253	601
COMMERCIAL COURTS ACT, 2015		
वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015		
Section 2(1)(c)(vi) – Jurisdiction of Commercial Court – Use of the term ‘Construction and infrastructure contract’s has to be taken as single phrase.		
धारा 2(1)(ग)(vi) – वाणिज्यिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार – ‘निर्माण और अधोसंरचना संविदाओं’ शब्द का प्रयोग एकल चरण के रूप में किया जाना चाहिए।	163	386
Section 12 – See order 8 rules 1 & 10 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 12 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 8 नियम 1 एवं 10।	249	595
Section 15(2) – Commercial Suit – Jurisdiction – Specified value limit of 3 lakh will be applicable prospectively and not retrospectively.		
धारा 15(2) – वाणिज्यिक वाद – क्षेत्राधिकार – तीन लाख रुपये के विनिर्दिष्ट मूल्य की सीमा भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होगी न कि भूतलक्षी प्रभाव से।	*111	255
COMMERCIAL COURTS, COMMERCIAL DIVISION AND COMMERCIAL APPELLATE DIVISION OF HIGH COURTS (AMENDMENT) ACT, 2018		
वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालयों का वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग (संशोधन) अधिनियम, 2018		
Section 19 – See Section 15(2) of the Commercial Courts Act, 2015.		
धारा 19 – देखें वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 15(2)।	*111	255

Act/ Topic	Note No.	Page No.
CONSTITUTION OF INDIA		
भारत का संविधान		
Article 19(1)(a) and 21 – See Order 39 Rule 2(1) r/w/s 151 and Order 43 Rule 1(r) of the Civil Procedure Code, 1908.		
अनुच्छेद 19(1)(क) एवं 21 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 39 नियम 2(1) सहपठित धारा 151 एवं आदेश 43 नियम 1(द)।	60	127
Articles 19(1)(g) and 300 – See sections 47-A and 47-D of the Excise Act, 1915 (M.P.) and Sections 4, 5, 6, 6-A, 6-B and 11(5) of the Govansh Vadh Pratishedh Adhinyam, 2004 (M.P.).		
अनुच्छेद 19(1)(ख) एवं 300 – देखें आबकारी अधिनियम, 1915 (म.प्र.) की धाराएं 47-क एवं 47-घ एवं गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 (म.प्र.) की धाराएं 4, 5, 6, 6-क, 6-ख एवं 11(5)।	209	501
Articles 20 and 21 – See sections 54, 167, 200, 202, 437 and 438 r/w/s 156 and 173 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
अनुच्छेद 20 एवं 21 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 54, 167, 200, 202, 437 एवं 438 सहपठित धाराएं 156 व 173।	61	130
Article 20(3) – See section 319 of the Criminal Procedure Code, 1973, section 358 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, section 132 of the Evidence Act, section 137 of the Bharatiya Sakshya Adhinyam, 2023.		
अनुच्छेद 20(3) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 358, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 132 का परंतुक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 137।	8	15
Article 20(3) – See section 388 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
अनुच्छेद 20(3) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 388।	*255	605
Articles 20(3) and 21 – Protection against self-incrimination – Personal liberty – Narco-analysis test – Court while considering a bail application, cannot order or endorse scientific or invasive techniques like narco-analysis, brain mapping or polygraph tests.		
अनुच्छेद 20(3) एवं 21 – स्वयं को दोषयुक्त करने से संरक्षण – व्यक्तिगत स्वतंत्रता – नार्को-विश्लेषण परीक्षण – न्यायालय, जब जमानत याचिका पर विचार कर रहा हो, तब वैज्ञानिक या आक्रामक तकनीकों जैसे नार्को-विश्लेषण, ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफ परीक्षण का आदेश नहीं दे सकता और न ही उसका समर्थन कर सकता।	202	485
Article 21 – See section 6 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.		
अनुच्छेद 21 – देखें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6।	238	570
Article 21 – See section 84 of the Indian Penal Code, 1860.		
अनुच्छेद 21 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 84।	215	512

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Articles 21 and 39-A – Constitutional/Fundamental rights – Right to get legal aid – Failure to provide legal aid to accused.		
अनुच्छेद 21 एवं 39-क – संवैधानिक/मौलिक अधिकार – विधिक सहायता पाने का अधिकार – अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान करने में विफलता।	118 (iv)	271
Article 136 – See section 20 of the Specific Relief Act, 1963.		
अनुच्छेद 136 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20।	192	463
Article 141 – Law declared by Supreme Court – Effect on pending cases.		
अनुच्छेद 141 – उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि – लंबित मामलों पर प्रभाव।	164(iii)	388
Article 141 – See sections 166 and 173 of the Motor Vehicles Act, 1988.		
अनुच्छेद 141 – देखें मोटरयान अधिनियम, 1988 – धाराएं 166 एवं 173।	185	445
Article 142 – See sections 13, 13-B, 24 and 25 of the Hindu Marriage Act, 1955.		
अनुच्छेद 142 – देखें हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धाराएं 13, 13-ख, 24 एवं 25।	74	161
CONTEMPT OF COURTS ACT, 1971		
न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971		
Section 12 – Contempt of court – <i>Locus standi</i> – Contempt jurisdiction cannot be invoked to enforce directions that were not intended for the benefit of the petitioner.		
धारा 12 – अवमानना का प्रकरण – पक्षकारता – अवमानना क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन निर्देशों को लागू करने के लिए नहीं किया जा सकता जो याचिकाकर्ता के लाभ के लिए नहीं थे।	203	486
CONTRACT ACT, 1872		
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872		
Section 11 – See Sections 6 and 34 of the Specific Relief Act, 1963 and Article 65 of the Limitation Act, 1963.		
धारा 11 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धाराएं 6 एवं 34 और परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुच्छेद 65।	148	356
Section 207 and 208 – See section 34 of the Specific Relief Act, 1963 and Article 58 of the Limitation Act, 1963.		
धारा 207 एवं 208 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 एवं परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुच्छेद 58।	49	97
COPYRIGHT ACT, 1957		
प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957		
Sections 63 and 65 – See section 2 (wa), 372, 374 and 378 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 63 एवं 65 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 2(बक), 372, 374 एवं 378।	204	488

Act/ Topic	Note No.	Page No.
COURT FEES ACT, 1870		
न्यायशुल्क अधिनियम, 1870		
Section 7(4)(c) – See Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 7(4)(ग) – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 11।	58	123
Sections 7(v) and 7(vi) – See Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धाराएं 7(v) एवं 7(vi) – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – आदेश 7 नियम 11।	247	592
Section 7(v)(a) – Suit for declaration and possession – Plaintiff was not a signatory or party to the sale deed and mortgage deed – Held, Plaintiff is not required to pay <i>Ad valorem</i> court fees.		
धारा 7(फ)(क) – घोषणा और आधिपत्य के लिए वाद – वादी को मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।	106(ii)	240
CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973		
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973		
Sections 2(wa), 372, 374 and 378 – Right of victim to appeal – Maintainability – Scope – Distinction between “victim” and “complainant/informant”.		
धाराएं 2(बक), 372, 374 एवं 378 – पीड़ित के अपील के अधिकार – स्वीकार्यता – क्षेत्र – “पीड़ित” और “शिकायतकर्ता /सूचनादाता” के बीच अंतर।	204	488
Sections 41 and 50 – (i) Arrest without warrant – Non-compliance of mandatory requirement of informing grounds of arrest, is violation of Article 21 and Article 22(1) of the Constitution – Such non-compliance vitiates the arrest of the accused as well the order of remand passed by the court.		
(ii) Non-production of accused within 24 hours – Any deviation from the 24-hour deadline for presenting the accused before the court cannot be accepted –Even in cases where there is a statutory restriction on the grant of bail, it would be a ground of bail – Procedural guidelines were laid down.		
(iii) Grounds of arrest – Requirement to be informed.		
धाराएं 41 एवं 50 – (i) बिना वारंट के गिरफ्तारी – गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन न करना, संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 (1) का उल्लंघन है – इस प्रकार का अनानुपालन अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ-साथ न्यायालय द्वारा पारित अभिरक्षा के आदेश को भी दुषित करता है।		
(ii) अभियुक्त का 24 घण्टे की अवधि के भीतर प्रस्तुत न किया जाना – अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की 24 घंटे की समय-सीमा से किसी प्रकार का व्यतिक्रम स्वीकार नहीं किया जा सकता – ऐसे मामलों में भी जहां जमानत देने पर वैधानिक प्रतिबंध है, वहां भी यह जमानत देना का आधार होगा – प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश जारी किये गए।		
(iii) गिरफ्तारी के आधार – सूचित किए जाने की आवश्यकता।	112	256

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 54, 167, 200, 202, 437 and 438 r/w/s 156 and 173 – (i) Interim anticipatory bail – Non-cooperation by the accused is one matter and the accused refusing to confess the crime is another one.		
(ii) Confession recorded during investigation – Any confession made by the accused before a police officer is inadmissible in evidence and cannot even form part of the record.		
(iii) Police remand – Whether can be sought to find out the criminal antecedents of the accused? Held, No.		
(iv) Application for police remand – Courts are not expected to act as messengers of the investigating agencies and the remand applications should not be allowed in a routine manner.		
(v) Custodial violence – As per the mandate of section 54 CrPC, law requires that the moment the accused made a complaint of torture in police custody, it was incumbent upon the Magistrate concerned to have got the accused subjected to medical examination.		
धाराएं 54, 167, 200, 202, 437 एवं 438 सहपठित धाराएं 156 व 173 – (i) अंतरिम अग्रिम जमानत – अभियुक्त द्वारा अनुसंधान में असहयोग करना एक बात है और अभियुक्त द्वारा अपराध की संस्वीकृति करने से इंकार करना अलग बात है।		
(ii) अनुसंधान के दौरान अभिलिखित संस्वीकृति – पुलिस अधिकारी के समक्ष अभियुक्त द्वारा की गई कोई भी संस्वीकृति साक्ष्य में अग्राह्य है और यह अभिलेख का भाग भी नहीं बन सकती।		
(iii) पुलिस रिमाण्ड – क्या अभियुक्त के आपराधिक अतीत का पता लगाने के लिए पुलिस रिमाण्ड मांगी जा सकती है? अभिनिर्धारित, नहीं।		
(iv) पुलिस रिमाण्ड के लिए आवेदन – न्यायालयों से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे अनुसंधान एजेंसियों के संदेशवाहक के रूप में कार्य करें और रिमाण्ड आवेदनों को सामान्य रूप से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।		
(v) अभिरक्षा में हिंसा – दं.प्र.सं. की धारा 54 की आज्ञा अनुसार, विधि की यह अपेक्षा है कि जिस क्षण अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में प्रताड़ना की शिकायत करे, संबंधित मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण करवाए।	61	130
Sections 88, 437 and 438 – Bail – Grant of bail – Economic offences – Held, filing of chargesheet by itself not a ground for grant of bail.		
धाराएं 88, 437 एवं 438 – जमानत – जमानत का अनुदान – आर्थिक अपराध – अभिनिर्धारित, केवल अभियोग-पत्र प्रस्तुत करना जमानत देने का आधार नहीं हो सकता।	254	603
Section 125 – Maintenance – Entitlement and standard of proof – Strict proof of marriage is not essential as in matrimonial proceedings – Even long co-habitation as husband and wife leads to presumption that they are legally married couple for claim of maintenance of wife.		
धारा 125 – भरण-पोषण – पात्रता एवं प्रमाण का स्तर – विवाह का कठोर प्रमाण आवश्यक नहीं, जैसा कि वैवाहिक कार्यवाहियों में होता है – यहां तक कि पति-पत्नी के रूप में लंबे सहचर्य से यह उपधारणा होती है कि पत्नी के भरण-पोषण के मामले में वे विधितः वैवाहिक जोड़ा है।		
	113	259
Section 125 – Presumption of legitimacy – DNA test – Section 112 of the Evidence Act creates a conclusive proof of legitimacy if the child is born during a valid marriage and the		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
husband had access to the wife – Presumption can only be rebutted by proof of “non-access” and not mere on allegations of adultery or presumed biological ties.		
धारा 125 – (i) धर्मजता की उपधारणा – डीएनए परीक्षण – भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार, यदि शिशु वैध विवाह के दौरान जन्मा है और पति को पत्नी तक पहुंच प्राप्त थी, तो वह धर्मजता का निर्णायक प्रमाण माना जाता है।	114(i)	261
Section 125(4) – Maintenance – Adultery u/s 125(4) CrPC has to be continuous and liability to prove the same is upon the husband – Wife can be denied maintenance only when she is actually ‘living in adultery’ at or around the time of filing of application u/s 125 CrPC.		
धारा 125(4) – भरणपोषण – संहिता की धारा 125(4) के अंतर्गत जारकर्म निरंतर होना चाहिए और इसे साबित करने का भार पति पर है – पत्नी को भरणपोषण से केवल तब वंचित किया जा सकता है जब वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन के समय या उसके आसपास वास्तव में ‘जारता का जीवन व्यतीत कर रही हो’।	5	8
Section 125(4) – Maintenance to wife – Effect of decree of restitution of conjugal rights – Mere passing of such decree is not sufficient to attract disqualification u/s 125 (4) of the Code.		
धारा 125(4) – पत्नी को भरण-पोषण – दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की डिक्री का प्रभाव – ऐसी डिक्री का पारित होना मात्र संहिता की धारा 125(4) के अंतर्गत अयोग्यता को आकर्षित करने हेतु पर्याप्त नहीं है।	62	134
Section 154 – Appreciation of evidence – Unexplained delay in acting lawfully raises significant questions about the credibility of the overall prosecution case.		
धारा 154 – साक्ष्य का मूल्यांकन – विधिक रूप से कार्य करने में हुआ अस्पष्टीकृत विलंब अभियोजन के समग्र मामले की विश्वसनीयता पर महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह लगाता है।	19(i)	36
Sections 154, 156(3), 157(1), 200, 203 and 362 – (i) Preliminary inquiry by police before registration of FIR – If after conducting the preliminary inquiry police comes to the conclusion that no cognizable offence is made out, then the police cannot sit upon the report – Police should file its report to the concerning Magistrate – Strict directions issued to DGP and all the Police Officers across the State.		
(ii) Bar created by section 362 CrPC with respect to review of orders – Applicability.		
धाराएं 154, 156(3), 157(1) 200, 203 एवं 362 – (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किए जाने के पूर्व पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच – यदि प्रारंभिक जांच उपरांत पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कोई संज्ञेय अपराध गठित नहीं होता तब पुलिस ऐसी रिपोर्ट को रोककर नहीं रख सकती – पुलिस को अपनी रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना चाहिए – प्रदेश के डीजीपी एवं समस्त पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए।		
(ii) आदेशों के पुनर्विलोकन के संबंध में धारा 362 दं.प्र.सं. द्वारा सृजित वर्जन – प्रयोज्यता।		
	115	263

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 154, 156(3), 190, 300 and 482 – FIR – Application u/s 156(3) CrPC – Preconditions and scope – Ordinarily, complainant must exhaust remedies u/s 154(1) and (3) before invoking Section 156(3), but failure to do so is a procedural irregularity, not illegality.		
धाराएं 154, 156(3), 190, 300 एवं 482 – प्रथम सूचना रिपोर्ट – धारा 156(3) दं.प्र.स. के अंतर्गत आवेदन – पूर्व शर्तें और क्षेत्र – सामान्यतः, शिकायतकर्ता को धारा 154(1) और (3) के अनुरूप उपचारों का अनुसरण करने के उपरांत ही धारा 156(3) का सहारा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा न करना प्रक्रिया संबंधी त्रुटि है, अवैधता नहीं।	205	491
Sections 155(2), 195 and 482 – Quashing of proceedings – Ingredients of offences – Cognizance based on police report violates Section 195 CrPC, which mandates complaint by aggrieved public servant or superior.		
धाराएं 155(2), 195 एवं 482 – कार्यवाही को अपास्त करना – अपराधों के तत्व – अभियोग पत्र के आधार पर संज्ञान लेना धारा 195 दण्ड प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन है, जो पीड़ित लोक सेवक या उसके वरिष्ठ द्वारा शिकायत को अनिवार्य करता है।	206	493
Section 156(3) – Registration of FIR – Direction by Magistrate u/s 156(3) –Magistrate is not expected to mechanically direct investigation by police without first examining whether in the facts and circumstances of the case, investigation by the police is really required.		
धारा 156(3) – प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना – धारा 156(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश – मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षित नहीं है कि वह मामले के तथ्य और परिस्थितियों में, पुलिस अनुसंधान की वास्तविक आवश्यकता का पूर्व परीक्षण किये बगैर यांत्रिक रूप से पुलिस अनुसंधान का निर्देश दे।	63(i)	136
Section 161 – Hostile witness – Testimony of such a witness is subjected to close scrutiny, which may be discarded as a matter of prudence, when Court finds the witness wholly discredited, warranting the exclusion of the evidence <i>in toto</i>.		
Minor discrepancies, when not fatal – Discrepancies regarding the place and time of recording the police statement of witnesses or as to who reached the hospital at an earlier point of time, is not material, when testimony was recorded 4-6 years after the date of incidence.		
धारा 161 – पक्षद्रोही साक्षी – ऐसे साक्षी की साक्ष्य सूक्ष्म परीक्षण के अधीन होती है जिसे विवेक पूर्वक त्यागा जा सकता है जब न्यायालय ऐसे साक्षी को पूर्णतः अविश्वसनीय पाते हुए उसकी संपूर्ण साक्ष्य को पृथक किये जाने योग्य पाता है।		
सूक्ष्म विसंगतियां, कब घातक नहीं – साक्षियों के पुलिस कथन लेख करने के समय एवं स्थान अथवा समयानुसार पहले कौन चिकित्सालय पहुंचा, के संबंध में विसंगति सारवान नहीं है, जब उनकी साक्ष्य घटना के 4-6 वर्ष उपरान्त अंकित की गई थी।	78 (ii)&(iii)	172
Section 161 – Statement – Mere delay in recording statement under Section 161 CrPC does not <i>ipso facto</i> render evidence unreliable unless prejudice or tutoring is established.		
धारा 161 – बयान – धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बयान दर्ज करने में मात्र देरी से साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाता जब तक कि पूर्वग्रह या सिखाए जाने की बात सिद्ध न हो।	257(ii)	607

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 161 and 162 – See section 145 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 161 एवं 162 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145।	*169	404
Sections 173 and 202 – Second complaint – Maintainability.		
धाराएं 173 एवं 202 – द्वितीय परिवाद – पोषणीयता।	116	267
Sections 190 and 195 – Cognizance of offence – No written complaint was made by the public servant – Complaint was made in the form of one letter but that was addressed to the Executive Magistrate and not to the Judicial Magistrate – Cognizance was found to be illegal.		
धाराएं 190 एवं 195 – अपराध का संज्ञान – लोक सेवक द्वारा कोई लिखित शिकायत नहीं की गई थी – शिकायत एक पत्र के रूप में की गई थी लेकिन वह कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को संबोधित थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं – संज्ञान, अवैधानिक पाया गया।	64(i)	139
Sections 195 and 397/401 – Bar u/s 195 CrPC – If document is forged outside the Court and produced before the Court, bar on cognizance would not apply.		
धाराएं 195 एवं 397/401 – धारा 195 दं.प्र.सं. का वर्जन – यदि दस्तावेज न्यायालय के बाहर कूटरचित हुआ है और न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तब संज्ञान पर वर्जन लागू नहीं होगा।	128 (i)	303
Section 197 – Sanction of prosecution – Demolition of illegal construction by public servant – Act performed in discharge of official duties – Law well settled that protection u/s 197 CrPC applies even where act is alleged to be in excess of authority, if reasonably connected to official duty.		
धारा 197 – अभियोजन की स्वीकृति – लोक सेवक द्वारा अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण – आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया कार्य – विधि स्पष्ट रूप से स्थापित है कि धारा 197 दं. प्र.सं. के अंतर्गत संरक्षण तब भी लागू होता है जब कार्य को प्राधिकार से अधिक बताया गया हो, यदि वह कार्य आधिकारिक कर्तव्यों से युक्त रूप से जुड़ा हो।	165	390
Section 197(1) – Previous sanction for prosecution of public servants – Object of section 197(1) CrPC is to ensure that the public servants are not prosecuted for anything they do in discharge of their duties.		
धारा 197(1) – लोक सेवकों के अभियोजन के लिए पूर्वानुमति – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोक सेवकों को उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किये गये किसी भी कार्य के लिए अभियोजित न किया जाये।	144 (i)	342
Section 200 – See section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881.		
धारा 200 – देखें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138।	233	556
Sections 202 and 204 – Issuance of process – Proceedings u/s 202 of CrPC – Right of accused – Accused is not entitled to be heard on the question whether the process should be issued against him or not – Law clarified.		
धाराएं 202 एवं 204 – आदेशिका जारी होना – धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाहियां – अभियुक्त का अधिकार – अभियुक्त को इस प्रश्न पर सुनवाई का अधिकार नहीं कि उसके विरुद्ध आदेशिका जारी की जाए अथवा नहीं – विधि स्पष्ट की गई।	84(iii)	191

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 202(1)(a) and 156(3) – Police investigation in complaint cases –Where the offences alleged are exclusively triable by the Court of Session, Judicial Magistrate cannot direct police investigation u/s 202 of the code.		
धाराएं 202(1) (क) एवं 156 (3) – परिवाद प्रकरणों में पुलिस अन्वेषण – जहाँ आरोपित अपराध अनन्यत्र: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, वहाँ न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 202 के अंतर्गत पुलिस अन्वेषण का निर्देश नहीं दे सकता।	166	394
Sections 209 and 227 – (i) Framing of charge – It should not be based on supposition, suspicions and conjectures.		
(ii) Application for discharge – Only the probative value of the material has to be looked into and the Court is not expected to go deep into the matter to hold a mini trial – Court has to proceed with an assumption that materials brought on record by prosecution are true.		
(iii) Criminal conspiracy – Ingredients – <i>Sine qua non</i> for offence of criminal conspiracy is an agreement to commit offence.		
धाराएं 209 एवं 227 – (i) आरोप की विरचना – यह अनुमान, संदेह और अटकलों पर आधारित नहीं होना चाहिए।		
(ii) उन्मोचन के लिए आवेदन – केवल अभियोजन सामग्री के संभावित मूल्य पर विचार किया जाना अपेक्षित है, न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह मामले की गहराई में जाकर लघु विचारण करे – न्यायालय को यह उपधारणा करते हुए आगे बढ़ना होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाई गई सामग्री सत्य है।		
(iii) आपराधिक षडयंत्र – आवश्यक तत्व – अपराध कारित करने के लिये सहमत होना आपराधिक षडयंत्र के अपराध के गठन के लिए अनिवार्य शर्त है।	6	10
Sections 215, 223 and 464 – Misjoinder of Charges – Defective Charge – Held, minor irregularities in the framing of charges or joint trial do not ipso facto vitiate proceedings unless they cause “failure of justice”.		
Joint trial – Procedure cannot override the cause of justice.		
धाराएं 215, 223 एवं 464 – अभियुक्त का गलत संयोजन – दोषपूर्ण आरोप – अभिनिर्धारित, आरोप तय करने या संयुक्त विचारण में मामूली त्रुटियाँ स्वयं में कार्यवाही को अमान्य नहीं बनाती जब तक कि वे “न्याय की विफलता” का कारण न बने।		
संयुक्त विचारण – प्रक्रिया न्याय के उद्देश्य पर प्रभावी नहीं हो सकती।	237(ii) & (iii)	564
Sections 216, 227 and 397(2) – Revision – Order rejecting application for alteration/modification of charge would be an interlocutory order and therefore, in view of the express bar created by sub-section (2) of section 397 CrPC, revision against the said order is not maintainable.		
धाराएं 216, 227 एवं 397(2) – पुनरीक्षण – आरोप में परिवर्तन/संशोधन के लिए प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करने का आदेश एक अंतवर्ती आदेश होगा अतः धारा 397 द.प्र.सं. की उप-धारा (2) द्वारा सृजित स्पष्ट प्रतिबंध को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका पोषणीय नहीं है।	7	13

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 227 – Discharge – Only on the basis of confessional statement of a co-accused which is otherwise inadmissible in evidence, accused cannot be charged.		
धारा 227 – उन्मोचन – केवल सह-अभियुक्त के संस्वीकृति कथन जो साक्ष्य में अन्यथा ग्राह्य नहीं है, के आधार पर अभियुक्त को आरोपित नहीं किया जा सकता।	65	141
Section 227 – Discharge of accused – Appreciation.		
धारा 227 – अभियुक्त का उन्मोचन – मूल्यांकन।	66	144
Section 227 – Discharge – There was no intention and knowledge on the part of the accused persons to cause death or to cause such bodily injury as was likely to cause death.		
Discharge – Scope – At the stage of charge, court is not required to undertake a threadbare analysis of material gathered.		
धारा 227 – उन्मोचन – अभियुक्त व्यक्तियों का मृत्यु या ऐसी शारीरिक उपहति कारित करने का कोई आशय और ज्ञान नहीं था जिससे मृत्यु होने की संभावना हो।		
उन्मोचन – विस्तार – आरोप के स्तर पर, न्यायालय को एकत्र की गई सामग्री का व्यापक विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है।	117	269
Section 228 – Offence of attempt to murder – Discharge – Question of intention to kill or the knowledge of death is a question of fact which requires determination at the trial.		
धारा 228 – हत्या के प्रयत्न का अपराध – उन्मोचन – हत्या कारित करने का आशय या मृत्यु के ज्ञान का प्रश्न, तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्धारण विचारण के दौरान किया जाना अपेक्षित है।	67	146
Sections 291 and 293 – See sections 8(c), 20(b)(ii)(c) and 52-A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and section 65B of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 291 एवं 293 – देखें स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धाराएं 8(ग), 20(ख)(ii)(ग) एवं 52-क एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख।	232	554
Sections 293 and 391 – See sections 307, 363, 366-A and 376 of the Indian Penal Code, 1860 and sections 5(g), 5(j)(iii)(m) and 5(r) r/w/s 6 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.		
धाराएं 293 एवं 391 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 307, 363, 366-क एवं 376 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धाराएं 5(छ), 5(ज)(iii) (ड) एवं 5(द) सहपठित 6।	223	535
Sections 303, 304 and 313 – Examination of accused – Effect of not putting incriminatory material to accused in language known to him.		
Examination of accused – Unless all material circumstances are put to the accused, he cannot decide whether he wants to lead any defence evidence.		
Examination of accused – It is the duty of Public Prosecutor to ensure that there are no infirmities in the conduct of the trial which will cause prejudice to the accused.		
धाराएं 303, 304 एवं 313 – अभियुक्त परीक्षण – अभियुक्त के समक्ष उसकी भाषा में अभियोगात्मक सामग्री न रखे जाने का प्रभाव।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
अभियुक्त परीक्षण – जब तक अभियुक्त के समक्ष सभी तात्विक परिस्थितियां नहीं रख दी जाती हैं तब तक वह यह निर्णय नहीं ले सकता कि वह कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है या नहीं।		
अभियुक्त परीक्षण – यह सुनिश्चित करना लोक अभियोजक का कर्तव्य है कि मामले के संचालन में कोई भी कमी न हो जिससे अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो।	118(i),(ii)&(iii)	271
Section 311 – Recall of witness – Application of prosecution u/s 311 of CrPC or Section 165 of Evidence Act could not have been allowed to give chance to adduce evidence, which will otherwise amount to review of the order, especially when Judge has only power to put question to witnesses and to direct for production of any document or thing u/s 165 of Evidence Act.		
धारा 311 – साक्षी को पुनः आहूत करना – अभियोजन के आवेदन अंतर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता अथवा धारा 165 साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए स्वीकार नहीं किए जा सकते, जो अन्यथा आदेश का पुनर्विलोकन होगा, विशेषतः तब जब न्यायाधीश धारा 165 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत केवल साक्षियों से प्रश्न पूछने एवं किसी दस्तावेज अथवा वस्तु की प्रकटीकरण का निर्देश देने की शक्ति रखता है।	68	148
Section 313 – Accused statement – Compound and omnibus questions were put forth to accused – Possibility of accused not able to answer the questions properly cannot be ruled out – Section 313 of Crpc is not an empty formality.		
धारा 313 – अभियुक्त कथन – अभियुक्त से संयुक्त और व्यापक प्रश्न पूछे गए – यह संभावना नकारी नहीं जा सकती कि अभियुक्त उन प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाई हो – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 केवल औपचारिकता नहीं है।	269(ii)	631
Section 319 – Summoning of accused – Power of court to proceed against other persons appearing to be guilty of offence – Test of satisfaction.		
धारा 319 – अभियुक्त को आहूत करना – अपराध में दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की अदालत की शक्ति – संतोष का परीक्षण।	207	497
Section 319 – Summoning of additional accused – When can be ordered?		
धारा 319 – अतिरिक्त अभियुक्तगण को आहूत करना – कब आदेशित किया जा सकता है?	167	396
Section 319 – Summoning of witness as additional accused – Whether provisos to Section 132 of the Evidence Act puts an absolute embargo on the Trial Court to initiate process u/s 319 CrPC against such witness?		
Statutory immunity against self incrimination to a witness – Scope of – A witness cannot be subjected to prosecution on the basis of his own statement.		
धारा 319 – (i) साक्षी को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में बुलाना – क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 132 का परंतुक ऐसे साक्षी के विरुद्ध दं.प्र.सं. की धारा 319 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए विचारण न्यायालय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है?		
(ii) साक्षी को आत्मदोषी ठहराने के विरुद्ध विधिक प्रतिरक्षा – उसका विस्तार – एक साक्षी को उसके स्वयं के कथन के आधार पर अभियोजित नहीं किया जा सकता।	8(i) & (ii)	15

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 320 – Compromise in non-compoundable offence – Effect on sentencing.		
धारा 320 – अशमनीय अपराध में राजीनामा – दण्ड पर प्रभाव।	175 (ii)	420
Section 329 – Plea of insanity – If on examining the accused, it does not appear that accused is insane, it is not necessary to hold a further elaborate inquiry.		
धारा 329 – उन्मत्तता का बचाव – यदि अभियुक्त का परीक्षण करने पर यह प्रकट नहीं होता कि अभियुक्त उन्मत्त है, तो आगे विस्तृत जांच करने की आवश्यकता नहीं है।	9	18
Section 357 – (i) Reduction of sentence – Once the conviction is affirmed and sentence is imposed, the Appellate Court cannot further dilute the order of sentence by directing the accused persons to pay compensation.		
(ii) Victim compensation – The sole factor for deciding compensation is the victim’s loss or injury as a result of offence and the convict’s capacity to pay compensation.		
धारा 357 – (i) दण्ड की मात्रा में कमी – पीड़ित प्रतिकर राशि का भुगतान दण्डादेश को कम करने का आधार नहीं बन सकता क्योंकि यह दण्डात्मक उपाय नहीं है, बल्कि केवल पुर्नस्थापनात्मक प्रकृति का उपाय है।		
(ii) पीड़ित प्रतिकर – प्रतिकर तय करने का एकमात्र कारक अपराध के परिणामस्वरूप पीड़ित को कारित हुई क्षति या चोट और अपराधी की प्रतिकर अदा करने की क्षमता।	10	19
Sections 386(b)(iii) and 401(3) – Revision and appellate powers – Scope – Appellate power u/s 386(b)(iii) Code of Criminal Procedure allows alteration or reduction of sentence but ‘not so as to enhance the same’.		
धाराएं 386(ख)(iii) एवं 401(3) – पुनरीक्षण और अपीलीय अधिकार – क्षेत्र – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 386(ब)(iii) के अंतर्गत अपीलीय अधिकार सजा में परिवर्तन या कमी की अनुमति देता है लेकिन ‘सजा बढ़ाने की अनुमति नहीं देता’।	208	500
Section 388 – Voice sample – Whether a Judicial Magistrate has the power to direct a person to furnish a voice sample during investigation? Held, Yes.		
धारा 388 – वॉयस सैंपल – क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अनुसंधान के दौरान किसी व्यक्ति को वॉयस सैंपल देने का निर्देश देने का अधिकार है? अभिनिर्धारित, हाँ।	*255	605
Section 436-A – See section 45-D (5) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.		
धारा 436-क – देखें विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 45-घ (5)।	195	472
Sections 437, 438, 439, 441 and 446 – (i) Bail – Conditions which may be imposed – Direction by the Court granting bail to the accused to provide local surety, is not justified.		
(ii) Bail – Approach – Need to adopt a proportional approach protecting the fundamental rights of the accused while ensuring their presence during the trial.		
धाराएं 437, 438, 439, 441 एवं 446 – (i) जमानत – शर्तें जो अधिरोपित की जा सकती हैं – जमानत प्रदान करने वाले न्यायालय द्वारा अभियुक्त को स्थानीय प्रतिभूति प्रस्तुत करने का निर्देश, न्यायानुमत नहीं।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) जमानत – दृष्टिकोण – विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कराते समय उसके मूल अधिकारों को संरक्षित करने के संबंध में संतुलित दृष्टिकोण को अपनाए जाने की आवश्यकता है।	69	149
Section 437 (3) – Grant of bail – Conditions to be imposed while granting bail – Scope.		
धारा 437(3) – जमानत प्रदान किया जाना – जमानत प्रदान करते समय अधिरोपित की जाने वाली शर्तें – विस्तार।	119	279
Sections 437(6) and 439 – (i) Grant of bail – Where there is absence of positive factors going against the accused, showing possibility of prejudice to prosecution or accused not being responsible for delay in trial, an application u/s 437(6) CrPC must be dealt with liberal hands to protect individual liberty.		
(ii) Bail – Magistrate triable offences – Factors which are relevant for consideration of application under section 437(6) CrPC, explained.		
धाराएं 437(6) एवं 439 – (i) जमानत प्रदान किया जाना – विचारण 60 दिनों में समाप्त नहीं हो सकता – जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध सकारात्मक कारकों की अनुपस्थिति है, जो अभियोजन के प्रति पूर्वाग्रह की संभावना दर्शाता है या अभियुक्त विचारण में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं है, वहाँ धारा 437 (6) सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत आवेदन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उदारता पूर्वक विचार में लिया जाना चाहिए।		
(ii) जमानत – मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 (6) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर विचार करने के लिए सुसंगत कारक, समझाये गये।	120	280
Section 438 – Anticipatory bail – Allegations of forgery and cheating in relation to execution of powers of attorney and sale deed and certification of mutation entries.		
धारा 438 – अग्रिम जमानत – पावर ऑफ अटॉर्नी और बिक्री विलेख के निष्पादन तथा नामांतरण प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण से संबंधित जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप।	256	606
Section 438 – Application for anticipatory bail – Mere formal arrest (on-paper arrest) would not extinguish his right to apply for anticipatory bail.		
धारा 438 – अग्रिम जमानत के लिए आवेदन – केवल औपचारिक गिरफ्तारी (कागजी गिरफ्तारी) अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत करने के उसके अधिकार को समाप्त नहीं करेगी।	70	152
Section 438 – Criminal Appeal – Cancellation of anticipatory bail.		
धारा 438 – दाण्डिक अपील – पूर्व अग्रिम जमानत की निरस्तीकरण।	283(ii)	657
Section 438 – See sections 3 (1) (r) and 18 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.		
धारा 438 – देखें अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराएं 3(1)(द) एवं 18।	93	208
Section 439 – (i) Grant of bail – A superficial application of bail parameters not only undermines the gravity of the offence but also risks weakening public faith in judiciary.		
(ii) Cancellation of bail – Justification.		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धारा 439 – (i) जमानत प्रदान करना – जमानत मापदण्डों का सतही अनुप्रयोग न केवल अपराध की गंभीरता को कम करता है, बल्कि न्यायपालिका में जनता के विश्वास को भी कमजोर करने का खतरा उत्पन्न करता है।		
(ii) जमानत निरस्त किया जाना – औचित्य।	121	283
Section 439 – See section 45 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002.		
धारा 439 – देखें धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45।	92	206
Section 439 – See section 43-D (5) Proviso of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.		
धारा 439 – देखें विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 43-घ(5) परन्तुक।	100	229
Section 439(2) – Application for cancellation of bail – Stay of bail order – The Court must record sufficient reasons for coming to a conclusion that the case was an exceptional one and a strong <i>prima facie</i> case to stay a bail order is made out – An <i>ex parte</i> order for stay of bail should not be granted.		
धारा 439(2) – जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन – जमानत आदेश का स्थगन – न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त कारण उल्लेखित करना आवश्यक है कि मामला असाधारण था और जमानत आदेश पर रोक लगाने के लिए एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है – जमानत पर रोक लगाने के लिए एकपक्षीय आदेश नहीं दिया जाना चाहिए।	11	22
Sections 451 and 457 – Application for interim custody of seized vehicle – Risk of misuse of the released vehicle by the accused or third party, though cannot be ruled out, yet the Court held, on the basis of fear or suspicion or hypothetical situation it cannot take coercive action – Held, interim custody cannot be denied on the ground of vehicle being a critical piece of material evidence.		
Interim custody of vehicle – Discretion of the trial Court and permissibility – Law clarified.		
धाराएं 451 एवं 457 – जब्त वाहन की अंतरिम अभिरक्षा हेतु आवेदन – उन्मुक्त किए गए वाहन के अभियुक्त या किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, इसके उपरान्त भी न्यायालय ने अवधारित किया कि केवल भय, संदेह या काल्पनिक स्थिति के आधार पर कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती – अभिनिर्धारित, वाहन को महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य होने के आधार पर अंतरिम अभिरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता।		
वाहन की अंतरिम अभिरक्षा – विचारण न्यायालय का विवेक और वैधता – विधि स्पष्ट की गई।	168(ii) & (iii)	400
Sections 468 and 473 – Limitation – Limitation is to be computed from the date of filing of complaint and not from the date of cognizance – Law clarified.		
धाराएं 468 एवं 473 – परिसीमा – परिसीमा की गणना शिकायत संस्थित करने की तिथि से की जाएगी, न कि संज्ञान लेने की तिथि से – विधि स्पष्ट की गई।	224(ii)	538

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 482 – See section 377 and 498-A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 482 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 377 एवं 498-क।	177	425
Section 482 – See sections 406, 420 and 506 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 482 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 406, 420 एवं 506।	268	629
DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT ACT, 1946		
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946		
Section 6 – See Sections 120B, 406 and 420 of the Indian Penal Code, 1860		
धारा 6 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 120ख, 406 एवं 420।	127	300
DISSOLUTION OF MUSLIM MARRIAGE ACT, 1939		
मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939		
Section 2 – See sections 7(1) Expln. (d) and 19 of the Family Courts Act, 1984 and Rule 9 of the Family Court Rules, 1988 (M.P.).		
धारा 2 – देखें कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धाराएं 7(1) स्पष्टीकरण (घ) एवं 19 एवं कुटुम्ब न्यायालय नियम, 1988 (म.प्र.) का नियम 9।	72	158
DIVORCE ACT, 1869		
विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869		
Section 36 – Interim maintenance – The wife was accustomed to a certain standard of living in her matrimonial home and is entitled to enjoy the same amenities of life during the pendency of divorce petition as she would have been entitled to in her matrimonial home.		
धारा 36 – अंतरिम भरण-पोषण – पत्नी अपने वैवाहिक घर में एक निश्चित स्तर का जीवन जीने की अभ्यस्त थी और विवाह विच्छेद की याचिका के लंबित रहने के दौरान उसे जीवन की उन्हीं सुविधाओं का आनंद लेने का अधिकार है जो उसे अपने वैवाहिक घर में प्राप्त होती।	71	155
DOWRY PROHIBITION ACT, 1961		
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961		
Sections 3 and 4 – Offence of cruelty and demand of dowry – When <i>prima facie</i> case not made out?		
धाराएं 3 एवं 4 – क्रूरता एवं दहेज की मांग का अपराध – कब प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता?	86(i)	196
Sections 3 and 4 – See sections 323 and 498A of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 3 एवं 4 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 323 एवं 498क।	266	625
EVIDENCE ACT, 1872		
साक्ष्य अधिनियम, 1872		
Section 3 – Abetment of suicide – Appreciation of evidence.		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धारा 3 – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – साक्ष्य का मूल्यांकन।	81	181
Section 3 – See Sections 323 and 376 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 3 – भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 376 एवं 323।	134	324
Sections 3, 8 r/w/s 27 and 45 – (ii) Circumstantial Evidence – Five golden principles which needs to be kept in mind, reiterated.		
(iii) Crime against woman and children – Circumstantial evidence.		
(iv) Circumstantial evidence – Relevancy of conduct.		
(v) Failure to conduct DNA test – Where various links in the chain of circumstances form a complete chain pointing the guilt of accused alone in exclusion of all hypothesis of innocence in his favour – In such cases failure to conduct DNA test would not be fatal to prosecution case.		
धाराएं 3, 8 सहपठित धारा 27 एवं 45 – (ii) परिस्थितिजन्य साक्ष्य – पांच स्वर्णिम सिद्धांत जिन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, दोहराए गए।		
(iii) महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध – परिस्थितिजन्य साक्ष्य।		
(iv) परिस्थितिजन्य साक्ष्य – आचरण की सुसंगतता।		
(v) डीएनए परीक्षण कराए जाने में विफलता – जहां परिस्थितियों की श्रृंखला में विभिन्न कड़ियां एक पूरी श्रृंखला बनाती हैं जो अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषता की सभी परिकल्पनाओं को छोड़कर मात्र अभियुक्त के दोषी होने की ओर इशारा करती है – ऐसे मामलों में डीएनए परीक्षण न करा पाना भी अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं होगा।		
	145 (ii), (iii), (iv) & (v)	346
Sections 3, 8 and 106 – Circumstantial evidence – Burden of proof cannot be shifted on the accused persons by invoking section 106 of Evidence Act.		
धाराएं 3, 8 एवं 106 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – धारा 106 साक्ष्य अधिनियम का उपयोग कर सबूत का भार अभियुक्त व्यक्तियों पर अंतरित नहीं किया जा सकता।	77(ii)	168
Sections 3, 9 and 27 – Identification – During the deposition in the court, the boy identified the accused for the first time in the dock who were not known to him – This raises questions about dock identification of the accused.		
धाराएं 3, 9 एवं 27 – पहचान – न्यायालय में साक्ष्य के दौरान प्रथम बार बालक द्वारा कटघरे में खड़े आरोपी को पहचाना जिसे वह पहले से नहीं जानता था – न्यायालय में आरोपी के पहचान के संबंध में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है।	19(ii)	36
Sections 3, 107 and 108 – (i) Presumption – Date of presumed death – Determination.		
(ii) Burden of proof – Exact time of death is not a matter of presumption – Onus of proving the death lies on the person who claims a right to establishment of that fact.		
धाराएं 3, 107 एवं 108 – (i) उपधारणा – उपधारित मृत्यु की तिथि – अवधारण।		
(ii) सबूत का भार – मृत्यु का एकदम सही समय उपधारणा का मामला नहीं है – यह साबित करने का भार कि मृत्यु हुई है, उस व्यक्ति पर है जो उस स्थापना के अधिकार का दावा करता है।		
	12	24
Sections 3 and 118 – See sections 376 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 3 एवं 118 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376।	176	422

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 6 and 113-B – Applicability of section 304B of IPC – Whether permissible in case of suicidal death?		
धाराएं 6 एवं 113-ख – संहिता की धारा 304ख की प्रयोज्यता – क्या आत्महत्यात्मक मृत्यु के मामले में अनुज्ञेय है?	174(ii)	416
Section 9 – Test identification proceedings – Appreciation of evidence – Test identification parade is merely corroborative evidence, not a substantive piece of evidence.		
धारा 9 – परीक्षण पहचान कार्यवाही – साक्ष्य का मूल्यांकन – परीक्षण पहचान परेड केवल पुष्टिकारक साक्ष्य है, तात्त्विक साक्ष्य नहीं।	136 (ii)	328
Sections 25, 26 and 27 – Chance witness – Evidence of father of deceased and another witness found to be of chance witnesses – His presence at place of occurrence doubtful and not satisfactorily explained.		
धाराएं 25, 26 एवं 27 – संयोगवश उपस्थित साक्षी – मृतक के पिता और एक अन्य गवाह की गवाही को संयोगवश उपस्थित गवाहों की श्रेणी में पाया गया – घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध थी और उसे संतोषजनक रूप से स्पष्ट नहीं किया गया।	259(ii)	611
Sections 25, 26, 27 and 106 – See section 302 r/w/s 34 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 25, 26, 27 एवं 106 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302 सहपठित 34।	264	622
Sections 25 and 106 – (i) Extra-judicial confession – Extra-judicial confession by its very nature is a weak type of evidence and requires appreciation with great deal of care and caution.		
(ii) Recovery of weapon – Investigating officer merely deposed that he drew <i>panchn.Ma</i> and identified his signature and that of the panch witnesses.		
(iii) Charge of murder of wife – In order to invoke section 106 of Evidence Act the prosecution must establish foundational facts – If prosecution fails to prove foundational facts, mere absence of explanation of accused would not benefit the prosecution.		
धाराएं 25 और 106 – (i) न्यायिकेत्तर संस्वीकृति – न्यायिकेत्तर संस्वीकृति स्वभावतः निर्बल प्रकृति की साक्ष्य मानी जाती है, इसलिए इसका अत्यंत सतर्कता और ध्यान पूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए।		
(ii) आयुध की बरामदगी – अन्वेषण अधिकारी ने मात्र यह अभिकथित किया कि उसने <i>पंचनामा</i> तैयार किया था और अपने तथा पंचगवाहों के हस्ताक्षरों की पहचान की।		
(iii) पत्नी की हत्या का आरोप – साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 प्रभावी करने हेतु अभियोजन को मूलभूत तथ्यों को सिद्ध करना आवश्यक है – यदि अभियोजन मूलभूत तथ्यों को सिद्ध करने में विफल रहता है, तो केवल अभियुक्त द्वारा स्पष्टीकरण न देने से अभियोजन को लाभ नहीं मिलेगा।	130	309
Section 27 – Discovery of fact – Information received from accused – How to be proved?		
धारा 27 – तथ्य की खोज – अभियुक्त से प्राप्त जानकारी – कैसे साबित की जायेगी?	118 (v)	271

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 27 and 65-B – See sections 62, 103, 138 and 189(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.		
धाराएं 27 एवं 65-ख – भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराएं 62, 103, 138 एवं 189(2)।	244	587
Section 32 – Dying declaration – Court has to scrutinize that the dying declaration is not a result of tutoring, prompting or imagination.		
धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – न्यायालय को यह छानबीन करना होगी कि मृत्युकालिक कथन किसी के द्वारा सिखाये जाने, उकसाये जाने या कल्पना का परिणाम तो नहीं है।	122	286
Section 32 – See Sections 302 and 304B of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 32 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 एवं 304ख।	123	287
Section 32 – See section 302/34 of the Indian Penal Code, 1860 and section 25(1B)(a) of the Arms Act, 1859.		
धारा 32 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302/34 एवं आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1ख)(क)।	*173	414
Section 32(1) – Dying declaration – Reliability – Before accepting, Court must be satisfied that it was rendered voluntarily, consistent and credible and devoid of any tutoring.		
धारा 32(1) – मृत्युकालिक कथन – विश्वसनीयता – इसे स्वीकार करने के पूर्व न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि वह स्वेच्छा से दिया गया था, वह सुसंगत और विश्वसनीय है और वह किसी भी प्रकार से सिखाया पढ़ाया गया नहीं है।	13	26
Section 35 – See sections 15 and 94 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, Rule 65 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Rules, 2022.		
धारा 35 – देखें किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धाराएं 15 एवं 94, किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2022 का नियम 65।	25	51
Sections 45 and 64 – See Sections 120B, 109, 468 and 471 of the Indian Penal Code, 1860		
धाराएं 45 एवं 64 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 120ख, 109, 468 एवं 471।	126	296
Sections 50 and 73 – Proof of relationship – Opinion evidence – Scope.		
धाराएं 50 एवं 73 – संबंध का प्रमाण – अभिमत साक्ष्य – विस्तार।	277(iii)	645
Section 59 – See Order 14 rule 2 and order 13 rule 4 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 59 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 14 नियम 2 एवं आदेश 13 नियम 4।	158	377
Section 65B – (i) Murder and rape – Statement of witnesses who have seen the accused with the deceased together for the last time, were recorded after two months.		
(ii) Appreciation of evidence – How to do?		
(iii) Extra-judicial confession – When relevant ?		
(iv) Admissibility of CCTV Footage – Appreciation.		
धारा 65ख – (i) हत्या और बलात्कार – साक्षीगण के कथन जिन्होंने अभियुक्त को अंतिम बार मृतक के साथ देखा था, दो माह बाद दर्ज किए गए।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) साक्ष्य का मूल्यांकन – कैसे करे?		
(iii) न्यायिकेतर संस्वीकृति – कब सुसंगत।		
(iv) सी.सी.टी.वी. फुटेज की ग्राह्यता – मूल्यांकन।	131	311
Section 65B – See sections 8(c), 20(b)(ii)(c) and 52-A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985.		
धारा 65ख – देखें स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धाराएं 8(ग), 20(ख)(ii)(ग) एवं 52-क।	232	554
Section 68 – Registered Will – Propounder of Will must prove its execution by examining one or more attesting witnesses as envisaged in section 63(c) of Succession Act and in section 68 of the Evidence Act.		
धारा 68 – पंजीकृत वसीयत – उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63(ग) एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार वसीयत के प्रतिपादक को एक या अधिक अनुप्रमाणक साक्षीगण का परीक्षण करके इसके निष्पादन को प्रमाणित करना होगा।	14	28
Section 90 – See Order 7 Rule 3 of the Civil Procedure Code, 1908, section 158 of the Land Revenue Code, 1959 (M.P.) and sections 3 and 4 of the Madhya Bharat Zamindari Abolition Act, Samvat, 2008.		
धारा 90 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 3, भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) की धारा 158 एवं मध्य भारत जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, सवंत 2008 की धाराएं 3 एवं 4।	155	369
Sections 102 and 114 – See sections 201, 302, 379 and 411 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 102 एवं 114 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 201, 302, 379 एवं 411।	218	519
Section 106 – Criminal Trial – Appreciation of Evidence – Minor Contradictions.		
धारा 106 – आपराधिक मुकदमा – साक्ष्य का मूल्यांकन – साधारण विरोधाभास। 220(ii)		525
Sections 106, 118 and 134 – Child witness – Appreciation of evidence – Scope of interference in appeal against acquittal.		
Burden of proof – Explanation on part of accused – Guiding principles reiterated.		
धाराएं 106, 118 एवं 134 – बाल साक्षी – साक्ष्य का मूल्यांकन – दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में हस्तक्षेप का क्षेत्र।		
प्रमाण का भार – अभियुक्त की ओर से स्पष्टीकरण – मार्गदर्शक सिद्धांतों की पुनः पुष्टि।	257(i) & (iii)	607
Section 113-B – Presumption as to dowry death – Nature of burden – When arises?		
धारा 113-ख – दहेज मृत्यु के संबंध में अनुमान – भार की प्रकृति – कब उत्पन्न होती है?	221(ii)	529
Section 113B – See sections 304B and 498 A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 113ख – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 304ख एवं 498क।	222	532

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 118 – See Order 3 Rules 1 and 2 of the Civil Procedure Code, 1908 and section 2 of the Power of Attorney Act, 1882.		
धारा 118 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 3 नियम 1 व 2 एवं मुख्तारनामा अधिनियम, 1882 की धारा 2।	56	116
Section 132 – See section 319 of the Criminal Procedure Code, 1973, section 358 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, section 137 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 Article, 20(3) of the Constitution of India and Words and Phrases.		
धारा 132 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 358, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 137 एवं भारत का संविधान का अनुच्छेद 20(3)।	8	15
Section 145 – Improvement, contradiction and omission in the evidence – Procedure for contradicting a witness with prior statement recorded u/s 161 CrPC explained.		
धारा 145 – साक्ष्य में सुधार, विरोधाभास एवं लोप – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत लेखबद्ध पूर्व कथन से साक्षी का खंडन करने की प्रक्रिया बताई गई।	*169	404
Sections 145 and 155 – (i) Statements u/s 161 of the Code are previous statements for the purpose of section 145 of the Evidence Act – Can be used to cross-examine a witness – But this is only for a limited purpose to "contradict" such a witness.		
(ii) Eyewitness – Contradictions in testimony – When material?		
(iii) Appreciation of evidence – “ <i>Noscitur a sociis</i> ” principle.		
(iv) Principle of “ <i>falsus in uno falsus in omnibus</i> ” – Held, not applicable to the Indian criminal jurisprudence.		
(v) Faulty investigation – Accused not entitled to claim acquittal on the ground of faulty investigation done by the prosecuting agency.		
(vi) Interestedness of witnesses – Effect and duty of Court – Explained.		
धाराएं 145 एवं 155 – (i) साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के कथन अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. “पूर्वतन कथन” होते हैं – इन्हें साक्षी का प्रतिपरीक्षण करने के लिए उपयोग किया जा सकता है – किंतु यह प्रयोजन ऐसे साक्षी को “खंडित” करने मात्र तक सीमित होता है।		
(ii) चक्षुदर्शी साक्षी – साक्ष्य में विरोधाभास – कब तात्विक है?		
(iii) साक्ष्य का मूल्यांकन – “ <i>Noscitur a sociis</i> ” का सिद्धांत।		
(iv) “ <i>falsus in uno falsus in omnibus</i> ” का सिद्धांत – अभिनिर्धारित, भारतीय दांडिक विधिशास्त्र में प्रयोज्य नहीं।		
(v) दोषपूर्ण विवेचना – अभियुक्त अभियोजन द्वारा की गई दोषपूर्ण विवेचना के आधार पर दोषमुक्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं।		
(vi) साक्षीगण की हितबद्धता – प्रभाव और न्यायालय का कर्तव्य – समझाया गया।	170	405

Act/ Topic	Note No.	Page No.
------------	----------	----------

Section 154 – Offence of murder – It is the duty of Court to appreciate the evidence with caution, to apply the crucial test as to whether the witness is truly an eyewitness and whether his testimony is credible, as the doctrine '*falsus in uno, falsus in omnibus*' is not a sound rule to apply in Indian context.

धारा 154 – हत्या का अपराध – न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह साक्ष्य का सतर्कता पूर्वक मूल्यांकन कर, यह निर्णायक परीक्षण करे कि क्या उक्त साक्षी वास्तव में चक्षुदर्शी साक्षी है एवं क्या उसकी साक्ष्य विश्वसनीय है क्योंकि 'एक बात में असत्य, सभी बातों में असत्य' का सिद्धांत भारतीय संदर्भ में लागू करना उचित नहीं है।

78(i) 172

Section 165 – See section 311 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 165 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311।

68 148

EXCISE ACT, 1915 (M.P.)

आबकारी अधिनियम, 1915 (म.प्र.)

Sections 47-A and 47-D – Confiscation of vehicle – Power of Collector – Related various provisions under the Govansh Vadh Pratishedh Adhinyam and Excise Act discussed – Held, Section 47-A of the Excise Act, 1915 is *ultra vires* – Reference answered and directions issued.

धाराएं 47-क एवं 47-घ – वाहन की जब्ती – कलेक्टर की शक्ति – गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम और आबकारी अधिनियम के संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर विचार किया गया – अभिनिर्धारित, आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 47-क असंवैधानिक है – रिफरेन्स उत्तरित किया गया एवं निर्देश जारी किए गए।

209 501

FAMILY COURTS ACT, 1984

कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984

Section 14 – See section 125(4) of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 14 – देखें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 125(4)।

5 8

Sections 7(1) Expln. (d) and 19 – Application for dissolution of marriage by Muslim male – Muslim male can prefer a suit or proceeding for dissolution of marriage u/s 7(1) (d) of the Act of 1984 and Rule 9 of 1988 Rules on the grounds as available to him.

धाराएं 7(1) स्पष्टीकरण (घ) एवं 19 – मुस्लिम पुरुष द्वारा विवाह विच्छेद हेतु आवेदन – मुस्लिम पुरुष के पास अधिनियम, 1939 के अंतर्गत विवाह विच्छेद की डिक्री का अनुतोष प्राप्त करने का कोई उपचार उपलब्ध नहीं है।

72 158

FAMILY COURT RULES, 1988 (M.P.)

कुटुम्ब न्यायालय नियम, 1988 (म.प्र.)

Rule 9 – See sections 7(1) Expln. (d) and 19 of the Family Courts Act, 1984 and section 2 of the Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939.

नियम 9 – देखें कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धाराएं 7(1) स्पष्टीकरण (घ) एवं 19 एवं मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 की धारा 2।

72 158

Act/ Topic	Note No.	Page No.
------------	----------	----------

GENERAL CLAUSES ACT, 1897

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897

Section 10 – See sections 34(3) and 43(1) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and sections 4 and 29(2) of the Limitation Act, 1963.

धारा 10 – देखें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धाराएं 34(3) एवं 43(1) एवं परिसीमा अधिनियम, 1963 की धाराएं 4 एवं 29 (2)।

51 103

GOVANSH VADH PRATISHEDH ADHINIYAM, 2004 (M.P.)

गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 (म.प्र.)

Sections 4, 5, 6, 6-A, 6-B and 11(5) – See sections 47-A and 47-D of the Excise Act, 1915, (M.P.).

धाराएं 4, 5, 6, 6-क, 6-ख एवं 11(5) – देखें आबकारी अधिनियम, 1915 (म.प्र.) की धाराएं 47-क एवं 47-घ।

209 501

GUARDIANS AND WARDS ACT, 1890

संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890

Sections 7 and 8 – Custody of minor girl child – Guiding principles reiterated.

धाराएं 7 एवं 8 – अप्राप्तवय बालिका की अभिरक्षा – मार्गदर्शी सिद्धांतों को दोहराया गया।

15 29

Section 11 – See section 26 of the Hindu Marriage Act, 1955.

धारा 11 – देखें हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 26।

213 509

Section 25 – Custody of minor child – Father, being a natural guardian u/s 6 of the Hindu Minority and Guardianship Act, has a legitimate claim to custody if the evidence shows he can provide better financial stability, family support and a conducive environment for the child's development.

धारा 25 – अवयस्क बच्चे की अभिरक्षा – पिता, जो हिन्दू अल्पसंख्यक और संरक्षक अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत प्राकृतिक अभिभावक है, को अभिरक्षा का वैध दावा प्राप्त है यदि साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि वह बच्चे के विकास के लिए बेहतर वित्तीय स्थिरता, पारिवारिक सहयोग और अनुकूल वातावरण प्रदान कर सकता है।

210 505

Section 25 – See Sections 6 and 13 of Hindu Minority and Guardianship Act, 1956.

धारा 25 – देखें हिन्दू अप्राप्तवयता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धाराएं 6 एवं 13।

125 294

HINDU ADOPTIONS AND MAINTENANCE ACT, 1956

हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956

Section 19 – Interim maintenance – As per section 19(1)(a) of the Act, where widowed daughter-in-law was unable to maintain herself from the estate of deceased husband, she could move an application under the Act.

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धारा 19 – अंतरिम भरण-पोषण – अधिनियम की धारा 19(1)(क) के अनुसार जहां विधवा बहू अपने मृतक पति की सम्पदा से भरण-पोषण करने में असमर्थ होती है वहां वह अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।	16	30
HINDU MARRIAGE ACT, 1955		
हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955		
Sections 11 and 25 – Permanent alimony – A spouse from a void marriage is entitled to seek permanent alimony u/s 25, as the provision covers all types of decrees including nullity.		
धाराएं 11 एवं 25 – स्थायी निर्वाहिका – शून्य विवाह के पति या पत्नी धारा 25 के अंतर्गत स्थायी निर्वाहिका पाने के हकदार है क्योंकि यह प्रावधान अकृतता सहित सभी प्रकार की डिक्री को आवृत्त करता है।	73	159
Section 12 – Rejection of plaint – When pleadings in both the cases were same.		
धारा 12 – वाद का नामंजूर होना – जब दोनों प्रकरणों में अभिवचन समान थीं।	211	506
Sections 13, 13-B, 24 and 25 – Permanent alimony – Factors to be considered while granting permanent alimony, explained.		
धाराएं 13, 13-ख, 24 एवं 25 – स्थायी निर्वाहिका – स्थायी निर्वाहिका प्रदान करते समय विचार किए जाने वाले कारक, समझाये गये।	74	161
Section 13B – Dissolution of marriage – Parties requested to waive off 6 months cooling off period on the ground that they were staying in different stations for work and are facing difficulty in attending the case – No ground.		
धारा 13ख – विवाह का विघटन – पक्षकारों ने 6 माह की प्रतीक्षा अवधि का अधित्यजन करने का निवेदन किया कि वह अलग स्थानों पर कार्य करते हैं एवं प्रकरण में उपस्थित होने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं – कोई आधार नहीं।	*17	32
Section 13B(2) – Divorce by mutual consent – There is no provision u/s 13B(2) of the Act for waiving of statutory period of six months – Jurisdiction of Court to pass a decree by mutual consent is limited jurisdiction.		
धारा 13ख(2) – पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद – 6 माह की प्रतीक्षा अवधि के अधित्यजन के लिये धारा 13ख(2) में कोई उपबंध नहीं है – पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करने की न्यायालय की अधिकारिता सीमित है।	18	32
Section 13(1)(ia) – Divorce – Mental cruelty.		
धारा 13(1)(िक) – विवाह विच्छेद – मानसिक क्रूरता।	*212	508
Section 13(1)(ia) – (i) Divorce on the ground of mental cruelty – When permissible?		
(ii) Appreciation of evidence – Unlike the case of physical cruelty, mental cruelty is difficult to establish by direct evidence.		
धारा 13(1)(िक) – (i) मानसिक क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद – कब दिया जा सकता है?		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) साक्ष्य का मूल्यांकन – शारीरिक क्रूरता के मामले से भिन्न, मानसिक क्रूरता को प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा स्थापित करना कठिन है।	171	410
Sections 13(1)(ia) and 13(1)(ib) – Divorce – Appreciation of.		
धाराएं 13(1)(क) एवं 13(1)(ख) – विवाह–विच्छेद – मूल्यांकन।	75	163
Section 25 – Quantum of permanent alimony or maintenance – Relevant factors required to be taken into consideration for determination – Law explained.		
धारा 25 – स्थायी निर्वाहिका या भरण–पोषण भत्ते की मात्रा – निर्धारण हेतु ध्यान में रखने योग्य सुसंगत कारक – विधि समझाई गई।	124	291
Section 26 – Custody of children – Whether father barred from filing subsequent petition for custody?		
धारा 26 – बच्चों की अभिरक्षा – क्या पिता बाद में अभिरक्षा के लिए याचिका दायर करने से वंचित है?	213	509
HINDU MINORITY AND GUARDIANSHIP ACT, 1956		
हिन्दू अप्राप्तवयता तथा संरक्षकता अधिनियम, 1956		
Sections 6 and 13 – Entitlement of custody of minor child – Minor child will get better exposure in life and growth of his personality would be more prominent under the guardianship of his father, rather than in the company of maternal grandmother.		
धाराएं 6 एवं 13 – अवयस्क बालक की अभिरक्षा का अधिकार – अवयस्क बालक को जीवन में बेहतर अवसर मिलेगा तथा उसके व्यक्तित्व का विकास नानी की संगति की अपेक्षा उसके पिता की अभिरक्षा में अधिक होगा।	125	294
Sections 6 and 13 – See section 25 of the Guardians and Wards Act, 1890.		
धाराएं 6 एवं 13 – देखें संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 25।	210	505
Section 8 – Transfer of immovable property – Minor on attaining majority can repudiate the transaction either by instituting a suit within limitation or by unequivocal conduct – Repudiation by conduct is legally valid.		
धारा 8 – अचल संपत्ति का हस्तांतरण – नाबालिग बालिग होने पर उस लेन–देन को या तो सीमावधि के भीतर वाद दायर कर या स्पष्ट आचरण द्वारा अस्वीकार कर सकता है – आचरण द्वारा अस्वीकरण विधिक रूप से मान्य है।	258	610
HINDU SUCCESSION ACT, 1956		
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956		
Sections 6, 10 and 15 – (i) Succession and devolution of ancestral property – Rights of daughter and widow.		
(ii) Plea of adverse possession rejected as possession between co-owners not hostile.		
धाराएं 6, 10 एवं 15 – (i) उत्तराधिकार और पैतृक संपत्ति का हस्तांतरण – पुत्री और विधवा के अधिकार।		
(ii) प्रतिकूल कब्जे का तर्क अस्वीकार किया गया क्योंकि सह–स्वामियों के मध्य कब्जा शत्रुतापूर्ण नहीं माना गया।	214	510

Act/ Topic	Note No.	Page No.
INDIAN PENAL CODE, 1860		
भारतीय दण्ड संहिता, 1860		
Sections 34 and 302 – Criminal trial – Murder – Identification of accused.		
धाराएं 34 एवं 302 – आपराधिक मुकदमा – हत्या – अभियुक्त की पहचान।	259(i)	611
Sections 34, 302 and 304 Part I – Murder – Held, though the accused had knowledge that the injuries inflicted could cause death, the evidence does not establish intention to kill.		
धाराएं 34, 302 एवं 304 भाग I – हत्या – अभिनिर्धारित, यद्यपि अभियुक्तों को यह ज्ञान था कि दी गई चोटें मृत्यु का कारण बन सकती हैं, तथापि साक्ष्य से हत्या करने का आशय प्रमाणित नहीं होता।	260	614
Section 84 – Insanity – Defence u/s 84 IPC – Burden of proof – Right to fair defence under Article 21		
धारा 84 – चित्त-विकृति – धारा 84 आईपीसी के अंतर्गत बचाव – प्रमाण का भार – अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निष्पक्ष बचाव का अधिकार।	215	512
Sections 96 to 106, 300, 302 and 304 – Right of private defence – Exceptions 2 & 4 to Section 300 – Scope and limitations.		
धाराएं 96 से 106, 300, 302 एवं 304 – निजी रक्षा का अधिकार – धारा 300 की अपवाद 2 और 4 – विस्तार और सीमाएं।	216	513
Sections 107 and 306 – Abetment to suicide – Instigation must be proximate, deliberate and of such intensity that it leaves the deceased with no option but to end life.		
धाराएं 107 एवं 306 – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – उकसावा सन्निकट, जानबूझकर और इतनी तीव्रता का होना चाहिए कि मृतक के पास जीवन समाप्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष न रहे।	172	412
Section 120B – See section 227 of the Criminal Procedure Code, 1973 and sections 7, 12 and 13(2) r/w/s 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act, 1988.		
धारा 120ख – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 227 एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 – धाराएं 7, 12, 13(2) सहपठित धारा 13(1)(घ)।	66	144
Sections 120B, 109, 468 and 471 – Offence of forgery for the purpose of cheating – Failure to exhibit the original document – Effect.		
धाराएं 120ख, 109, 468 एवं 471 – छल के उद्देश्य से कूटरचना का अपराध – मूल दस्तावेज को प्रदर्शित करने में विफलता – प्रभाव।	126	296
Sections 120B, 196, 199, 406, 420, 467, 468, and 471 – See sections 202(1)(a) and 156(3) of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 120ख, 196, 199, 406, 420, 467, 468 एवं 471 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 202(1) (क) एवं 156(3)।	166	394

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 120 B, 302 and 307 – See section 161 of the Criminal Procedure Code, 1973 and section 154 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 302, 307 एवं 120ख – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 154।	78	172
Sections 120B, 364A and 392 – Recovery of money – Father of the minor received back currency notes without an order of court which was a clear act of unacceptable misconduct on the part of the investigating officer.		
धाराएं 120ख 364क एवं 392 – पैसे की बरामदगी – बालक के पिता द्वारा बिना न्यायालय के आदेश के जब्तशुदा नोट वापस प्राप्त किये; जो जांच अधिकारी की ओर से अस्वीकार्य कदाचार का स्पष्ट उदाहरण है।	19(iii)	36
Sections 120-B, 406 and 420 – Delay in lodging complaint – Absence of dishonest intention at inception – Criminal law cannot be used as a tool for settlement of civil disputes or to pressurize the accused.		
धाराएं 120-ख, 406 एवं 420 – शिकायत दर्ज करने में विलंब – प्रारंभ में बेईमानी के आशय का अभाव – आपराधिक विधि का उपयोग सिविल विवादों के निपटारे या अभियुक्त पर दबाव बनाने के उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता।	261	615
Sections 120B, 406 and 420 – (i) Offence of cheating – It is merely a case of breach of contract.		
(ii) Maxim “ <i>sublato fundamento cadit opus</i> ” – Explained.		
(iii) Jurisdiction of CBI to investigate against non-public servant – Accused who are non-public servants and who have alleged to have committed offence other than under the Act of 1988 or IPC, cannot be investigated, tried and prosecuted by the CBI in absence of consent required u/s 6 of the Act of 1946.		
धाराएं 120ख, 406 एवं 420 – (i) छल का अपराध – यह मामला केवल संविदा के भंग का है।		
(ii) मैकिजम “ <i>sublato fundamento cadit opus</i> ” को समझाया गया।		
(iii) गैर लोकसेवक के विरुद्ध अनुसंधान करने का सीबीआई का क्षेत्राधिकार – सीबीआई द्वारा अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अंतर्गत अपेक्षित सहमति के अभाव में अभियुक्त जो गैर लोकसेवक हों और जिन पर अधिनियम, 1988 या भा0दं0सं0 से भिन्न अपराध कारित किये जाने के आक्षेप हों, का अनुसंधान, विचारण और अभियोजन नहीं किया जा सकता।	127	300
Sections 120B, 420, 467, 468, 471 and 477A – Offence of cheating – The nature and extent of alleged conspiracy, the involvement of accused person and the actual harm caused to public exchequer need to be judiciously examined in a trial		
धाराएं 120ख, 420, 467, 468, 471 एवं 477क – छल का अपराध – कथित षडयंत्र की प्रकृति और विस्तार, अभियुक्तगण की संलिप्तता और राजकोश को हुई वास्तविक क्षति का न्यायसम्मत परीक्षण विचारण के दौरान किया जाना चाहिए।	20	39

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 147, 148 and 302 r/w/s 149 – Murder – Unlawful assembly – Common object. धाराएं 147, 148 एवं 302 सहपठित धारा 149 – हत्या – विधिविरुद्ध जमाव – सामान्य उद्देश्य।	21	42
Sections 186 and 353 – Offence of assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty – Unless there are specific allegations with specific acts, mere allegation of “creating disturbance” cannot mean use of “criminal force” or “assault” within the scope of section 353 of IPC. धाराएं 186 एवं 353 – लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का अपराध – जब तक विशिष्ट कृत्यों के साथ विशिष्ट आरोप न हों, केवल ‘व्यवधान पैदा करने’ के आरोप का आशय भा.दं.सं. की धारा 353 की परिधि में ‘आपराधिक बल’ या ‘हमला’ का प्रयोग नहीं हो सकता।	64(ii)	139
Sections 186 and 353 – See sections 221 and 132 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023. धाराएं 186 एवं 353 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 – धाराएं 186 एवं 353।	206	493
Sections 193, 415, 420, 465, 468 and 471 – Cheating – Such act of the accused would come under the definition of cheating punishable u/s 420 IPC and would also be punishable u/s 468 IPC. धाराएं 193, 415, 420, 465, 468 एवं 471 – छल – अभियुक्त द्वारा शपथकर्ता के हस्ताक्षर कोरे कागज पर लेकर उसकी अंतर्वस्तु बाद में टंकित की गई – शपथकर्ता ने उसके निष्पादन से इंकार किया – प्रवचन का आशय विद्यमान है – अभियुक्त का ऐसा कृत्य धारा 420, भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय छल की परिभाषा में आता है और धारा 468, भा0दं0सं0 के अंतर्गत भी दण्डनीय होगा।	128 (ii)	303
Sections 201, 212, 302, 363 and 376A – Criminal trial – Circumstantial evidence – Accused allegedly raped and murdered a minor girl – Failure to establish complete chain – Last seen theory. धाराएं 201, 212, 302, 363 एवं 376क – आपराधिक विचारण – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – अभियुक्त पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप – पूर्ण श्रृंखला स्थापित करने में विफलता – अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत।	262	617
Sections 201 and 302 – See sections 106, 118 and 134 of the Evidence Act, 1872 and section 161 of the Criminal Procedure Code, 1973. धाराएं 201 एवं 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 106, 118 एवं 134 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161।	257	607
Sections 201, 302, 363 and 376(2)(i) – Rape and murder of minor girl – Conviction based solely on circumstantial evidence. धाराएं 201, 302, 363 एवं 376(2)(i) – नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार और हत्या – केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि।	217	516

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 201, 302 and 376 – Rape and murder of minor – Material incriminating circumstances appearing in evidence were not put to the accused and explained to him in a language understood by him.		
धाराएं 201, 302 एवं 376 – नाबालिग से बलात्संग और हत्या – अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने एक ट्यूबवेल ऑपरेटर के रूप में कार्य करते समय, लगभग 10 वर्ष की नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्संग और हत्या की – विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 376, 302 और 201 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और मृत्युदण्ड अधिरोपित किया – उच्च न्यायालय ने अपील में, यद्यपि दोषसिद्धि की पुष्टि की, मृत्युदण्ड को अपास्त कर अभियुक्त को उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास से दण्डित किया – एकमात्र बाल चक्षुदर्शी की साक्ष्य उत्कृष्ट गुणवत्ता की नहीं पाई गई – महत्वपूर्ण साक्षी, जो पीड़िता का पिता है, का आचरण अस्वाभाविक पाया गया – अभियुक्त की निशानदेही पर अभियोगात्मक वस्तुओं की बरामदगी विधिवत साबित नहीं हुई – साक्ष्य में प्रकट हुई अभियोगात्मक परिस्थितियों को अभियुक्त के समक्ष नहीं रखा गया और उसे उसकी समझ में आने वाली भाषा में नहीं समझाया गया – राज्य अभियुक्त को समय पर और प्रभावी विधिक सहायता प्रदान करने में विफल रहा – इन सभी कारणों से, उच्चतम न्यायालय ने दोषसिद्धि को अपास्त कर अभियुक्त को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।	118 (vi)	271
Sections 201, 302, 379 and 411 – Dishonestly receiving stolen property – Illegality – Once the accused is acquitted of theft, there could be no conviction for receiving stolen property.		
धाराएं 201, 302, 379 एवं 411 – चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना – अवैधता – एक बार आरोपी को चोरी से दोषमुक्त कर दिया गया, तो चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोषसिद्धि नहीं हो सकती।	218	519
Sections 299, 300, 302 and 307 – Theory of Causation – Septicemia as a supervening cause – Distinction between Murder and Attempt to Murder.		
धाराएं 299, 300, 302 एवं 307 – थ्योरी ऑफ कॉसेसन – सेप्टीसीमिया एक परवर्ती कारण के रूप में – हत्या और हत्या के प्रयास में अंतर।	219	521
Sections 300, 302 and 304 – Culpable homicide not amounting to murder – What it is?		
धाराएं 300, 302 एवं 304 – आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है – धारा 300 के अपवाद 1 का लागू होना – अनिवार्यताएं – गंभीर और आकस्मिक प्रकोपन – क्या है?	129	304
Section 302 – Murder – Circumstantial evidence – Chain of circumstances.		
Sentencing – Death penalty – “Rarest of rare” doctrine – Commutation to life imprisonment – Principles.		
धारा 302 – हत्या – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – परिस्थितियों की श्रृंखला।		
दण्ड निर्धारण – मृत्युदण्ड – “दुर्लभ से दुर्लभतम” सिद्धांत – आजीवन कारावास में परिवर्तन – सिद्धांत।	220(i)&(iii)	525
Section 302 – Murder – Circumstantial evidence – Proof of ‘Motive’ – When?		
धारा 302 – हत्या – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – ‘हेतु’ का प्रमाणित होना – कब?	77(i)	168

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 302 – Murder – Circumstantial evidence – When chain of circumstantial evidence incomplete.		
धारा 302 – हत्या – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – कब परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला अपूर्ण पाई गई।	263	620
Section 302 – See Sections 25 and 106 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 25 और 106।	130	309
Section 302 – See Section 65B of the Evidence Act, 1872		
धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख।	131	311
Section 302 – Offence of murder – Suspicion cannot replace proof.		
धारा 302 – हत्या का अपराध – संदेह सबूत का स्थान नहीं ले सकता।	76	165
Section 302 – See section 329 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 302 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 329।	9	18
Section 302 r/w/s 34 – Murder – Although one accused was acquitted on ground of <i>alibi</i> but it does not automatically entitle co-accused to benefit of parity but conviction must independently stand on evidence.		
धाराएं 302 सहपठित 34 – हत्या – यद्यपि एक आरोपी को अलिबाई के आधार पर बरी किया गया, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि सह-आरोपी को भी समान लाभ स्वतः मिल जाए, बल्कि दोषसिद्धि स्वतंत्र साक्ष्य के आधार पर ही टिकनी चाहिए।	264	622
Sections 302 r/w/s 149 – See section 145 and 155 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 302 सहपठित धारा 149 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 एवं 155।	170	405
Sections 302 and 304B – Offence of murder – Multiple dying declarations.		
धारा 302 एवं 304ख – हत्या का अपराध – एकाधिक मृत्युकालिक कथन।	123	287
Sections 302, 307 and 120B – See section 154 of the Evidence Act, 1872 and section 157 of the Bharatiya Sakshya Adhinyam, 2023.		
धाराएं 302, 307 एवं 120ख – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 154 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 157।	78	172
Sections 302, 316 and 364 – Murder – Death sentence – Doctrine requires that death sentence should not be imposed only by taking into consideration the grave nature of crime.		
धाराएं 302, 316 एवं 364 – हत्या – मृत्यु दण्ड – इस सिद्धांत में अपराध की गम्भीरता मात्र को विचार में लेकर मृत्युदण्ड का आदेश दिया अपेक्षित नहीं है।	132 (ii)	317
Sections 302, 364 and 377 – See Sections 29 and 30 of the Protection of Children From Sexual Offences Act, 2012 and Sections 3, 8 r/w/s 27 and 45 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 302, 364 एवं 377 – देखें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धाराएं 29 एवं 30 एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8 सहपठित धारा 27 एवं 45।	145	346

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 302 and 376 – Rape and murder – Principles that court must adhere to while appreciating and evaluating evidence in cases based on circumstantial evidence, reiterated.		
धाराएं 302 एवं 376 – बलात्संग और हत्या – परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों में साक्ष्य का विवेचन एवं मूल्यांकन करते समय न्यायालय को जिन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, उन्हें दोहराया गया।	80	178
Section 302/34 – Murder – Common intention – Appreciation.		
धारा 302/34 – हत्या – सामान्य आशय – मूल्यांकन।	79	175
Section 302/34 – (i) Oral dying declaration – When reliable? (ii) Ballistic expert report – Absence when significant? (iii) Murder and common intention – Appreciation.		
धारा 302/34 – (i) मौखिक मृत्युकालिक कथन – कब विश्वास किया जा सकता है? (ii) बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट – अनुपस्थिति कब महत्वपूर्ण? (iii) हत्या और सामान्य आशय – मूल्यांकन।	*173	414
Sections 304A and 304 Part II – See Section 227 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 304क एवं 304 भाग II – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 227।	117	269
Section 304-B – Deceased-wife died within one year and four months of marriage at her matrimonial home due to ante-mortem head injury – Presumption u/s 113-B rightly invoked.		
धारा 304ख – मृत पत्नी की मृत्यु विवाह के एक वर्ष चार महीने के भीतर ससुराल में सिर की पूर्व मृत्यु कालिक चोट के कारण हुई – धारा 113-ख की उपधारणा को उचित रूप से उपधारित किया गया।	221(i)	529
Sections 304-B, 306 and 498-A – (i) Offence of dowry death – Prerequisites to raise presumption u/s 113B of the Evidence Act having not been fulfilled, conviction of the appellant/husband for the offence u/s 304B cannot be justified. (ii) Conviction u/s 304B, 306 and 498A of IPC – Prosecution has failed to place any credible evidence in respect of involvement of Sister-in-law of deceased.		
धाराएं 304-ख, 306 एवं 498-क –(i) दहेज हत्या का अपराध – साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख के अंतर्गत उपधारणा करने के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें पूरी नहीं होने के कारण धारा 304-ख के अपराध के लिए अपीलार्थी/पति की दोषसिद्धि को उचित नहीं ठहराया जा सकता। (ii) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-ख, 306 और 498-क के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि – अभियोजन मृतिका की भाभी की संलिप्तता के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा है।	133	321
Sections 304-B and 498-A – Dowry death and cruelty – When presumption u/s 113-B can be drawn? Presumption as to dowry death u/s 113-B of the Act – If all the necessary ingredients of dowry death is not proved beyond reasonable doubt, the presumption u/s 113-B of the Act would not be available to the prosecution.		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धाराएं 304-ख एवं 498-क – (i) दहेज मृत्यु एवं क्रूरता – कब धारा 113-ख के अंतर्गत उपधारणा की जा सकती है?		
अधिनियम की धारा 113ख के अंतर्गत 'दहेज मृत्यु' की उपधारणा – यदि दहेज मृत्यु के सभी आवश्यक घटक युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होते हैं तो अधिनियम की धारा 113ख के अंतर्गत उपधारणा अभियोजन को उपलब्ध नहीं होगी।	174 (i)&(iii)	416
Sections 304-B and 498-A – Dowry death – Ingredients – Proof.		
धाराएं 304ख एवं 498क – दहेज मृत्यु – आवश्यक तत्व – प्रमाण।	222	532
Section 304B and 498A – See section 439 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 304ख एवं 498क – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439।	121	283
Sections 304 part-II and 386 – When culpable homicide does not amount to murder, explained.		
धाराएं 304 भाग-2 एवं 386 – आपराधिक मानव वध कब हत्या की कोटि में नहीं आयेगा, स्पष्ट किया गया।	22	44
Section 306 – Abetment of suicide – Neighbourhood quarrel – Requirement of <i>mens rea</i> – Held, to attract Section 306, prosecution must prove clear <i>mens rea</i> and active instigation, aid or intentional conduct leaving the deceased with no option except to commit suicide.		
धारा 306 – आत्महत्या के लिए उकसाना – पड़ोसियों के बीच झगड़ा – मेन्स रिया की आवश्यकता – अभिनिर्धारित, धारा 306 को लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष को स्पष्ट मानसिक तत्व और सक्रिय उकसावे, सहायता या जानबूझकर किए गए ऐसे कृत्य को सिद्ध करना होगा, जिससे मृतक के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प न बचे।	*265	624
Sections 306 r/w/s 107, 114 and 498A – (i) Abetment of suicide – Mere harassment, by itself, is not sufficient to find an accused guilty of abetting suicide – Prosecution must demonstrate an active or direct action by the accused that led the deceased to commit suicide.		
(ii) Offence of cruelty to married women – “Cruelty” simpliciter is not enough to constitute the offence, rather it must be done either with the intention to cause grave injury or to drive her to commit suicide or with intention to coercing her or her relatives to meet unlawful demands.		
धाराएं 306 सहपठित धारा 107, 114 एवं 498क – (i) आत्महत्या का दुष्प्रेरण – केवल उत्पीड़न, अपने आप में, किसी अभियुक्त को आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है – अभियोजन को आवश्यक रूप से अभियुक्त का प्रत्यक्ष या सक्रिय कृत्य दर्शाना होगा जिसके कारण मृतिका आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित हुई।		
(ii) विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता का अपराध – केवल “क्रूरता” ही अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त नहीं है वरन् इसे या तो घोर उपहति पहुंचाने या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने या उसे या उसके नातेदारों को विधि विरुद्ध मांगों को पूरा करने के लिए बाध्य करने के आशय से किया जाना चाहिए।	82	184
Sections 306 and 417 – See Section 3 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 306 एवं 417 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3।	81	181

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 307 – See Section 228 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 307 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 228।	67	146
Sections 307 and 326 – Offence of attempt to murder and causing grievous hurt by dangerous weapon and means – Where accused caused grievous injury with intent to kill, he would be convicted only u/s 307 IPC and not u/s 326 of IPC.		
धाराएं 307 एवं 326 – हत्या के प्रयास और खतरनाक आयुध एवं साधनों से घोर उपहति कारित करने का अपराध – जहाँ अभियुक्त ने हत्या के आशय से घोर उपहति कारित की वहाँ उसे केवल धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाएगा एवं धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत नहीं किया जाएगा।	175(i)	420
Sections 307, 363, 366-A and 376 – DNA Evidence – Non-examination of experts – Mere exhibiting of a DNA report under Section 293 CrPC is insufficient without testing its methodology, chain of custody and expert testimony.		
धाराएं 307, 363, 366-क एवं 376 – डीएनए साक्ष्य – विशेषज्ञों की परीक्षा नहीं – धारा 293 दं.प्र. स. के अंतर्गत डीएनए रिपोर्ट को मात्र प्रदर्शित करना पर्याप्त नहीं है जब तक उसकी कार्यप्रणाली, अभिरक्षा की श्रृंखला और विशेषज्ञ साक्ष्य की जांच न की जाए।	223	535
Sections 323 and 498A – Matrimonial dispute – Mere general allegations of mental harassment insufficient to constitute “cruelty”.		
धाराएं 323 एवं 498क – वैवाहिक विवाद – मानसिक उत्पीड़न के केवल सामान्य आरोप “क्रूरता” की श्रेणी में नहीं आते।	266	625
Sections 323 and 376 - Offence of rape – Appreciation of evidence.		
धाराएं 323 एवं 376 – बलात्कार का अपराध – साक्ष्य का मूल्यांकन।	134	324
Section 353 r/w/s 186 – Obstructing public servant in discharge of public functions – When the ingredients of section 353 of IPC are attracted?		
धारा 353 सहपठित धारा 186 – लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना – कब धारा 353 के आवश्यक तत्व आकर्षित होते हैं?	23	47
Section 376 – Rape – Distinction between rape on grounds of false promise to marry and consensual relationship explained.		
धारा 376 – बलात्संग – विवाह का झूठा वादा कर बलात्संग करना और आपसी सहमति पर आधारित संबंधों के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया।	135	326
Section 376 – Rape of minor girl – Circumstantial evidence – Testimony of child witness.		
धारा 376 – अवयस्क बालिका का बलात्संग – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – बाल साक्षी की साक्ष्य।	176	422
Section 376 – See sections 4 and 6 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 and sections 215, 223 and 464 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 376 – देखें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धाराएं 4 एवं 6 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 215, 223 एवं 464।	237	564

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 376(2)(n) and 506 – Offence of rape and criminal intimidation – A mere breakup of relationship between a consenting couple cannot result in the initiation of criminal proceedings – What was a consensual relationship between the parties at the initial stage cannot be given a colour of criminality when that relationship does not fructify into a marital relationship.		
धाराएं 376(2)(ढ) एवं 506 – बलात्संग का अपराध और आपराधिक अभित्रास – सहमत रहे युगल के मध्य मात्र संबंध विच्छेद हो जाने के परिणामस्वरूप आपराधिक कार्यवाही आरंभ नहीं हो सकती – प्रारंभिक अवस्था में पक्षकारों के मध्य जो सहमतिपूर्ण संबंध थे, उनके वैवाहिक संबंध के रूप में फलीभूत न होने पर उसे आपराधिकता का रंग नहीं दिया जा सकता।	83	188
Sections 377 and 498-A – (i) Dowry demand – Allegations of dowry demand and subsequent harassment are omnibus, without specific dates and events in complaint, implicating relatives of husband just to exert pressure over husband to succumb, after filing of divorce petition.		
(ii) Unnatural sex – No offence made out in absence of medical evidence regarding injuries.		
(iii) FIR, when lodged with delay – Delay is not always the vital ground to discard the complaint, however it is duty of court to circumspect about the allegations, its nature as revealed from evidence, so that innocent people may not suffer.		
धाराएं 377 एवं 498-क – (i) दहेज की मांग – दहेज की मांग और पश्चातवर्ती उत्पीड़न के आरोप सर्वव्यापी हैं, परिवाद में विशिष्ट दिनांक एवं घटनाक्रम के बिना, विवाह विच्छेद याचिका प्रस्तुत होने के उपरान्त पति पर झुकने का दबाव बनाने के लिए पति के नातेदारों को संलिप्त किया गया।		
(ii) अप्राकृतिक यौन संबंध – उपहति के संबंध में चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में कोई अपराध नहीं बनता है।		
(iii) प्रथम सूचना रिपोर्ट, जब विलंब से दायर की गई – विलंब हमेशा परिवाद को खारिज करने का सारवान आधार नहीं होता, किन्तु यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह आरोपों, साक्ष्य से ज्ञात उसकी प्रकृति का अवलोकन करे, जिससे निर्दोष प्रभावित व्यथित न हो।	177	425
Sections 377, 498-A and 506 r/w/s 34 – Cruelty – Quashing of FIR – Vague allegations against in-laws – Essential ingredients of offence not disclosed.		
धाराएं 377, 498-क एवं 506 सहपठित धारा 34 – क्रूरता – प्रथम सूचना रिपोर्ट अपास्त करना – सास-ससुर के विरुद्ध अस्पष्ट आरोप – अपराध के आवश्यक तत्व प्रकट नहीं होते।	267	627
Sections 392 and 397 – Robbery – No test identification parade conducted – Some witnesses stated that accused were not the robbers.		
धाराएं 392 एवं 397 – लूट – पहचान परेड नहीं कराई गई – कुछ साक्षियों ने कहा कि अभियुक्त लुटेरे नहीं थे – आयुधों और लूटी गई वस्तुओं की बरामदगी प्रमाणित नहीं हुई।	178	427
Sections 395 and 397 – Dacoity – There were major discrepancies between the seizure memo and the seized item.		
धाराएं 395 एवं 397 – डकैती – जब्ती पत्रक एवं जब्त की गई सामग्री के मध्य गंभीर विसंगतियां थीं।	136 (i)	328

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 406, 415 and 420 – Criminal breach of trust – Where act of breach of trust involves civil wrong, the remedy lies for damages in civil courts, whereas such an act with <i>mens rea</i> leads to criminal prosecution as well.		
“Criminal breach of trust” and “cheating” – Distinction – Explained.		
धाराएं 406, 415 एवं 420 – आपराधिक न्यासभंग – जहां न्यासभंग के कृत्य में सिविल दोष सम्मिलित है वहां नुकसानी का उपचार सिविल न्यायालय में उपलब्ध होगा जबकि आपराधिक मनःस्थिति के साथ उक्त कृत्य दांडिक अभियोजन की ओर भी ले जायेगा।		
“आपराधिक न्यासभंग” एवं “छल” – भिन्नता।	84(i)&(ii)	191
Sections 406, 420 and 506 – Criminal dispute – Essential ingredients of cheating and forgery were missing.		
धाराएं 406, 420 एवं 506 – आपराधिक विवाद – धोखाधड़ी और जालसाजी के आवश्यक तत्व अनुपस्थित थे।	268	629
Sections 415 and 420 – Offence of cheating – Mere failure to fulfill a promise to pay does not indicate dishonest intention, unless deception was present at outset of transaction.		
धाराएं 415 एवं 420 – छल का अपराध – मात्र भुगतान करने का वचन पूर्ण न करना बेईमानी को इंगित नहीं करता है, जब तक कि संव्यवहार के प्रारंभ में प्रवचन विद्यमान न हो।	179	429
Sections 420, 201 and 120B – See Sections 437(6) and 439 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 420, 201 एवं 120ख – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 437(6) एवं 439।	120	280
Section 420 r/w/s 34 – See sections 88, 437 and 438 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 420 सहपठित धारा 34 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 88, 437 एवं 438।	254	603
Sections 420, 468, 471 and 511 – Forgery – Standard of proof.		
धाराएं 420, 468, 471 एवं 511 – जालसाजी – प्रमाण का मानक।	269(i)	631
Section 498-A – Cruelty – Proof – Demand for dowry must be proved by reliable evidence showing continuous harassment which was sufficient to drive the woman to commit suicide.		
धारा 498-क – क्रूरता – प्रमाण – दहेज की मांग को विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जाना आवश्यक है, जो यह दर्शाए कि महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाला लगातार उत्पीड़न हुआ।	270	634
Section 494 r/w/s 34 – Bigamy – In order to rope other persons in the offence with the aid of section 34 IPC, the complainant would be required to prove not only the presence of those persons but also their overt act or omission in the second marriage ceremony and also establish that such persons were aware about the subsisting marriage of main accused with the complainant.		
धारा 494 सहपठित धारा 34 – द्विविवाह – भा.दं.सं. की धारा 34 की सहायता से अन्य व्यक्तियों को अपराध में सम्मिलित करने के लिए, परिवादी को न केवल उन व्यक्तियों की उपस्थिति को साबित करना होगा, अपितु दूसरे विवाह समारोह में उनके प्रकट कृत्य अथवा लोप को भी साबित करना होगा और यह भी		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
स्थापित करना होगा कि ऐसे व्यक्तियों को मुख्य आरोपी एवं परिवारी के मध्य पूर्व में हुए विवाह के अस्तित्व में रहने की जानकारी थी।	24	49
Section 498A – Cruelty by husband and relatives – Allegations against relatives found vague and omnibus and no <i>prima facie</i> case was made out – Appeal allowed.		
धारा 498-क – पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता – रिश्तेदारों के विरुद्ध आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के होन से प्रथम दृष्टया कोई प्रकरण नहीं बनना पाया गया – अपील स्वीकार की गई।	224(i)	538
Section 498A – (i) Cruelty to married women – FIR lodged after receiving the notice of divorce petition filed by the husband – Whether FIR can be said to have been lodged by way of counter blast to the divorce petition? Held, No.		
(ii) <i>Stridhan</i> – When wife has taken her <i>stridhan</i> , then no one can make a complaint about it because only the wife is the owner of her <i>stridhan</i> .		
(iii) Practice and procedure – To what extent finding of Civil Court is binding?		
धारा 498क – (i) विवाहित महिला के प्रति क्रूरता – पति द्वारा प्रस्तुत विवाह-विच्छेद याचिका का सूचना पत्र प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी – क्या यह कहा जा सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, विवाह विच्छेद याचिका के प्रतिवाद स्वरूप दर्ज करायी गई? अभिनिर्धारित, नहीं।		
(ii) स्त्रीधन – जब पत्नी ने स्वयं का स्त्रीधन ले लिया है, तब कोई भी इसके बारे में शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ पत्नी ही स्वयं स्त्रीधन की स्वामी होती है।		
(iii) प्रथा एवं प्रक्रिया – किस सीमा तक सिविल न्यायालय का निष्कर्ष बाध्यकारी होता है?	85	194
Section 498A – Criminal case arising out of matrimonial dispute – Courts must exercise caution to prevent misuse of legal provisions and to avoid unnecessary harassment of innocent family members.		
धारा 498क – वैवाहिक विवाद से उत्पन्न आपराधिक मामला – न्यायालय को कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने और परिवार के निर्दोष सदस्यों को अनावश्यक प्रताड़ना से बचाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए।	86(ii)	196
JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2000		
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000		
Sections 7A, 15 and 16 – Plea of juvenility – Stage at which can be raised.		
धाराएं 7क, 15 एवं 16 – किशोरावस्था का अभिवाक् – किस स्तर पर उठाया जा सकता है।		
	*225	540
JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2015		
किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015		
Section 9(2) – (i) Plea of juvenility – Merely because adjudication has taken place, it does not mean that a plea of juvenility cannot be raised subsequently – Juvenile court is a species of a parent and a delinquent has to be protected and re-educated.		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) Legal maxim – <i>Actus curiae neminem gravabit</i> – No one shall be prejudiced by an act of the court – Explained.		
धारा 9(2) – (i) अप्राप्तवयता होने का अभिवाक् – केवल इसलिए कि न्याय निर्णयन हो चुका है, इसका अर्थ यह नहीं है कि बाद में अप्राप्तवय होने का अभिवाक् नहीं उठाया जा सकता – किशोर न्यायालय अभिभावक की भांति है और उसके द्वारा एक अपचारी को संरक्षित और पुनः शिक्षित किया जाना चाहिए।		
(ii) लीगल मेक्सिम – <i>Actus curiae neminem gravabit</i> – न्यायालय के किसी कार्य से किसी को भी पूर्वाग्रह नहीं होगा – व्याख्या की गई।	87	199
Sections 9(2) and 94 – Juvenility – Law reiterated that juvenile status must be determined in accordance with statutory safeguards, even after finality of criminal proceedings.		
धाराएं 9(2) एवं 94 – किशोरावस्था – विधि को पुनः दोहराया कि किशोर की स्थिति का निर्धारण वैधानिक मापदण्डों के अनुसार किया जाना चाहिए, भले ही आपराधिक कार्यवाही अंतिम रूप ले चुकी हो।	180	432
Sections 15 and 94 – Determination of age – When it is established that age of accused is above 18 years then preliminary assessment u/s 15 of the Act is not required.		
धाराएं 15 एवं 94 – आयु का अवधारण – जब यह स्थापित है कि अभियुक्त की आयु 18 वर्ष से अधिक है तब अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रारंभिक निर्धारण की आवश्यकता नहीं है।	25	51
JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) RULES, 2007		
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2007		
– See sections 7A, 15 and 16 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000.		
देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धाराएं 7क, 15 एवं 16।		
	*225	540
JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) RULES, 2022		
किशोर न्याय (बालको की देखरेख और सरक्षण) नियम, 2022		
Rule 65 – See sections 15 and 94 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, section 35 of the Evidence Act, 1872 and section 29 of the Bharatiya Sakshya Adhinyam, 2023.		
नियम 65 – देखें किशोर न्याय (बालको की देखरेख और सरक्षण) अधिनियम, 2015 – धाराएं 15 एवं 94, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 29।		
	25	51
LAND ACQUISITION ACT, 1894		
भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894		
Section 23 – Land acquisition – Enhancement of compensation.		
धारा 23 – भूमि अधिग्रहण – प्रतिकर की अभिवृद्धि।	271	636

Act/ Topic	Note No.	Page No.
LAND REVENUE CODE, 1959 (M.P.)		
भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)		
Sections 57 and 158 – (i) Bhumiswami rights – Priest is only a manager of the temple property and not the owner or Kashtkar Morushi – Proprietary rights over temple land claimed by a priest amount to mismanagement.		
(ii) Revenue records – In the absence of impleadment of deity or Jagirdar (true owners), suit challenging such mutation not maintainable due to non-joinder of necessary and proper parties.		
धाराएं 57 एवं 158 –(i) भूमिस्वामी अधिकार – पुजारी केवल मंदिर की संपत्ति का प्रबंधक है एवं स्वामी अथवा मौरूसी काश्तकार नहीं है – पुजारी का ऐसी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है जिसे म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत संरक्षित किया जा सके। (ii) राजस्व अभिलेख – मूर्ति अथवा जागीरदार (वास्तविक स्वामियों) को समाविष्ट किये जाने के अभाव में, आवश्यक एवं उचित पक्षकारों के असंयोजन के कारण ऐसे नामांतरण को चुनौती देने वाला वाद पोषणीय नहीं है।	137	331
Sections 109, 110, 111 and 257 – (i) Mutation – If no dispute is raised by any legal heirs of the testator or by any other person with respect to authenticity of Will, then it would be open for the Tehsildar to carry out the mutation in such undisputed cases.		
(ii) Mutation – Procedure to be followed by Tehsildar where approach to civil court is not made or despite approach no injunction is granted, law explained and clarified.		
(iii) Mutation – Where issue of Government having interest in land crops up in course of mutation, then Tehsildar may decide that question by taking evidence – But in those cases also no inquiry as to validity of Will or of any registered title deed can take place before Tehsildar.		
धाराएं 109, 110, 111 एवं 257 – (i) नामान्तरण – यदि वसीयतकर्ता के किसी भी विधिक उत्तराधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वसीयत की प्रामाणिकता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न नहीं किया जाता है, तब तहसीलदार को ऐसे निर्विवाद मामलों में नामान्तरण करने का विकल्प उपलब्ध रहता है। (ii) नामान्तरण – जहां सिविल न्यायालय की शरण नहीं ली गई या कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तब तहसीलदार को उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को समझाया और स्पष्ट किया गया। (iii) नामान्तरण – जहां नामान्तरण के दौरान भूमि में सरकार का हित होने का विवाद उठता है, तब तहसीलदार साक्ष्य लेकर उस प्रश्न का निराकरण कर सकता है – परन्तु उन मामलों में भी वसीयत या किसी पंजीकृत स्वत्व विलेख की वैधता के बारे में कोई जांच तहसीलदार के समक्ष नहीं हो सकेगी।	103	234
Section 131 – Suit for permanent injunction – Once revenue authorities, after due inquiry, have recognized such customary route, Civil Court cannot, at the interlocutory stage, re-appreciate evidence or restrain its use.		
धारा 131 – स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद – एक बार जब राजस्व अधिकारी विधिवत जांच के बाद ऐसे प्रथागत रास्ते को मान्यता दे देते हैं, तो सिविल न्यायालय अंतरिम चरण में साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता और न ही उस रास्ते के उपयोग पर रोक लगा सकता है।	272	637

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 131 and 257 – (i) Jurisdiction of court in easementary right – Right of way. (ii) Necessary party in relation to private land – State Government is a necessary party but it is not necessary to implead the revenue authority who has passed the order u/s 131 MPLRC as a party.		
धाराएं 131 एवं 257 – (i) सुखाधिकार के मामले में न्यायालय का क्षेत्राधिकार – मार्ग का अधिकार। (ii) निजी भूमि के संबंध में आवश्यक पक्षकार – राज्य सरकार एक आवश्यक पक्षकार है परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जिन राजस्व अधिकारीगण द्वारा धारा 131 भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत आदेश पारित किया है उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए।	181	434
Section 158 – See order 7 rule 3 of the Civil Procedure Code, 1908, section 90 of the Evidence Act, 1872 and sections 3 and 4 of the Madhya Bharat Zamindari Abolition Act, Samvat. धारा 158 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 3, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90 एवं मध्य भारत जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, सवत 2008 की धाराएं 3 एवं 4।	155	369
Section 165(6) – Suit for declaration of title and permanent injunction – Even if the defendant has not contested the same, it is the duty of the court to see that permission of Collector u/s 165(6) of MPLRC is obtained or not. धारा 165(6) – स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद – प्रतिवादी ने यद्यपि इसे चुनौती नहीं दी है परंतु यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह इस बात पर विचार करे कि धारा 165 (6) भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत कलेक्टर से अनुमति प्राप्त की गई है या नहीं।	182	437
LIMITATION ACT, 1963		
परिसीमा अधिनियम, 1963		
Sections 4 and 29 (2) – See sections 34(3) and 43(1) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and section 10 of the General Clauses Act, 1897. धाराएं 4 एवं 29(2) – देखें मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धाराएं 34(3) एवं 43(1) एवं साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 10।	51	103
Section 5 – Condonation of delay – Expression ‘sufficient cause’ is an elastic term and each day’s delay need not be explained in strict sense. धारा 5 – विलंब की माफी – ‘पर्याप्त कारण’ पद एक लचीला शब्द है एवं कठोरतापूर्वक प्रत्येक दिन के विलंब को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।	88	201
Section 5 – (i) Condonation of delay – Where cause for delay falls within the four corners of “sufficient cause”, irrespective of length of delay, same deserves to be condoned. (ii) Application for condonation of delay – While deciding such application, merits of the case should not be considered. धारा 5 – (i) विलम्ब की माफी – जहां आवेदक की कोई गलती नहीं है और दर्शाया गया कारण पर्याप्त है, वहां विलम्ब माफ करने के लिए उदार या न्यायोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। (ii) विलम्ब माफी हेतु आवेदन – ऐसा आवेदन निराकृत करते समय प्रकरण के गुण-दोष पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।	89	202

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Article 58 – Suit for declaration – Unless it is proved that plaintiff had knowledge of the execution of sale deed, limitation would not start running from the date of execution – In such case starting point of limitation will be from the date of knowledge of execution of sale deed. अनुच्छेद 58 – घोषणा हेतु वाद – परिसीमा का आरम्भ विक्रय विलेख निष्पादन दिनांक से तब तक आरंभ नहीं होगा जब तक कि यह साबित नहीं हो जाता कि वादी को निष्पादन का ज्ञान था – इस प्रकार के मामले में परिसीमा काल विक्रय विलेख के निष्पादन के ज्ञान होने की दिनांक से आरंभ होगा।	49(i)	97
Article 65 – Claim of adverse possession – As per Article 65, limitation would commence only from the date the defendants possession becomes adverse. अनुच्छेद 65 – विरोधी आधिपत्य का दावा – परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के अनुसार प्रतिवादी का आधिपत्य, विरोधी होने की तिथि से ही परिसीमा प्रारम्भ होगी।	148 (ii)	356
Article 136 – Interim maintenance – Limitation for execution – Article 136 of the Limitation Act prescribes period of 12 years for filing application for execution – Execution application filed after 1 year is within limitation. अनुच्छेद 136 – अंतरिम भरण-पोषण – निष्पादन की परिसीमा – परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 136 निष्पादन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की परिसीमा 12 वर्ष निर्धारित करता है – एक वर्ष उपरांत प्रस्तुत निष्पादन आवेदन परिसीमा में है।	*104 (iii)	237
Article 136 – See sections 47 and 151 of the Civil Procedure Code, 1908. अनुच्छेद 136 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धाराएं 47 एवं 151।	200	481
Section 151 and Article 65 – Limitation – Reasonable period for filing an application for restoration is 12 years. धारा 151 एवं अनुच्छेद 65 – परिसीमा – पुनर्स्थापन हेतु आवेदन दायर करने की युक्तिसंगत अवधि 12 वर्ष है।	246(ii)	591
Article 61(a) – Limitation – Redemption. अनुच्छेद 61(क) – परिसीमा – विमोचन।	287(ii)	664
MADHYA BHARAT LAND REVENUE AND TENANCY ACT, SAMVAT 2007 मध्य भारत लैंड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी ऐक्ट, संवत् 2007 – See Sections 57 and 158 of the Land Revenue Code, 1959 (M.P.). देखें भू-राजस्व संहिता, 1959 की धाराएं 57 एवं 158।	137	331
MADHYA BHARAT ZAMINDARI ABOLITION ACT, SAMVAT 2008 मध्य भारत जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, संवत् 2008 Sections 3 and 4 – Abolition of proprietary rights – In absence of lease for agricultural use or other lawful grant, plaintiff cannot claim title merely based on long possession or entry in revenue records. धाराएं 3 एवं 4 – सांपत्तिक अधिकारों का उन्मूलन – कृषि उपयोग अथवा अन्य वैध अनुदान के लिए पट्टे के अभाव में, वादी केवल दीर्घ आधिपत्य अथवा राजस्व अभिलेख की प्रविष्टि के आधार पर स्वत्व का दावा नहीं कर सकता है।	155(iii)	369

Act/ Topic	Note No.	Page No.
MAINTENANCE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR CITIZENS ACT, 2007		
माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007		
Section 23 – Transfer of property by senior citizen – When a property is transferred subject to the condition of maintenance and such condition is breached, the transfer is deemed to have been made by fraud, coercion or undue influence and can be declared void at the option of the transferor.		
धारा 23 – वरिष्ठ नागरिक द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण – जब संपत्ति का हस्तांतरण भरण-पोषण की शर्त पर किया गया हो और उस शर्त का उल्लंघन हो, तो ऐसा हस्तांतरण धोखाधड़ी, दबाव या अनुचित प्रभाव के अधीन किया जा सकता है।		
	226	542
MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY ACT, 1971		
गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971		
Section 3 – Termination of pregnancy – Survivors of sexual assault – Necessity of permission from court – Guidelines issued.		
धारा 3 – गर्भ की समाप्ति – यौन उत्पीड़न की पीड़िताएं – न्यायालय से अनुमति की आवश्यकता – दिशा-निर्देश जारी किए गए।		
	227	544
MOHAMMEDAN LAW:		
मुस्लिम विधि:		
– (i) Partition in Mohammadan Law – Requirement of registration and stamping of <i>Mehrn.Ma.</i>		
(ii) Gift or <i>Hiba</i> – Mandatory ingredients to establish gift under Mohammadan Law.		
(i) मुस्लिम विधि में विभाजन – <i>मेहरनामा</i> के रजिस्ट्रीकृत एवं स्टांप्पित होने की आवश्यकता।		
(ii) दान या <i>हिबा</i> – मुस्लिम विधि के अंतर्गत दान स्थापित करने के लिए अनिवार्य घटक।		
	183	439
MOTOR VEHICLES ACT, 1988		
मोटर यान अधिनियम, 1988		
Sections 2, 3 and 10(2) (d) & (e) – Driving license – Whether a driver holding an LMV license for vehicles with gross weight of less than 7,500 kg as per section 10(2) (d) is permitted to operate a ‘transport vehicle’ without additional authorization u/s 10(2) (e) of the Act? This question which was referred to a larger bench (5 Judges) of the Apex Court, has been decided in affirmative.		
धाराएं 2, 3 एवं 10(2) (घ) एवं (ङ.) – चालन अनुज्ञप्ति – क्या अधिनियम की धारा 10(2) (घ) के अनुसार 7500 किलोग्राम से कम सकल भार वाले वाहन को चलाने हेतु एल.एम.व्ही अनुज्ञप्ति धारित करने वाला चालक अधिनियम की धारा 10(2) (ङ) के अंतर्गत बिना अतिरिक्त प्राधिकार के परिवहन यान को चला सकता है? यह प्रश्न जो उच्चतम न्यायालय की वृहद पीठ (पांच न्यायाधीश) को संदर्भित किया गया था, को सकारात्मक रूप से निराकृत किया गया है।		
	26	53

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 2(30) and 166 – Accident during a test drive – Whether dealer can be held liable when he was neither the owner nor in control of the car? Held, No.		
धाराएं 2(30) एवं 166 – टेस्ट ड्राइव के दौरान दुर्घटना – क्या डीलर को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जबकि वह न तो कार का स्वामी था और न ही वाहन उसके नियंत्रण में था? अभिनिर्धारित, नहीं।	*27	56
Sections 11 and 149 – Motor Accident – Liability of insurer.		
धाराएं 11 एवं 149 – मोटर दुर्घटना – बीमाकर्ता का दायित्व।	184	443
Sections 15 and 149(2)(a)(ii) – Driver without valid licence – Liability of insurer – “Pay and Recover” doctrine.		
धाराएं 15 एवं 149(2)(क)(ii) – चालक के पास वैध लाइसेंस का अभाव – बीमाकर्ता का दायित्व – “भुगतान करो और वसूल करो” सिद्धांत।	273	639
Sections 140, 166 and 168 – Compensation – Possibility of future dependency must also be considered.		
धाराएं 140, 166 एवं 168 – प्रतिकर – भविष्य में आश्रितता की संभावना पर भी विचार किया जाना चाहिए।	228	547
Sections 147, 163-A and 166 – Comprehensive insurance policy – Personal accident cover to owner-cum-driver – Liability of insurer – Extent and proof – Limited liability – Burden of proof.		
धाराएं 147, 163-क एवं 166 – व्यापक बीमा पॉलिसी – मालिक-सह-चालक के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना कवर – बीमाकर्ता की देयता – सीमा और प्रमाण – सीमित देयता – प्रमाण का भार।	*229	549
Section 166 – Assessment of income – Guidelines issued by any State Legal Services Authority should be applied only as a guiding factor in a case where there is no proof of income and ordinarily to settle such case in Lok Adalat.		
धारा 166 – आय का निर्धारण – राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देश केवल उन मामलों में मार्गदर्शी कारक के रूप में लागू किये जाने चाहिए जहाँ आय का कोई प्रमाण नहीं है और जहाँ मामला सामान्यतः लोक अदालत में निराकृत किया जाना हो।	*29	58
Section 166 – Award – Grant of interest – Future medical expenses – Claimant is not entitled to interest on future medical expenses.		
धारा 166 – अधिनिर्णय – ब्याज का प्रदान किया जाना – भविष्य के चिकित्सीय व्यय – दावाकर्ता भविष्य के चिकित्सीय व्यय पर ब्याज पाने का अधिकारी नहीं है।	30	58
Section 166 – Compensation – Doctrine of <i>res ipsa loquitur</i> applied – Enhanced compensation awarded to claimants.		
धारा 166 – प्रतिकर – योगदायी उपेक्षा – “रेस इप्सा लॉकीटर” सिद्धांत प्रभावी किया गया – दावेदारों को प्रतिकर की राशि बढ़ाकर प्रदान की गई।	138	334
Section 166 – Compensation – Election of remedy – Principle of option u/s 167 M.V. Act reiterated.		
धारा 166 – प्रतिकर – उपाय का चयन – मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 के अंतर्गत विकल्प के सिद्धांत की पुनः पुष्टि की गई।	274	640

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 166 – Compensation – Hit-and-run allegation – Held, in view of the serious inconsistencies and lack of credible evidence, the Tribunal erred in accepting the testimony of eyewitness and awarding compensation.		
धारा 166 – प्रतिकर – टक्कर मारकर भागने का आरोप – अभिनिर्धारित, गंभीर विरोधाभासों और विश्वसनीय साक्ष्य की कमी को देखते हुए, न्यायाधिकरण ने चक्षुदर्शी की साक्ष्य को स्वीकार कर प्रतिकर देने में त्रुटि की।	275	642
Section 166 – Compensation – Permanent disability.		
धारा 166 – मुआवजा – स्थायी विकलांगता – आय का मूल्यांकन।	276	643
Section 166 – (i) Contributory negligence – Determination.		
(ii) Contributory negligence of driver – Whether the driver’s negligence in any manner vicariously attaches to the passengers of the vehicle of which he was the driver? Held, No.		
धारा 166 – (i) योगदायी उपेक्षा – निर्धारण ।		
(ii) चालक की योगदायी उपेक्षा – क्या चालक की उपेक्षा किसी भी तरह से उस वाहन के यात्रियों पर प्रतिनिधिक रूप से आरोपित की जा सकती है जिसका वह चालक था? अभिनिर्धारित नहीं।	31	59
Section 166 – Determination of age for applying multiplier – Whether Aadhaar Card is suitable proof for determining the age of deceased? Held, No.		
धारा 166 – गुणांक लागू करने के लिए आयु का निर्धारण – क्या आधार कार्ड मृतक की आयु निर्धारित करने के लिए उपयुक्त प्रमाण है? अभिनिर्धारित, नहीं।	*32	64
Section 166 – Motor accident claim – Determination of compensation in injury case – Assessment of income.		
धारा 166 – मोटर दुर्घटना दावा – उपहति के मामले में प्रतिकर का निर्धारण – आय का आकलन।	*139	335
Section 166 – Motor accident claim – Determination of compensation.		
धारा 166 – मोटर दुर्घटना दावा – प्रतिकर का निर्धारण।	140	336
Section 166 – Motor accident – Involvement of offending vehicle – It has to be borne in mind that the evidence has to be weighed on the principle of ‘preponderance of probability’ and not on the basis of principle of ‘beyond reasonable doubt’.		
धारा 166 – वाहन दुर्घटना – आक्षेपित वाहन की संलिप्तता – यह ध्यान में रखना होगा कि साक्ष्य को “संभावनाओं की प्रबलता” के सिद्धांत के आधार पर परखा जाना चाहिए न कि “ युक्तियुक्त संदेह से परे” के सिद्धांत पर।	*28	57
Section 166 – Permanent disability – Assessment – Quantum of award amount.		
धारा 166 – स्थायी निःशक्तता – निर्धारण – अवॉर्ड राशि का परिमाण।	*33	65
Sections 166 and 168 – (i) Contributory negligence – Mere attempt to overtake a vehicle cannot be considered as an act of negligence and rashness.		
(ii) Determination of compensation – Considering the age of deceased between 40 and 50 years and having a fixed salary, future prospects of 25% of her established income was also		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
added – Multiplier of 15 is applied as per Second Schedule and award was modified accordingly.		
धाराएं 166 एवं 168 – (i) योगदायी उपेक्षा – केवल वाहन को ओवरटेक करने के प्रयास को उपेक्षा एवं उतावलापन नहीं माना जा सकता।		
(ii) क्षतिपूर्ति का आंकलन – मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच मानते हुए और एक निश्चित वेतन होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए भविष्य की संभावना में 25 प्रतिशत आय को जोड़ा गया – दूसरी अनुसूची के अनुसार 15 का गुणांक लागू किया गया और अधिनिर्णय में तदनुसार संशोधन किया गया।	34	65
Sections 166 and 168 – Motor accident claim – Functional Disability.		
धाराएं 166 एवं 168 – मोटर दुर्घटना दावा – कार्यात्मक निःशक्ता।	141	337
Sections 166 and 168 – Motor accident compensation – Assessment of disability and loss of earning capacity.		
धाराएं 166 एवं 168 – मोटर दुर्घटना मुआवजा – विकलांगता और आय क्षमता की हानि का मूल्य।	230	550
Sections 166 and 169 – (i) Territorial jurisdiction of Claims Tribunal – Finding recorded by Tribunal that mere fact that the Insurance Company got an office within the jurisdictional limits of the Tribunal at Nainital, could not confer jurisdiction on it and accordingly, dismissed the claim application – Not found correct.		
(ii) Claims Tribunal – Obligated to decide the question of jurisdiction at the threshold.		
धाराएं 166 एवं 169 – (i) दावा अधिकरण का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार – अधिकरण द्वारा अंकित निष्कर्ष कि मात्र इस तथ्य के आधार पर कि बीमा कंपनी का कार्यालय नैनीताल में अधिकरण के क्षेत्राधिकार की सीमा के भीतर स्थित है, उसे क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होगा और तदनुसार दावा आवेदन निरस्त कर दिया – सही नहीं पाया गया।		
(ii) दावा अधिकरण – आरम्भ में ही क्षेत्राधिकार के प्रश्न को निराकृत करने के लिए बाध्य हैं।	35	67
Sections 166 and 173 – Determination of compensation – Future prospects.		
धाराएं 166 एवं 173 – प्रतिकर का निर्धारण – भविष्य की संभावनाएं।	185	445
Section 168 – Compensation u/s 168 – Determination of income – Tax returns can be accepted to determine income – Only if they are properly brought into evidence to enable Tribunal/Court to calculate income.		
Section 168 of the Act – Mandates grant of "just compensation"		
धारा 168 – धारा 168 के अंतर्गत प्रतिकर – आय का निर्धारण – आय का निर्धारण करने हेतु आयकर रिटर्न स्वीकार किए जा सकते हैं – केवल तभी जब उन्हें विधिवत साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया हो ताकि अधिकरण/न्यायालय आय की गणना कर सके।		
अधिनिर्णय की धारा 168 – “उचित प्रतिकर” प्रदान करने का अनिवार्य प्रावधान है।	164(i) & (ii)	388

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 168 – Motor accident claim – Mere continuation of the business by inexperienced appellants does not negate pecuniary loss.		
धारा 168 – मोटरयान दुर्घटना दावा – अनुभवहीन अपीलार्थीगण द्वारा व्यवसाय जारी रखने मात्र से आर्थिक नुकसान समाप्त नहीं होता।	*90	204
Section 168 – (i) Motor accident – Compensation.		
(ii) Mode of payment of compensation – Directions issued.		
धारा 168 – (i) मोटर दुर्घटना – प्रतिकर।		
(ii) प्रतिकर के भुगतान का ढंग – दिशा-निर्देश जारी किए गए।	186	446
Sections 168 and 174 – Disbursement of award – Tribunal has no power to direct the owner of offending vehicle to furnish bank guarantee for the sum deposited by insurance company and to refuse to disburse the award amount to claimants till such security is furnished.		
धाराएं 168 एवं 174 – अवार्ड राशि का वितरण – अधिकरण को आक्षेपित वाहन के स्वामी को बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई अवार्ड राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का निर्देश देने और ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत किए जाने तक दावेदारों को अवार्ड राशि वितरित करने से इन्कार करने का अधिकार नहीं है।	36	71
Section 173 – Appeals against award – Quantum of compensation – When licence of driver of Swift Car was cancelled.		
धारा 173 – पंचाट के विरुद्ध अपील – प्रतिकर की मात्रा – जब स्विफ्ट कार चालक का लाइसेंस अपास्त किया गया था।	231	552
Section 173 – Defence of owner of the vehicle – Burden of proof was on the appellant to prove that there was no fault of appellant in the accident.		
धारा 173 – वाहन स्वामी की प्रतिरक्षा – सबूत का भार अपीलार्थी पर था कि वह प्रमाणित करे कि उसका दुर्घटना में कोई दोष नहीं था।	37	73
Section 173 – Motor accident claim – Insurance company not liable for making payment of compensation, as liability cannot be enforced even for a third party which is not arising out of contract.		
धारा 173 – मोटर दुर्घटना दावा – बीमा कंपनी प्रतिकर भुगतान करने के लिए दायित्वाधीन नहीं, क्योंकि ऐसा दायित्व, जो संविदा से उत्पन्न नहीं हो रहा है, किसी तृतीय पक्ष के लिए भी प्रभावी नहीं किया जा सकता।	91	204
Sections 185, 203, 204 and 205 – (i) Liability of Insurance Company – Insurance company is not liable to pay compensation as terms and conditions of policy were breached.		
(ii) Driving by drunken person – The amount and extent of consumption of alcohol in blood need not be established for determining liability.		
(iii) Nature of evidence – Proceedings initiated u/s 166 is civil in nature and has to be decided on the basis of preponderance of probabilities.		
धाराएं 185, 203, 204 एवं 205 – (i) बीमा कम्पनी का दायित्व – बीमा कम्पनी प्रतिकर देने हेतु दायित्वाधीन नहीं क्योंकि पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों का भंग हुआ था।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) मदिरा सेवन किये हुए व्यक्ति द्वारा वाहन चलाना – दायित्व निर्धारण हेतु रक्त में मदिरा की मात्रा एवं सेवन की सीमा को स्थापित करना आवश्यक नहीं है।		
(iii) साक्ष्य की प्रकृति – धारा 166 के अंतर्गत संस्थित की गई कार्यवाही सिविल प्रकृति की है एवं इसे संभाव्यता की प्रबलता के आधार पर विनिश्चित करना होगा।	*38	75

MUSLIM LAW:

मुस्लिम विधि:

- Mohammedan Law – Hiba – For a valid oral gift, declaration by donor, acceptance by donee and delivery are mandatory – Essentials of a valid oral gift explained.
मुस्लिम विधि – हिबा – एक वैध मौखिक हिबा के लिए, दाता द्वारा घोषणा, प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृति और संपत्ति का हस्तांतरण अनिवार्य हैं – वैध मौखिक हिबा के आवश्यक तत्वों की व्याख्या की गई।

277(i) 645

NAGARPALIKA NIRVACHAN NIYAM, 1994 (M.P.)

म.प्र. नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994

- **Rule 24-A** – Election Petition – Non-disclosure of criminal antecedents – Non-disclosure of conviction u/s 138 NI Act – Whether sufficient to declare election void?
नियम 24-क – चुनाव याचिका – आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रकटीकरण न करना – धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि का प्रकटीकरण न करना – क्या यह चुनाव को शून्य घोषित करने के लिए पर्याप्त है?

278 649

NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT, 1985

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

Sections 2(xvii)(a), 8, 18(c) and 37 – See section 483 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

धाराएं – 2(xvii)(क), 8, 18(ग) एवं 37 – देखें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483।

53 106

Sections 8(c) and 18(b) – Illegal possession of contraband– Acquittal of co-accused.

धाराएं 8(ग) एवं 18(ख) – अवैध मादक पदार्थ का कब्जा – सह-अभियुक्त की दोषमुक्ति।

279 652

Sections 8(c), 20(b)(ii)(c) and 52-A – (i) Admissibility of video evidence and scope of re-trial – Re-trial cannot be ordered only to understand the video – Section 391 CrPC can be invoked to take additional evidence rather than ordering a re-trial.

(ii) Illegal possession of contraband – Effect of non-production of contraband – Explained.

धाराएं 8(ग), 20(ख)(ii)(ग) एवं 52-क – (i) वीडियो साक्ष्य की स्वीकार्यता और पुनः परीक्षण की सीमा – मात्र वीडियो को समझने के लिए पुनः परीक्षण का आदेश नहीं दिया जा सकता – अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए धारा 391 सीआरपीसी का सहारा लिया जा सकता है बजाय पुनः परीक्षण के।

(ii) मादक पदार्थों का अवैध कब्जा – मादक पदार्थों के प्रस्तुत न किए जाने का प्रभाव – स्पष्ट किया गया।

232 554

Sections 8(c), 21, 29, 42, 50 and 67 – (i) Search and seizure of contraband substance – Evidence of independent punch witness is found reliable – Sampling of contraband and transmission of sample to chemical analyst process was found free from any doubt.

(ii) Plea of non-compliance of section 42 – Section 42 of the Act governs searches and seizures in buildings, conveyances and enclosed places – When search and seizure is conducted at a public place, section 43 of the Act applies and not section 42(2).

(iii) Non-compliance of section 50 – Seizure was not effected during personal search of accused – There was no requirement for the seizing officer to act under the provision of section 50.

(iv) No recovery from possession of co-accused, effect.

धाराएं 8(ग), 21, 29, 42, 50 एवं 67 – (i) प्रतिषिद्ध पदार्थ की तलाशी और जब्ती – तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया समस्त संदेहों से मुक्त थी – प्रतिषिद्ध पदार्थ का नमूना लेना और रासायनिक विश्लेषक को नमूना भेजने की प्रक्रिया किसी भी संदेह से मुक्त पाई गई।

(ii) धारा 42 के अपालन का अभिवाक् – अधिनियम की धारा 42 भवनों, प्रवहण और परिवेष्टित स्थानों में तलाशी और जब्ती को शासित करती है – जब सार्वजनिक स्थान पर तलाशी और जब्ती की जाती है, तो अधिनियम की धारा 43 लागू होती है न कि धारा 42(2)।

(iii) धारा 50 का अपालन – जब्ती अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान नहीं की गई – जब्ती अधिकारी के लिए धारा 50 के प्रावधान के अंतर्गत कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(iv) सह-अभियुक्त के आधिपत्य से कोई जब्ती नहीं, प्रभाव।

39

76

Sections 51, 52-A, 63(2), 21(b) and 36-C – Interim custody of vehicle involved in offence under NDPS Act – Whether there is any specific bar/restriction under the Act for interim release of vehicle?

धाराएं 51, 52-क, 63(2), 21(ख) एवं 36-ग – एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अपराध में संलिप्त वाहन की अंतरिम अभिरक्षा – क्या अधिनियम में वाहन के अंतरिम रिहाई के लिए कोई विशेष प्रतिबंध वर्जन है?

168(i)

400

NATIONAL HIGHWAYS ACT, 1956

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956

Section 3J – Right of fair compensation and transparency in land acquisition – Grant of solatium and interest – Judgment would apply retrospectively since granting prospective application thereof would effectively nullify the very relief that the judgment intended to provide.

धारा 3ज – भूमि अधिग्रहण में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार – तोषण राशि और ब्याज का अनुदान – निर्णय भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा क्योंकि भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू करने पर निर्णय द्वारा जो प्रभावी राहत प्रदान करने की मंशा दिखाई गई है वह विफल हो जावेगी। **142**

338

Act/ Topic	Note No.	Page No.
NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881		
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881		
Sections 118, 138 and 139 – (i) Dishonour of cheque – Directions issued to expedite the trial of such cases.		
(ii) Dishonour of cheque – Compromise between the parties – In such matters, accused is entitled to the benefit of Probation of Offenders Act.		
धाराएं 118, 138 एवं 139 – (i) चैक का अनादरण – ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निपटारे हेतु निर्देश जारी किए गए।		
(ii) चैक का अनादरण – पक्षकारों के मध्य राजीनामा – ऐसे प्रकरणों में, अभियुक्त परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।	280	653
Section 138 – Amendment of complaint – Power of Magistrate to allow amendment after cognizance – Scope and limits – Whether complaint can be amended post-cognizance? Held, Yes.		
धारा 138 – परिवाद में संशोधन – संज्ञान के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा संशोधन की अनुमति देने की शक्ति – विस्तार और सीमाएं – क्या परिवाद संज्ञान के बाद संशोधित की जा सकती है? अभिनिर्धारित हों।		
	233	556
Section 138 – Dishonour of cheque – Difference in the amount mentioned in notice and cheque – Effect.		
धारा 138 – चैक का अनादरण – नोटिस और चैक में उल्लिखित राशि में अंतर – प्रभाव।		
	281	654
Section 138 – Dishonor of cheque – No averments in the complaint that respondent was sole proprietor – Firm was not arrayed as a respondent also – Complaint was held to be not maintainable.		
धारा 138 – चैक का अनादरण – परिवाद में कोई अभिकथन नहीं कि प्रत्यर्थी फर्म का एकमात्र स्वामी था – फर्म को प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित भी नहीं किया गया – परिवाद पोषणीय नहीं माना गया।		
	*40	79
Sections 138 and 139 – Dishonor of cheque – Question of debt being time barred or not can be decided only after evidence as it is mixed question of law and fact.		
धाराएं 138 एवं 139 – चैक का अनादरण – ऋण परिसीमा बाह्य है या नहीं, इसका निर्णय साक्ष्य के उपरांत ही किया जा सकता है क्योंकि यह विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है।	143	340
Sections 138 and 141 – Dishonour of cheque – Mere fact that accused persons had attended board meetings, does not suffice to impose financial liability on them.		
धाराएं 138 एवं 141 – चैक का अनादरण – परिवाद में अभियुक्त और वित्तीय लेनदेन के बीच सीधा संबंध स्थापित करने या कंपनी के वित्तीय मामलों में उनकी भागीदारी को प्रदर्शित करने के लिए विशिष्ट आरोपों का अभाव था।		
	187	451
Sections 138 and 141 – Vicarious liability of Directors – Requirement of averments in complaint – Such averments sufficiently satisfy the requirements of Section 141(1).		
धाराएं 138 एवं 141 – निदेशकों की प्रत्यक्ष दायित्वता – परिवाद में अभिकथनों की आवश्यकता – ऐसे कथन धारा 141(1) की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूर्ण करते हैं।		
	234	558

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 138, 141 and 142 – Dishonour of cheque – Held, declaration of company as sick and restraint on disposal of assets does not create an absolute bar to prosecution u/s 138 of the Negotiable Instruments Act.		
धाराएं 138, 141 एवं 142 – चैक का अनादरण – अभिनिर्धारित, कंपनी को बीमार घोषित किया जाना और संपत्तियों के निपटान पर रोक लगाना, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अभियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाता। अपील, स्वीकार की गई।	282	655
Sections 138 and 142 – Dishonour of cheque – Amendment in pleadings – Permissibility.		
धाराएं 138 एवं 142 – चैक का अनादरण – अभिवचनों में संशोधन – अनुज्ञेयता।	41	80
Sections 138 and 142(2)(a) – Dishonour of cheque – Territorial jurisdiction to file complaint.		
धाराएं 138 एवं 142(2)(क) – चैक का अनादरण – शिकायत दर्ज करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारिता।	235	559
NOTARIES ACT, 1952		
नोटरी अधिनियम, 1952		
Section 8 – (i) Proof of due execution of notarized Will – Appreciation.		
(ii) Proof of notarized document – A notarized document is not presumed to be proved without examining the notary.		
धारा 8 – (i) नोटरीकृत वसीयत के सम्यक् निष्पादन का सबूत – मूल्यांकन।		
(ii) नोटरीकृत दस्तावेज का प्रमाणन – नोटरी का परीक्षण किये बिना नोटरीकृत दस्तावेज के प्रमाणित होने की उपधारणा नहीं की जाती।	42	81
NOTARIES RULES, 1956		
नोटरी नियम, 1956		
Rule 11(2) and 11(8) – See section 8 of the Notaries Act, 1952.		
नियम 11(2) एवं 11(8) – देखें नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 8।	42	81
POWER OF ATTORNEY ACT, 1882		
मुख्तारनामा अधिनियम, 1882		
Section 2 – See Order 3 Rule 1 and 2 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 2 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 3 नियम 1 एवं 2।	56	116
PRACTICE AND PROCEDURE:		
प्रथा एवं प्रक्रिया :		
– Practice and Procedure – A Procedural law should not ordinarily be construed as mandatory, but is always subservient to and is in aid to justice.		
– प्रथा एवं प्रक्रिया – प्रक्रियात्मक विधि को सामान्यतः अनिवार्य नहीं माना जाना चाहिए, प्रक्रियात्मक विधि हमेशा न्याय के अधीन एवं न्याय की सहायक होती है।	105 (ii)	238

PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

Sections 2(c)(i), 7 and 13(1)(d) r/w/s 13(2) – Public servant – Licensed stamp vendor – Demand and acceptance of illegal gratification – Trap case – Whether a licensed stamp vendor falls within the ambit of “public servant”?

धाराएं 2(ग)(i), 7 एवं 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) – लोक सेवक – लाइसेंसधारी स्टाम्प विक्रेता – अवैध लाभ की मांग और स्वीकृति – जाल बिछाने का मामला – क्या एक लाइसेंसधारी स्टाम्प विक्रेता “लोक सेवक” की परिभाषा में आता है? **236** **561**

Sections 7, 12 and 13(2) r/w/s 13(1)(d) – See Section 227 of the Criminal Procedure Code, 1973 and section 120B of the Indian Penal Code, 1860.

धाराएं 7, 12 एवं 13(2) सहपठित धारा 13(1)(घ) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 227 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 120ख। **66** **144**

Sections 7 and 13 – (i) Proof of demand – Mere possession and recovery of currency notes from the accused without any proof of demand would not establish offence u/s 7 or 13(1)(d) of the Act. (ii) ‘Accept’, ‘receipt’ and ‘obtain’ – Explained.

धाराएं 7 एवं 13 – (i) माँग का प्रमाण – माँग के किसी प्रमाण के बिना अभियुक्त का करेंसी नोटों पर मात्र कब्जा एवं उससे जब्ती अधिनियम की धारा 7 अथवा 13(1)(घ) के अंतर्गत अपराध को स्थापित नहीं करेगा। (ii) ‘प्रतिगृहीत करना’, ‘प्राप्ति’ एवं ‘अभिप्राप्त करना’ – समझाए गए। ***43** **84**

Sections 13 (1) (d) & 13 (2) – See Sections 120B, 406 and 420 of the Indian Penal Code, 1860

धारा 13 (1)(घ) एवं 13 (2) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 120ख, 406 एवं 420। **127** **300**

PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT, 2002

धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002

Sections 2(1)(y), 3 and 44 (1)(b) – Complaint for the offence punishable under PMLA – In the absence of the scheduled offence, there cannot be any proceeds of crime and if there are no proceeds of crime, the offence u/s 3 of PMLA is not made out.

धाराएं 2(1)(म), 3 एवं 44 (1)(ख) – धन-शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध हेतु परिवाद – अनुसूचित अपराध की अनुपस्थिति में, अपराध का आगम नहीं हो सकता है और यदि अपराध का आगम नहीं है, तो धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध गठित नहीं होता है। **44** **85**

Sections 3, 4 and 44(1)(b) – Offence of money laundering – Economic offences – There is no embargo on considering the plea of absence of sanction after cognizance is taken by the Special Court of the offences punishable u/s 4 PMLA.

Complaint was filed u/s 4 PMLA – Provision of section 197(1) CrPC are applicable to a complaint filed u/s 44(1)(b) of PMLA.

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धाराएं 3, 4 एवं 44(1)(ख) – धन-शोधन का अपराध – आर्थिक अपराध – धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों का विशेष न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के उपरान्त भी पूर्वानुमति के अभाव के अभिवाक् पर विचार करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत – धारा 197(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 44(1)(ख) के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद पर लागू होते हैं।	144 (ii) & (iii)	342
Section 45 – (i) Offence under Prevention of Money Laundering Act – Rigours of section 45 may be suitably relaxed and conditional liberty may be granted in case of prolonged trial and long period of custody. (ii) Bail – “Reasonable grounds for believing” used in Section 45 of the Act means that the Court need not delve deep into the merits of the case and the court is only required to place its view based on probability on the basis of material collected during investigation.		
धारा 45 – (i) धन-शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध – धारा 45 की कठोरता को उचित रूप से शिथिल किया जा सकता है एवं अत्यधिक लम्बे विचारण एवं अभिरक्षा की लम्बी अवधि के मामले में निर्बन्धनों सहित जमानत प्रदान की जा सकती है। (ii) जमानत – अधिनियम की धारा 45 में प्रयुक्त “विश्वास करने के युक्ति-युक्त आधारों” से आशय है कि न्यायालय को मामले के गुण-दोष की गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है एवं न्यायालय से केवल यह अपेक्षित है कि वह अनुसंधान के दौरान एकत्रित सामग्री पर विचार कर संभाव्यता के आधार पर अपना मत बनाये – न्यायालय को देखना होगा कि क्या अभियुक्त के विरुद्ध वास्तविक मामला है एवं अभियोजन के लिए आवश्यक नहीं है कि वह आरोप को युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करे।	92	206
Section 45 – Money Laundering – Money Laundering is aggravated form of crime that has serious transnational consequences and should not be treated like ordinary offences.		
धारा 45 – धन-शोधन – धन-शोधन अपराध का गुरुत्तर रूप है जिसके गंभीर अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होते हैं और इसे सामान्य अपराधों की तरह नहीं लिया जाना चाहिए।	188	452
PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012		
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012		
Sections 4, 5 and 6 – See sections 201, 212, 302, 363 and 376A of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 4, 5, एवं 6 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 – धाराएं 201, 212, 302, 363 एवं 376क।	262	617
Sections 4 and 6 – Rape – Held, slight inconsistencies in testimony natural and not fatal. Principle of “Beyond Reasonable Doubt” – Acquittal of actual offenders on hyper-technical grounds undermines justice and public confidence.		
धाराएं 4 एवं 6 – बलात्कार – अभिनिर्धारित, साक्ष्य में साधारण असंगतियाँ स्वाभाविक हैं और दोषसिद्धि को प्रभावित नहीं करतीं। “संदेह से परे” सिद्धांत – अत्यधिक तकनीकी आधारों पर वास्तविक अपराधियों को दोषमुक्त करना न्याय और जन विश्वास को कमजोर करता है।	237(i) & (iv)	566

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 4 and 8 – See sections 201, 302, 363 and 376(2)(i) of the Indian Penal Code, 1860. धाराएं 4 एवं 8 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 201, 302, 363 एवं 376(2)(i)।		
	217	516
Sections 5(g), 5(j)(iii)(m) and 5(r) r/w/s 6 – See sections 307, 363, 366-A and 376 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 5(छ), 5(ज)(iii) (ड) एवं 5(द) सहपठित 6 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 307, 363, 366–क एवं 376।	223	535
Section 6 – Punishment for aggravated penetrative sexual assault – Retrospective application of enhanced penalty – Impermissibility under Article 20(1) of the Constitution.		
धारा 6 – गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमले की सजा – दण्ड की वृद्धि का पूर्वप्रभावी अनुप्रयोग – संविधान के अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत अस्वीकृत।	238	570
Sections 29 and 30 – Presumption under the POCSO Act – The injury on the prepuce of the penis of the accused alongwith the matching of the blood group coupled with other circumstantial evidence clearly constitute foundational facts for raising presumption u/s 29 and 30 of the POCSO Act, 2012.		
धाराएं 29 एवं 30 – लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपधारणा – आरोपी के लिंग के अग्रभाग पर चोट के साथ-साथ रक्त समूह का मिलान और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य स्पष्ट रूप से अधिनियम, 2012 की धारा 29 और 30 के अंतर्गत उपधारणा करने के लिए आधारभूत तथ्य गठित करती है।	145 (i)	346
PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005		
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005		
Section 25 (2) – (i) Order of maintenance passed u/s 12 – Order of maintenance cannot be set aside, it can only be altered, modified or revoked that too upon recording satisfaction that a change in circumstances has occurred after the order was passed.		
(ii) Order for alteration, modification or revocation of maintenance –Applicant cannot seek refund of the amount already paid in compliance of the original order passed u/s 12 of the Act.		
धारा 25(2) – (i) धारा 12 के अन्तर्गत पारित भरण पोषण का आदेश – भरण पोषण आदेश अपास्त नहीं किया जा सकता, उसे मात्र परिवर्तित, संशोधित या विखण्डित किया जा सकता है वह भी तब जब यह संतुष्टि अभिलिखित कर ली गई हो आदेश पारित होने के उपरांत परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ है।		
(ii) भरण पोषण के परिवर्तन, संशोधन या विखण्डन के लिए आदेश – आवेदन अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत पारित मूल आदेश के पालन में भुगतान की गई रकम की वापसी की मांग आवेदक नहीं कर सकता।	146	352
PUBLIC TRUSTS ACT, 1951 (M.P.)		
लोक न्यास अधिनियम, 1951 (म.प्र.)		
Sections 8 and 7(1) – See section 34 and 38 of the Specific Relief Act, 1963.		
धाराएं 8 एवं 7(1) – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धाराएं 34 एवं 38।	286	663

Act/ Topic	Note No.	Page No.
REGISTRATION ACT, 1908		
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908		
Section 17 – See Mohammedan Law and sections 122, 123 and 129 of the Transfer of Property Act, 1882.		
धारा 17 – देखें मुस्लिम विधि एवं संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धाराएं 122, 123 एवं 129।	183	439
Sections 17(1-A) and 49 – Admissibility of unregistered sale agreement – Scope – Objection to marking or exhibiting such document and the admissibility of that document will be decided at the appropriate stage after recording evidence.		
धाराएं 17(1-क) एवं 49 – अपंजीकृत विक्रय करार की ग्राह्यता – विस्तार – ऐसे दस्तावेज को चिन्हित करने या प्रदर्शित करने पर आपत्ति एवं उस दस्तावेज की ग्राह्यता का निराकरण उचित प्रक्रम पर साक्ष्य अभिलिखित करने के उपरान्त किया जाएगा।	147	354
Sections 17 and 49 – See Sections 53-A and 54 of the Transfer of Property Act, 1882		
धाराएं 17 एवं 49 – देखें संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धाराएं 53-क एवं 54।	149	358
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013		
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013		
Section 26 – Determination of market value of land – Determination of compensation – Applicability of ‘theory of deduction’.		
धारा 26 – भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण – प्रतिकर का अवधारण – ‘कटौती के सिद्धांत’ की प्रयोज्यता।	189	456
Sections 30 and 80 – See Section 3J of the National Highway Authority of India Act, 1988		
धाराएं 30 एवं 80 – देखें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 3ज।	142	338
SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989		
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989		
Sections 3 (1) (r) and 18 – (i) Anticipatory bail – If the necessary ingredients to constitute the offence are not disclosed then in such cases the bar would not apply and the Courts would not be absolutely precluded from granting pre-arrest bail to the accused.		
(ii) Offence of atrocity – It has to be shown that the intention of the accused was to subject the concerned person to caste-based humiliation.		
धाराएं 3(1)(द) एवं 18 – (i) अग्रिम जमानत – यदि अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्वों को प्रकट नहीं किया जाता है तो ऐसे मामलों में वर्जन लागू नहीं होगा और न्यायालय अभियुक्त को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने से पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं होगा।		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
(ii) अत्याचार का अपराध – यह दर्शित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त का आशय संबंधित व्यक्ति को जातिगत आधार पर अपमानित करने का था – वाक्यांश का विस्तार – समझाया गया।	93	208
Sections 3(1)(o), 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(w)(i), 18 and 18A – Anticipatory bail – Bar under special statute.		
धाराएं 3(1)(ण), 3(1)(द), 3(1)(घ), 3(1)(ब)(i), 18 एवं 18क – अग्रिम जमानत – विशेष अधिनियम के अंतर्गत वर्जन।	283(i)	657
Section 15A (3) – Victim’s right to notice and hearing at bail stage – Effect of non-compliance.		
धारा 15क (3) – पीड़ित को जमानत के चरण पर सूचना और सुनवाई का अधिकार – अनुपालन न होने का प्रभाव।	239	572
SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002		
वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002		
Sections 13(2), 13(4), 14 and 17 – Right of redemption – Extinguishment – Effect of acceptance of surplus auction proceeds – Property cannot be re-claimed after voluntary acceptance of proceeds.		
धाराएं 13(2), 13(4), 14 एवं 17 – मोचन का अधिकार – समाप्ति – नीलामी की अतिरिक्त राशि स्वीकार करने का प्रभाव – अतिरिक्त राशि स्वेच्छा से स्वीकार करने के बाद संपत्ति को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता।	240	575
Sections 17 and 34 – Civil Suit against Bank – Bar created by Section 34 of Act, 2002 – Applicability.		
धाराएं 17 एवं 34 – बैंक के विरुद्ध सिविल वाद – अधिनियम, 2002 की धारा 34 द्वारा सृजित वर्जन रोक – प्रयोज्यता।	106 (i)	240
SENTENCING POLICY:		
दण्ड नीति:		
– See Sections 302, 316 and 364 of the Indian Penal Code, 1860 and Appreciation of Evidence.		
देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302, 316 एवं 364 और साक्ष्य का मूल्यांकन।		
	132	317
SICK INDUSTRIAL COMPANIES (SPECIAL PROVISIONS) ACT, 1985		
रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985		
Sections 22 and 22-A – See sections 138, 141 and 142 of the Negotiable Instruments Act, 1881.		
धाराएं 22 एवं 22-क – देखें परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धाराएं 138, 141 एवं 142।	282	655

SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

विशेष विवाह अधिनियम, 1954

Section 34 – Declaration of title and possession – Scope of second appeal.

धारा 34 – स्वामित्व और कब्जे की घोषणा – द्वितीय अपील का विस्तार। **284** **658**

Sections 36 and 39A – Execution of interim maintenance order u/s 36 of the Special Marriage Act – Enforceability of the order by applying section 39-A.

धाराएं 36 एवं 39-क – विशेष विवाह अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत अंतरिम भरण-पोषण आदेश का निष्पादन – धारा 39-क को प्रयोज्य कर आदेश की प्रवर्तनीयता। ***104 (i)** **237**

SPECIFIC RELIEF ACT, 1963

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

Sections 5, 34, 38 and 40 – Suit for declaration of title, possession and mandatory injunction – Plaintiff was held entitled to receive full amount payable in respect of acquisition of suit property.

धाराएं 5, 34, 38 एवं 40 – स्वत्व की घोषणा, आधिपत्य और आज्ञापक निषेधाज्ञा का वाद – वादी को विवादित संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में भुगतान योग्य सम्पूर्ण राशि प्राप्त करने का अधिकारी होना निर्धारित किया गया। **45** **88**

Sections 6 and 34 – (i) Suit for declaration of title – Whether, merely on the basis of the said statement recorded by the parties before the Court or without reducing the compromise into writing, the requirements of Order 23 Rule 3 CPC are fulfilled? Held, No.

(ii) Doctrine of *lis pendens* – Applicability.

धाराएं 6 एवं 34 – (i) स्वत्व की घोषणा का वाद – क्या केवल पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष दर्ज उक्त आशय के कथन अथवा समझौते को लेखबद्ध किए बिना आदेश 23 नियम 3 सीपीसी की अपेक्षा की पूर्ति हो सकती है? अभिनिर्धारित, नहीं।

(ii) लंबित वाद का सिद्धान्त – प्रयोज्यता। **190** **458**

Sections 6 and 34 – Suit for recovery of possession on the basis of title acquired through registered sale deed – Validity of the sale deed.

धाराएं 6 एवं 34 – पंजीकृत विक्रय-पत्र के माध्यम से अर्जित स्वत्व के आधार पर आधिपत्य वापसी का दावा – विक्रय-पत्र की वैधता – संपत्ति क्रय किये जाते समय वादी अवयस्क था – विक्रय को संविदा नहीं कहा जा सकता – अतः अवयस्क अचल सम्पत्ति का अंतरिती हो सकता है, अंतरक नहीं।

148 (i) **356**

Sections 9, 10 and 19 – (i) Suit for specific performance of agreement to sell – 7 suits were filed by them separately for specific performance of agreement to sell – It was not necessary for each of the plaintiffs in all suits to appear and prove the transaction of agreement.

(ii) Agreement to sell – Defence taken on the premise of executor/vendor *pardanashin* woman – Held, non-tenable.

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धाराएं 9, 10 एवं 19 – (i) विक्रय अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद – विक्रय अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए उनके द्वारा पृथक-पृथक 7 वाद दायर किए गए थे – समस्त वादों में प्रत्येक वादी के लिए उपस्थित होना और अनुबंध के संव्यवहार को साबित करना आवश्यक नहीं था।		
(ii) विक्रय अनुबंध – निष्पादक/विक्रेता पर्दानशीन महिला के आधार पर लिया गया बचाव – अभिनिर्धारित, पोषणीय नहीं।	191	460
Section 10 – Co-sharer’s right to sell undivided share – Specific performance – Agreement can be enforced to the extent of the vendor’s share, provided the purchaser is willing to accept such share instead of insisting on a particular portion of land.		
धारा 10 – सह-स्वामी का अविभाजित हिस्से को विक्रय करने का अधिकार – विशिष्ट अनुपालन – अनुबंध को विक्रेता के हिस्से की सीमा तक लागू किया जा सकता है, परन्तु केवल तभी जब क्रेता भूमि के किसी विशेष भाग मांगने की अपेक्षा ऐसे हिस्से को स्वीकार करने के लिए तैयार हो।		
	241	581
Section 20 – (i) Specific performance of agreement for sale – When is time essence of the contract?		
(ii) Readiness and willingness – Appreciation.		
(iii) Maintainability of suit – Trial Court's failure or omission to raise a maintainability issue in a suit involving jurisdictional facts by itself cannot limit the authority of higher courts to determine whether jurisdictional facts existed for the grant of relief as claimed.		
धारा 20 – (i) विक्रय अनुबंध का विनिर्दिष्ट अनुपालन – कब समय संविदा का सार होता है?		
(ii) तैयारी और रजामंदी – मूल्यांकन।		
(iii) वाद की पोषणीयता – ऐसे वाद में जहाँ क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य अंतर्ग्रस्त हो विचारण न्यायालय की, पोषणीयता संबंधी विवाद्यक उठाने में विफलता या चूक स्वतः में वरिष्ठ न्यायालय की यह विचारित करने की अधिकारिता को सीमित नहीं करेगी कि क्या वांछित अनुतोष प्रदान करने के लिए क्षेत्राधिकार विषयक तथ्य विद्यमान है।	94	211
Section 20 – (i) Suit for specific performance – Conduct of purchaser – Cancellation and enforceability of agreement to sell.		
(ii) Maintainability of suit for specific performance – Prayer for declaratory relief, when necessary?		
धारा 20 – (i) विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद – क्रेता का आचरण – विक्रय अनुबंध का रद्दकरण एवं प्रवर्तनीयता।		
(ii) विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद की पोषणीयता – घोषणात्मक अनुतोष के लिए प्रार्थना, कब आवश्यक है?	192	463
Section 20 – (i) Suit for specific performance of contract – Discretion of court – Parameters.		
(ii) Discretion as to decreeing specific performance – Under what circumstances ‘hardship’ as enumerated in section 20(2)(b) of the Act, can be taken into consideration in refusing specific performance? Law explained.		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धारा 20 – (i) संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए वाद – न्यायालय का विवेकाधिकार – मापदण्ड।		
(ii) विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री प्रदान करने का विवेकाधिकार – किन परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 20(2)(ख) में उल्लिखित 'कठिनाई' को विनिर्दिष्ट अनुपालन से इंकार हेतु विचार में लिया जा सकता है? विधि समझाई गई।	95	216
Section 28 – (i) Application u/s 28 of the Specific Relief Act – Whether the execution Court has jurisdiction to deal with the application(s) for recession of contract or for extension of time to deposit the balance sale consideration?		
(ii) Application u/s 28 of Specific Relief Act for recession of contract or for extension of time – Parameters for deciding such application explained.		
(iii) Application u/s 28 (1) of Specific Relief Act – Such application must be decided as an application in the original suit wherein the decree was passed even though the suit has been disposed of.		
धारा 28 – (i) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत आवेदन – क्या निष्पादन न्यायालय को संविदा विखंडित करने या शेष विक्रय प्रतिफल जमा करने के लिए समय का विस्तार करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है?		
(ii) संविदा के विखण्डन या समय के विस्तार के लिए विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत आवेदन – ऐसे आवेदन को निराकृत करने हेतु मापदण्ड समझाए गए।		
(iii) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 28 (1) के अंतर्गत आवेदन – ऐसे आवेदन को ऐसे मूल वाद जिसमें डिक्री पारित की जा चुकी है, में प्रस्तुत आवेदन के रूप में निराकृत किया जाना चाहिए भले ही मूल वाद निराकृत हो चुका हो।	46	89
Section 28 – (i) Suit for specific performance – Rescission of contract for sale – Scope – Law clarified.		
(ii) Doctrine of Merger – Effect of – When trial court's decree merges with High Court's decree in second appeal?		
धारा 28 – (i) विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु वाद – विक्रय अनुबंध का विखण्डन – विस्तार – विधि समझाई गई।		
(ii) विलय का सिद्धांत – प्रभाव – कब विचारण न्यायालय की डिक्री उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील में पारित डिक्री में विलय होगी ?	96	220
Sections 31, 34 and 38 – (i) Suit for cancellation of sale deed – Burden of proof		
(ii) Effect of delay in registration of sale deed – In case of deficiency in stamp duty, document will remain in custody of registration authorities until remaining stamp duty and penalty is paid.		
(iii) Presumption – Registered Sale deed.		
(iv) Effect of minority of plaintiff at the time of execution of sale deed – Minority of plaintiff would not affect the validity of sale deed.		

Act/ Topic	Note No.	Page No.
धाराएं 31, 34 एवं 38 – (i) विक्रय विलेख के रद्दकरण के लिए दावा – प्रमाण का भार		
(ii) विक्रय विलेख के पंजीकरण में विलम्ब का प्रभाव – स्टाम्प ड्यूटी में कमी होने की दशा में दस्तावेज पंजीकरण प्राधिकारी के आधिपत्य में रहता है जब तक कि शेष स्टाम्प ड्यूटी और शास्ति का भुगतान नहीं कर दिया जाता।		
(iii) उपधारणा – पंजीकृत विक्रय विलेख।		
(iv) विक्रय विलेख के निष्पादन के समय वादी की अवयस्कता का प्रभाव – वादी की अवयस्कता विक्रय विलेख की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी।	47	91
Sections 31, 34 and 38 – Suit for declaration and injunction – Undivided property – Purchaser can be restrained by decree of injunction acting in derogation of the property rights of co-owners until and unless partition takes place.		
धाराएं 31, 34 एवं 38 – घोषणा और निषेधाज्ञा का वाद – अविभाजित संपत्ति – ऐसे क्रेता को निषेधाज्ञा की डिक्री के माध्यम से विभाजन होने तक सह-स्वामियों के संपत्ति अधिकारों का हनन करने से रोका जा सकता है।	48	96
Section 34 – Power of attorney – Revocation of.		
धारा 34 – मुख्तारनामा – प्रतिसंहरण।	49(ii)	97
Section 34 – (i) Priority of rights – Two sale deeds were executed with respect to the same land – In such a clash, the previous sale deed shall prevail over the latter sale deed.		
(ii) Limitation – Limitation for cancellation of sale deed is 3 years but no suit for such cancellation is required as sale deed is void in itself.		
धारा 34 – (i) अधिकारों की वरीयता – एक ही भूमि के संबंध में दो विक्रय विलेख निष्पादित किये गये – ऐसे विरोध की स्थिति में पूर्ववर्ती विक्रय विलेख पश्चात्वर्ती विक्रय विलेख पर अभिभावी होगा।		
(ii) परिसीमा – विक्रय विलेख के रद्दकरण के लिए समय सीमा 3 वर्ष है परन्तु रद्दकरण हेतु वाद की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि विक्रय विलेख अपने आप में शून्य है।	50	100
Section 34 – Declaration of title and possession – Scope of second appeal.		
धारा 34 – स्वामित्व और कब्जे की घोषणा – द्वितीय अपील का विस्तार।	284	658
Section 34 – Registered will – Mere registration of a will does not make it valid. Doctrine of part-performance Plaintiff had filed suit seeking relief of possession – Since plaintiff is not in possession, he cannot derive the benefit under this doctrine.		
धारा 34 – पंजीकृत वसीयत – केवल वसीयत का पंजीकरण उसे वैध नहीं बनाता।		
आंशिक निष्पादन का सिद्धांत – चूंकि वादी कब्जे में नहीं है, इसलिए वह इस सिद्धांत का लाभ नहीं उठा सकता।	285(ii)&(iii)	660
Section 34 – See Sections 122 and 126 of the Transfer of Property Act, 1882.		
धारा 34 – देखें संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धाराएं 122 एवं 126।	150	360
Sections 34 and 38 – Pujari – Ownership rights – Public Trust registration – Bar of remedy.		
धाराएं 34 एवं 38 – पुजारी – स्वामित्व अधिकार – सार्वजनिक न्यास पंजीकरण – अनुतोष पर वर्जन।	286	663

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Sections 34 and 38 – See section 165(6) of the Land Revenue Code, 1959 (M.P.).		
धाराएं 34 एवं 38 – देखें भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) की धारा 165(6)।	182	437
Sections 34 and 38 – Will – Execution and validity – Proof of Will – Burden of Proof.		
धाराएं 34 एवं 38 – वसीयत – निष्पादन और वैधता – वसीयत का प्रमाण – प्रमाण का भार।	242	583
STAMP ACT, 1899		
स्टॉम्प अधिनियम, 1899		
Section 36 – Admissibility of document – Such objection may be raised even after the document was marked as exhibit during evidence or even in appeal or revision.		
धारा 36 – दस्तावेज की ग्राह्यता – ऐसी आपत्ति साक्ष्य के दौरान दस्तावेज प्रदर्श हो जाने के उपरान्त अथवा अपील या पुनरीक्षण में भी उठाई जा सकती है।	97	223
SUCCESSION ACT, 1925		
उत्तराधिकार अधिनियम, 1925		
Section 34 – See section 34 of the Specific Relief Act, 1963 and section 54 of the Transfer of Property Act, 1881.		
धारा 34 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 एवं संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1881 की धारा 54।	285	660
Sections 61 and 63 – Will – Valid execution and genuineness, connotation.		
धाराएं 61 एवं 63 – वसीयत – वैध निष्पादन एवं वास्तविकता अर्थ।	193	467
Section 63 – See sections 34 and 38 of the Specific Relief Act, 1963.		
धारा 63 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धाराएं 34 एवं 38।	242	583
Section 63(c) – "Unprivileged Will" – Is deemed to be executable u/s 63 (c) – When attesting witnesses have witnessed Will's testator signing or affixing, their mark on Will.		
Will – Validity – Requisites for – Explained.		
धारा 63 (ग) – "विशेषाधिकार रहित वसीयत" – धारा 63(ग) के अंतर्गत निष्पादन योग्य होना मानी जाती है – जब अनुप्रमाणक साक्षियों ने वसीयतकर्ता का वसीयत पर हस्ताक्षर किया जाना या निशान लगाया जाना देखा हो।		
वसीयत – वैधता – अपेक्षित शर्तें– स्पष्ट की गईं।	194 (i)&(ii)	468
Section 67 – See section 68 of the Evidence Act, 1872 and section 67 of the Bharatiya Shakshya Adhiniyam, 2023.		
धारा 67 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 67।	14	28
Section 67 – See section 100 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 67 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100।	245	589

Act/ Topic	Note No.	Page No.
TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882		
सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882		
Section 6 (h) – See Sections 6 and 34 of the Specific Relief Act, 1963 and Article 65 of the Limitation Act, 1963.		
धारा 6 (छ) – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धाराएं 6 एवं 34 और परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुच्छेद 65।	148	356
Section 41 – Transfer of property – By ostensible owner – When the buyer would be entitled to relief u/s 41?		
धारा 41 – संपत्ति का अंतरण – दृश्यमान स्वामी द्वारा – धारा 41 के अंतर्गत क्रेता कब अनुतोष पाने का हकदार होगा?	*98	225
Section 48 – See section 34 of the Specific Relief Act, 1963.		
धारा 48 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34।	50	100
Section 52 – (i) Appeal – By a person who is not a party to the proceedings – Permissibility – Where a judgment and decree prejudicially effects such a person, he can prefer an appeal with the leave of the Appellate Court – Law governing grant of leave to appeal, summarized.		
(ii) Transferee <i>pendent lite</i> – Impleadment of – Principles summarized.		
धारा 52 – (i) अपील – ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है – अनुज्ञेयता – जहां कोई निर्णय और डिक्री ऐसे व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, वह अपीलीय न्यायालय की अनुमति से अपील कर सकता है – अपील की अनुमति प्रदान करने को शासित करने वाली विधि, संक्षेपित।		
(ii) वाद कालीन अंतरिती – संयोजन – सिद्धांत सारांशित किये गये।	99	226
Section 52 – See order 1 rule 3A of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 52 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 1 नियम 3क।	153	366
Section 52 – See sections 6 and 34 of the Specific Relief Act, 1963 and order 23 rule 3 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 52 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धाराएं 6 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 23 नियम 3।	190	458
Sections 53-A and 54 – (i) Doctrine of part performance – When can be applied?		
(ii) Transfer of immovable property – Mere agreement to sell does not convey ownership or create any enforceable interest in the property.		
धाराएं 53-क एवं 54 – (i) भागिक पालन का सिद्धांत – वादी का अनुबंध के अपने भाग का पालन करने के लिए रजामंद होने, अनुबंध पालन के लिए उठाए गये कदम अथवा प्रतिवादी को सूचना-पत्र जारी करने में विफल रहने को दर्शित करने वाली साक्ष्य के अभाव में, उसका आधिपत्य धारा 53-क के अंतर्गत संरक्षित नहीं किया जा सकता।		
(ii) अचल संपत्ति का हस्तांतरण – केवल विक्रय अनुबंध स्वत्व अंतरित नहीं करता अथवा संपत्ति पर किसी प्रवर्तनीय हित का सृजन नहीं करता।	149	358

Act/ Topic	Note No.	Page No.
Section 54 – Transfer of property – Power of attorney – Property dispute between brothers – Held, an agreement to sell, power of attorney, receipt or affidavit does not transfer ownership of immovable property.		
धारा 54 – संपत्ति का हस्तांतरण – पावर ऑफ अटॉर्नी – अभिनिर्धारित, बिक्री अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी, रसीद या शपथपत्र से अचल संपत्ति का स्वामित्व स्थानांतरित नहीं होता।	285(i)	660
Section 58(c) – Mortgage by conditional sale – True nature of document – “ <i>Shartiya Farokhtn.Ma</i> ”		
धारा 58(ग) – सशर्त विक्रय द्वारा बंधक – दस्तावेज की वास्तविक प्रकृति – “शर्तीय फरुख्तनामा”	287(i)	664
Section 60 – See sections 13(2), 13(4), 14 and 17 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.		
धारा 60 – देखें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धाराएं 13(2), 13(4), 14 एवं 17।	240	575
Sections 122, 123 and 129 – See Mohammedan Law and section 17 of the Registration Act, 1908.		
धाराएं 122, 123 एवं 129 – देखें मुस्लिम विधि एवं रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 की धारा 17।	183	439
Sections 122 and 126 – (i) Gift deed – Revocation of – Validity.		
(ii) Gift deed – When can a gift be revoked? Explained.		
धाराएं 122 एवं 126 – (i) दान विलेख – विखण्डन – वैधता।		
(ii) दान विलेख – दान विलेख कब विखण्डित किया जा सकता है? समझाया गया।	150	360
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967		
विधिविरुद्ध किया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967		
Section 43-D (5) Proviso – Offence under UAPA – Grant of bail – Court should not hesitate to grant bail only on the ground of seriousness of crime and should remember the governing principle, ‘Bail is the rule and Jail is an exception’.		
धारा 43-घ(5) परन्तुक – यूएपीए के अंतर्गत अपराध – जमानत का प्रदान किया जाना – न्यायालय को केवल इस आधार पर जमानत प्रदान करने में संकोच नहीं करना चाहिए, कि अपराध गंभीर है एवं यह शासी सिद्धांत स्मरण रखना चाहिए कि “जमानत नियम है एवं जेल अपवाद है”।	100	229
Section 45-D (5) – Offence under UAPA – Bail – Prosecution cannot oppose the bail or Court may not deny bail on the ground of seriousness of crime, when speedy trial is not ensured to the accused within the time frame.		
धारा 45-घ (5) – यूएपीए के अंतर्गत अपराध – जमानत – जहां समय सीमा में अभियुक्त को शीघ्र विचारण सुनिश्चित नहीं कराया गया वहाँ अभियोजन जमानत का विरोध नहीं कर सकता अथवा न्यायालय अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत से इंकार नहीं कर सकता।	195	472
URBAN LAND (CEILING AND REGULATION) ACT, 1976		
शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976		
Section 10(3) – See Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code, 1908		
धारा 10(3) – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 11।	107	246

Act/ Topic	Note No.	Page No.
URBAN LAND (CEILING AND REGULATION) REPEAL ACT, 1999		
शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999		
– See Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code, 1908		
– देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 11।	107	246
WORDS AND PHRASES:		
शब्द एवं वाक्यांश:		
– Maxim <i>nemo tenetur prodere seipsum</i> , meaning of – Explained.		
मैक्सिम <i>nemo tenetur prodere seipsum</i> का अर्थ – समझाया गया।	8(iii)	15
– Words and phrases "or" and "and" – Principles of statutory interpretation tells that the word "or" is normally disjunctive while the word "and" is normally conjunctive.		
“शब्द” और “वाक्यांश” “या” एवं “और” – संविधियों के निर्वचन का सिद्धांत बताता है कि “या” शब्द सामान्यतः वियोजक होता है जबकि “और” शब्द सामान्यतः संयोजक होता है।	194 (iii)	468
Part-IIA		
(GUIDELINES)		
1. Guidelines issued by Hon’ble High Court of Madhya Pradesh in matters pertaining to allegations of rape wherein victim becomes pregnant in consequence thereof.		1
2. Guidelines issued by Hon’ble Supreme Court to be followed in execution proceedings.		5
3. Guidelines issued by Hon’ble Supreme Court to be followed in NI Act.		9
4. Guidelines issued by Hon’ble Supreme Court regarding day-to-day hearing in sensitive cases.		14
PART- III		
(CIRCULARS / NOTIFICATION)		
1. Standards Operating Procedure (SOP) for requesting extension of time from Hon’ble Supreme Court or High Court of Madhya Pradesh to Conclude Time-Bound Trials/Suits/other Proceedings		1
PART- IV		
(IMPORTANT CENTRAL/STATE ACTS & AMENDMENTS)		
1. भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2025		1
2. Madhya Pradesh Civil Service (Leaves) Rules, 2025		5